अंक : 97
(अप्रैल-जून 2002)

राजभाषा भारती

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

राजभाषा भारती

वर्ष : 25 अंक-97

(अप्रैल-जून, 2002)

विषय-सूची

संपादक (पदेन)

कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव
निदेशक (अनुसंधान)
फोन 4619521

उप संपादक

सुरेन्द्र लाल मल्होत्रा
फोन 4698054

निःशुल्क वितरण के लिए

पत्र व्यवहार का पता:
संपादक
राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
दूसरा तल
लोकनायक भवन,
नई दिल्ली-110003

लेखक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.
संपादकीय		(iii)—iv
लेखों के विषय में		(v)
आदमी की संवेदना से जुड़ें हैं-गीत और नवगीत	लालसा लाल तरंग	1-18
हिंदी भाषा साहित्य में मिथक	डा. पी.के. खरे	19-24
तपस्विनी स्वयंप्रभा वाल्मीकि तथा तुलसी की दृष्टि में	डा. राज कुमारी शर्मा राज	25-30
अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत भारतीय भाषा-सर्वेक्षण	डा. परमानन्द पांचाल	31-34
जीवन सूत्र का रहस्योदघाटन : डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग	डा. मुकुल चंद पांडेय	35-39
न्यायपालिका में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग	डा. प्रमोद कुमार अग्रवाल	40-44
आर्थिक अपराध : एक केस अध्ययन	कैलाश नाथ गुप्त	45-54
जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आयुर्वेद की भूमिका	डा. (श्रीमती) सुरिन्दर कटोच	55-60
उर्दू शायरी के आइने में —श्रीराम	नोतन लाल	61-64
मैं एक नाटक लिखना चाहती हूं	नासिरा शर्मा	65-68
राजभाषा हिंदी संबंधी गतिविधियां		69-82

विशेष : पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

1942 HA/2002—1A

राजभाषा भारती

वर्ष : 25 अंक : 97
अप्रैल-जून, 2002

संपादकीय

केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट भी समय-समय पर मिलती रहती है। इन गतिविधियों में कार्याशालाओं का आयोजन प्रमुख स्थान रखता है। कार्यशालाओं में उन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है। इन कार्यशालाओं में हिंदी में काम करने का अभ्यास भी कराया जाता है जिससे कि संबंधित कर्मचारियों के लिए सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सहज हो सके। तालचेर (उड़ीसा), तूतीकोरन, विशाखापट्टनम, भिलाई, इम्फाल, गोवा, कोचीन इत्यादि नगरों में सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

उन नगरों में जिनमें केन्द्रीय सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हैं, राजभाषा के कार्यान्वयन को गतिशील बनाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में नगर स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि राजभाषा नीति की समीक्षा करते हैं। इस दौरान धनबाद, दिल्ली, कानपुर, जालंधर, तूतीकोरन, रोहतक, कोलकाता और चंडीगढ़ में नगर राजभाषा समितियों की बैठकें संपन्न हुई हैं।

केन्द्रीय विपणन संगठन के बोकारो कार्यालय में दो दिवसीय हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के आयोजन से सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने का अनुकूल वातावरण बनता है। इस बारे में यह भी ध्यान में रखना होगा कि यह कार्यक्रम केवल

रस्म अदायगी की तरह न रह जाएं बल्कि उनके परिणाम धरातल पर भी दिखाई पड़े और हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में उत्तरोत्तर बढ़े।

सचिव (रा०भा०) की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 29वीं बैठक 31-5-2002 को संपन्न हुई जिसमें संयुक्त सचिवों सहित मंत्रालयों/विभागों के राजभाषा से संबद्ध अधिकारियों ने राजभाषा के कार्यान्वयन में परिलक्षित समस्याओं को दूर करने के लिए विचार-विमर्श किया। कई महत्वपूर्ण बातें इस बैठक में उभर कर सामने आईं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट द्विभाषी हो चुकी हैं और कहीं-कहीं यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

हिंदी कार्यान्वयन के क्षेत्र में सहयोग और सहकारिता की बड़ी आवश्यकता है। कठोपनिषद के निर्देश के अनुसार "ऊं सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।" साथ-साथ रक्षा करें। साथ-साथ पालन करें, साथ-साथ सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। हम द्वेष न करें।

लेखों के विषय में

'राजभाषा भारती' के वर्तमान अंक में हिंदी साहित्य, मानविकी और आयुर्विज्ञान से संबंधित विषयों पर लेख संकलित किए गए हैं। श्री लालसा लाल तरंग ने अपने लेख 'आदमी की संवेदना से जुड़ें हैं—गीत और नवगीत' में यह उद्घाटित किया है कि गीत व नवगीत आम आदमी की जिंदगी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं जो हमें टेरते हैं, संबोधित करते हैं, चुनौती देते हैं, आह्वान करते हैं, हमें अधिकार बोध कराते हैं और जिनमें हृदय को संपदित करने की शक्ति होती हैं। लेखक का मानना हैं कि गीत जीवन से अनुभव प्राप्त कर मानव जीवन की चिंता निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

हिंदी भाषा साहित्य में मिथक में लेखक ने यह निरूपित किया है कि 'मिथक' शब्द अंग्रेजी के 'मिथ' से बना है और मिथक कथाओं की सृष्टि के पीछे व्यक्ति में ऐसे विश्वास उत्पन्न हो जाते हैं जो कालान्तर में अंधविश्वास का रूप धारण कर लेते हैं। 'तपस्विनी स्वयंप्रभा वाल्मिकी तथा तुलसी की दृष्टि में' तपस्विनी 'स्वयंप्रभा' के चारित्रिक गुणों का बखान करते हुए लेखक ने उन्हें साक्षात् सौम्यरूपा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी बताया है जो अपनी तांत्रिक साधना के बल पर पलभर में सब कुछ सुलभ कराने में सक्षम थी और जिसने सीता की खोज में हनुमान और वानर सेना का अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था।

'अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत भारतीय भाषा सर्वेक्षण' में डा. परमानन्द पांचाल ने अमीर खुसरो को फारसी और खड़ी बोली का विद्वान कवि बताया है जिसे ईरानी विद्वान 'तूतीए हिंद' के नाम से पुकारते हैं। डा. मुकुलचंद पांडेय ने अपने लेख 'जीवन सूत्र का रहस्योद्घाटन : डी. एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग' में यह उल्लेख किया है कि डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एक अत्याधुनिक और सशक्त तकनीक है जो अपराधों की जांच, स्वास्थ्य संबंधी निदानों की जांच, वंशावली विश्लेषण और प्रतिरक्षा प्रलेखों आदि में इस्तेमाल की जा सकती है।

डा. प्रमोद कुमार अग्रवाल का लेख 'न्यायपालिका में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का प्रयोग', कैलाश नाथ गुप्त का लेख 'आर्थिक अपराध : एक केस अध्ययन', डा. (श्रीमती) सुरिन्दर कटोच का लेख 'जीवनस्तर को बेहतर बनाने में आयुर्वेद की भूमिका', नोतन लाल का लेख 'उर्दू शायरी के आइने में—श्रीराम' अत्यधिक सूचनाप्रद और ज्ञानवर्धक हैं जिनसे 'राजभाषा भारती' के सुधी पाठकगण निश्चित ही लाभान्वित होंगे।

—उप संपादक

"आदमी की संवेदना से जुड़े हैं— गीत और नवगीत"

—लालसा लाल तरंग

—लयात्मकता मानव की आदिम प्रवृत्ति होने के कारण नवगीत और गीत संप्रेषणीय और स्मरणीय दोनों हैं। साथ ही गीत-नवगीत आम आदमी से जुड़े होते हैं, उनके बिल्कुल निकट होते हैं।

—कविता के क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक कैनवास गीत का ही है और गीतों की उर्वरा लोकगीतों से प्रारंभ होती है। गीत ने अपनी यात्रा गान, प्रगीत, नवगीत, अनुगीत और यहां तक कि विगीत तक के पड़ावों से तय की है। इसमें नवगीत सर्वाधिक सशक्त विधा के रूप में आज हमारे सामने है, गीत विधा की यह विशेषता है कि गीत कंठस्त कर के दोहराए या गाए जाते रहे हैं। नवगीत ने भी इस गुण को अपनाए रखा है। इसलिए, इसमें आत्म संरक्षण की पर्याप्त क्षमता है। यह तथ्य सर्वज्ञ और सर्वमान्य है। गीतिकाव्य पर दृष्टिपात करते समय यह संकेत वांछनीय लगता है कि भारतीय समाज में इसके तीन रूप प्रचलित हैं। 1. लोकजीवन में प्रचलित गीत 2. सांगीतिक गीत और 3. साहित्यिक गीत। लोक जीवन के गीत नृत्यगीत गेय एकलगीत और गेय समवेत गीत के रूपों में अभी भी वर्तमान हैं। वस्तुतः गीत विधा, गीत-नवगीत ठेलते या दुलारते नहीं। वे हमें घेरते हैं, वे हमें टेरते हैं, संबोधित करते हैं, चुनौती देते हैं, आह्वान करते हैं और इस तरह दूर बहुत दूर तक ले जाते हैं, हमें अधिकार बोध कराते हैं। जो हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं या ओझल करा दिए जाते हैं उनका स्पष्ट चित्र हमारे सामने रखते हैं। जब नीरज कहते हैं कि—

"चांदी का बाजार यह
इसमें दिल की कीमत कोई नहीं
सबका है तेरी जेब से रिश्ता
तेरी जरूरत कोई नहीं"। (फिर दीप जलेगा)

तब इन पंक्तियों से उपर्युक्त बात स्पष्ट झलकती है। बच्चन जी तक ने स्वयं को वहां खड़ा माना जहां अनगिनत दुखों-विसंगतियों और आर्थिक तंगियों के बावजूद जो अपने को हारा नहीं मानते और अधिकारों तथा न्याय को छीनने की स्थिति में रहते हैं—

"मैं हूं उनके साथ
खड़ी सीधी जो रखते अपनी रीढ़

कभी नहीं जो तज सकते
अपना न्यायोचित अधिकार
कभी नहीं जो सह सकते हैं
शीश नवाकर अत्याचार''। (मेरी श्रेष्ठ कविताएं-बच्चन पृ. 239)

जब कभी किसी कविता को बार बार पढ़ने, गाने, या सुनने की जिज्ञासा जागती है तो निश्चित ही उसमें समाहित उन गुणों को खोजने के विचार भी उठते हैं और आश्वस्त होते हैं कि आखिर क्यों इन्हें बार बार पढ़ने को मन होता है या गाने और गुनगुनाने या सुनने की इच्छा जगती है। वैसे आज जो अकादमिक समीक्षाओं के चमत्कृत अस्थायी माहौल हैं—क्योंकि मैं मानता हूं कि आज की समीक्षा और अधिकांश समीक्षक भी गैर ईमानदारी के ही शिकार हो गए हैं—उसमें कविता (छंदमुक्त) का जो खोखला ढ़िढोरा पीटा जा रहा है उसी के शिकार कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और समीक्षक भी हैं। आज जो 'गीत नवगीत' लिखे जा रहे हैं या तो वे समीक्षकों को उपलब्ध नहीं होते होंगे या यदि उपलब्ध हुए तो पत्रिकाएं या पुस्तकें उनके पुस्तकालय के रैक की शोभा भर बन जाती होंगी। या फिर उन्हें यह आतंक सताता होगा कि गीतों पर लिखकर कहीं वे आज के आलोचकों की पंक्ति से बाहर न हो जाएं या बाजार की अंधी दौड़ में बहुत पीछे न छूट जाएं। मैंने यह भी पाया कि किसी आलोचक से गीत नवगीत के विषय में पूछिए या कुछ कहिए तो बड़ा सीधा सा उत्तर देकर वह कन्नी काट जाता है ''ऐसा है कि आजकल मैं बड़ा व्यस्त हूं। जो आप कह रहे हैं वैसी रचनाओं को देख नहीं पाया हूं, इसलिए फिलहाल उन पर कुछ कहना मुनासिब नहीं लगता .....''।

जो भी हो, अब यह बात स्थापित हो चुकी है कि छंद मुक्त कविताओं का दौर 1990 या उसके पूर्व से ही अपनी चरम सीमा पार कर गया क्योंकि आम जनता ने उसे मुकम्मल रूप में अस्वीकार कर दिया है। कोई थोथी दलील दें, कोई पत्रिका कसम खाकर गीतों, नवगीतों, गजलों को न छापे, परन्तु अब जनता गीतकारों, गजलकारों से सीधा सरोकार बना रही है। हां यह बात और है कि शैक्षणिक स्तर पर चूंकि उन्हीं मठाधीशों का अभी भी वर्चस्व है अतः गीतकारों की रचनाओं को कोर्सेस में शामिल नहीं किया जाता या शामिल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। यही कारण है कि छात्र छात्राओं के साथ छंदमुक्त (कोर्सवाली) कविताओं के पढ़ने की विवशता हो जाती है क्योंकि उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

''त्रिलोचन जिस खास अर्थ में आधुनिक हैं वह यही कि गरीबों से उनकी कविता का नाता है। नई कविता ने अपने लिए जो परिधि बनाई उसने जनता के दुख दर्द को उससे बाहर रखा। त्रिलोचन की कविता इस परिधि को तोड़ती है। इस परिधि की रक्षा के लिए जो अवधारणाएं प्रसारित की गई हैं उन्हें यह कविता थोड़ा छिन्न भिन्न करेगी''। (समीक्षा दशक-पृ. 187 डॉ. रामविलास शर्मा का लेख) मैं समझता हूं जब त्रिलोचन अपनी छंदबद्ध कविताएं किए होंगें

तो जहां गन्ने के कई रूप देखें होंगे वहीं आम जनता के स्वाद को भी चखे होंगे और छंदबद्ध कविताओं में उसका समावेश किए होंगे।

कोई माने न माने अगले दशक यह सिद्ध कर देंगे कि अब अतुकांत कविताओं का भार नहीं उठाया जा सकेगा क्योंकि आदमी की संवेदना उससे जुड़ नहीं पा रही है। सिर्फ लम्बे चौड़े कैनवास, समय समेटने, विषयवस्तु की व्यापकता और उत्कृष्टता का बहाना, गद्य लिखकर उसे कविता कहने का कुर्तक, कब तक स्थायित्व पाएगा। गीतों-नवगीतों में शब्द की सार्थकता का महत्व होता है। चूंकि प्रकृति उत्कृष्ट रचना है इसलिए गीतों नवगीतों में अर्थ का प्रकृति सम्मत की उपर्युक्त रचना और निदाफाजली दोनों ही कहां कम पड़ते हैं? इस छंदबद्ध कविता में क्या नहीं है?

यह रास्ता जाना पहिचाना है
रोज खून की बारिश होती है
रोज सबेरे फूल खिलाना है

(यश मालवीय—आजकल फरवरी—2000)

यश मालवीय के उपर्युक्त छंद में युगीन बनावट है, नंगा सत्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है? आजकल-जनवरी 2000 में भारतेन्दु मिश्र के पांच गीतों में, नईम के चार गीतों में—प्रजातंत्र का पर्दाफाश, प्राकृतिक विचित्रता एवं वैभिन्नता, अंधाबांटे रेवड़ी ..... आशावदिता, ग्रामीण परंपराओं के प्रति चिंता, और फिर नई किरण फूटने की आशा में मुट्ठियां कसी हैं, ये पंक्तियां किन गुणों को नहीं समेट पातीं? ये किस समय और समाज को नहीं समेट पातीं? आम आदमी के यथार्थ संदर्भों को प्रस्तुत करना ही साहित्य की सार्थकता है जहां भाषावाद, जातिवाद, भी समाप्त होते हैं। भारतेन्दु मिश्र और नईम के गीतों में समीचीन प्रश्नों का हल ढूढंने की क्रांतिधर्मी अकुलाहट हैं।

'गोल कुण्डा दर्पण'—(हैदराबाद मई-2000) में कुंवर बेचैन के नवीन प्रयोग के माध्यम से कितना स्पष्ट चित्र प्रस्तुत है—

ऊपर ऊपर मुस्काने हैं
भीतर भीतर गम
जैसे शोक पत्र के ऊपर
शादी का एलबम।

वहीं फिर एक व्यापक मानववाद देखें—

जिन्दगी का बस यही आधार हो
आदमी से आदमी का प्यार हो

(प्रदीप पुष्कल, दैनिक जागरण-13-8-2000)

कुंवर बेचैन, सोमठाकुर, नीरज, वीरेन्द्र मिश्र आदि ने किस कोने को छोड़ा है ? देवेन्द्र शर्मा इन्द्र के गीतों में प्रोटेस्ट का तीखा स्वर है। सवाल उठाना और समय, समाज और साहित्य के व्यापक परिवेश का मूल्यांकन करते हुए उत्तर भी देने का काम गीतकारों ने किया है। सवाल के आरंभ और अंत दोनों का काम किया है गीतकारों ने और करते जा रहे हैं।

मानव मूल्यहीनता और विघटन की भयावह त्रासदी में गीत कहीं शिथिल नहीं दिखते। परंपरा, प्रयोग, आधुनिकता और प्रगतिशीलता यद्यपि मानवीय सोच के द्योतक हैं पर पकड़ना छोड़ना, अपनाना और अपनाकर जम जाना यही चरणबद्ध विचार धारा बनी है जो प्रगतिशीलता पर टिक गई। कविता के मौसम बदले हैं बदल रहे हैं और बदलेंगे। संघर्ष की गतिशील प्रक्रिया ही हर युग में आन्दोलन को जन्म देती रही है। जनता उनमें से बीनबीन मोतियों को चुन लेती है बाकी को बगल कर देती है। नई कविता के आंदोलनों के साथ यही हुआ है। भूखी पीढ़ी, अभिशप्त पीढ़ी आंदोलन, योनि प्रधान आंदोलन, फ्रेन्च लेदर आंदोलन, बमबास्टिक शब्दों के प्रयोग का आन्दोलन और शनीचरी आंदोलन आज कहां है ? पर उनके समकालीन गीत नवगीत आंदोलन आज पूर्ण स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि जनता उसे मान्यता दे रही है। अब यह बात अलग है कि अज्ञेय होना सहज प्राप्य है। परख, सृजन, संप्रेषणीयता भावकला साहित्य, भाववादी व्यावहारिक एवं समष्टिवादी चेतना—ये सारे अवयव गीतों नवगीतों में वर्तमान हैं।

पाठकों को क्या चाहिए—पाठकों को रचनाओं में आशावादिता, सकारात्मक तेवर, मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत बोध, हृदय को स्पंदित करने की शक्ति, आमजन से सरोकार, और गीतों में तरलता चाहिए। ये सारी शर्तें पूरी करते हैं गीत-नवगीत (यहां मैं कुछ प्रतिशत निम्न स्तरीय गीतों को छोड़ता हूं जो सिर्फ लिखने और नाम गिनाने के नाम पर लिखे जाते हैं)। आज समाज और परिवार, यों कहें कि सभी लोग-असुरक्षा, अतिरेक, असन्तुलन के शिकार हैं। आदमी के पीछे और आदमी के आगे चलने वाले आदमी एक दूसरे से आतंकित रहते हैं। सुबह का निकला आदमी शाम तक घर आ जाए तो धन्य माना जाता है। गीत, नवगीत इन भावनाओं को समेटकर उनके हल के लिए सतत चिन्तित मिलते हैं।

अगर अरूण कमल के अनुसार देखें तो ''कविता गीत में, सर्जनात्मकता की अधिक ताजगी होनी चाहिए। विचार और संवेदना की गहराई, रचना प्रक्रिया के प्रतिफलन का मूलतत्व हो। समय की टंकार सी धुन हो, मूल चेतना काव्यगत हो, कवि की काव्य चेतना अपने जीवन संघर्ष से मेल खाती हो, जीवन सौन्दर्य को प्रचलित मानदण्डों से इतर होकर बनावट कम सुन्दरता अधिक होनी चाहिए। सहज किन्तु ईमानदार अनुभूति हो। समकालीनता के सारे दबावों, घात प्रतिघात से जूझते वही रचा जाए जो उसका अभीष्ट हो, एक नया आस्वाद दें''।

उपर्युक्त सारी बातें आज गीतों/नवगीतों में हैं और उनका स्पष्ट निरीक्षण प्रतिपल संभव है। गीत वस्तुतः मानवजीवन की अनेक लघु -दीर्घ अनुभूतियों, सुख-दुख, आकांक्षा-आशा,

जय-पराजय, और मुक्ति संघर्ष के सामूहिक संवेगों और रागात्मक संवेदनाओं की लयात्मक अभिव्यक्ति हैं'।

गिरधर राठी एक मोगालता पाले हैं—छंदमुक्त कविताओं से श्रवणीयता और पठनीयता पर कोई बहुत नुकसानदेह प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं लगता (अक्षर पर्व-नवंबर-99)। अकादमिक, विश्वविद्यालयीन और महानगरीय संस्कृति से अलग हटकर जरा वे देखें कि कविता का मूलार्थ वास्तविक पाठकवर्ग क्या लेता है? एयरकंडीशन्ड कमरे में कूलर के सामने बैठकर, गीजर के गरमपानी में डूबकर और हीटर के सामने हाथ पांव और कागज कलम रखकर जो अभिव्यक्ति होगी—निश्चित रूप से वह गिरधर राठी की समझ की सीमा में होगी परन्तु जाड़े की गुड़गुड़ से कंपित उगुलियां जब किसी कागज पर डोलेंगी—पसीनों से तर दिमाग जब कुछ सोचेगा और बरसात की टिपटिप से बचता हुआ रचनाकार झोपड़ी के किसी कोने में घिसकता खुद को पानी से बचाता हुआ जो कुछ रचेगा वह कविता का सही मूलार्थ देगा जो आम पाठक स्वीकारेगा। महानगरों में बैठकर गांवों की अनापशनाप अनुभूतियां शाश्वत नहीं होंगी। कविता और छंदबद्ध गीत कविता में यही अन्तर होगा।

'आलपिन सा चुभ रहा है आज का दिन' को मरी हुई कविता मानने वाले छंदमुक्त कविता ''आत्मा में चुभता है जौ'' (डा. केदारनाथ सिंह—कथादेश) को नया प्रयोग मानते हैं जबकि जौ निश्चित रूप से निम्न, मध्यमवर्गीय भोजन का श्रोत है और उसी का परिचायक भी। अरे गड़ता भी है तो ''जौ के दाने का टूड़'' जो निरर्थक तत्व है। तब इस सोच और समझ को क्या कहा जाए पता नहीं ये लोग जिन्दा कविता और मरी कविता की परिभाषा कैसे गढ़ते हैं?

रामदरश मिश्र जी मानते हैं—''गीत हमारे पूरे समय को समेटने में समर्थ नहीं हैं, छंदोबद्ध कविताओं में वे चीजें नहीं आतीं जो छांदस कविताओं में आ जाती हैं। ये कविताएं पावरफुल होती हैं .....''। (आजकल जनवरी-2000) हालांकि इसी पत्रिका के जून अंक में मधुर शास्त्री और कुकुट सक्सेना ने मिश्र जी के कथन को जमकर तोड़ा है और शायद इसी के समर्थन में मुधर शास्त्री ने (दैनिक जागरण, दो जुलाई-2000) को अपना पक्ष भी रखा। बाद में बालकवि बैरागी भी गीतों के पक्ष में इसी पत्र में मुखर हुए। मेरा मानना है कि केवल चकाचौंध और चौंकाऊ शब्द, विकृति सूचक शब्द, श्रमसाध्य बौद्धिक शब्द, इतिहास भूगोल के सांदर्भित शब्द प्रयोग कर देने से 'कविता' गीत की तुलना में पावरफुल नहीं हो सकती, दमदार नहीं हो सकती। मिश्र जी किस 'समय को समेटने' की बात करते हैं? किस 'पावरफुल' की ओर संकेत करते हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास साक्षी है कि गीतों और छंदयुक्त कविताओं ने समय-समय पर कालधर्मी आवश्यकताओं को प्रोत्साहन दिया है, क्रांति की आवाज बुलन्द की है। आज के गीत, नवगीत सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा जीवन की सभी विसंगतियों पर तीखी नजर रखते हैं—''हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस. जे. डोरा ने एक

साक्षात्कार में कहा था ''मैं हजारों बंदूकों का मुकाबला कर सकता हूं पर 'गदर' के गीतों का नहीं''। 'गदर' गोली नहीं चलाता न उसके हाथ ए.के. 47 रायफल ही रहती है। वह तो बस गीत लिखता और गाता है अपनी कलम से शोषण के और शोषण से मुक्ति के। उसके गीतों में अन्याय, असमानता पर आधारित व्यवस्था से गरीब के लिए उत्पन्न जहां अवसाद ध्वनित होता है वहीं उस व्यवस्था के विरूद्ध आक्रोश और उसे बदलने की ललकार भी होती है''। (जनसत्ता का वार्षिकांक 1997 पृ. 133) यह कौन सी 'पावरफुलनेस' गदर के गीतों में है जिससे पुलिस भी हार मानती है। मिश्र जी क्या इससे भी अधिक पावरफुलनेस कविता में पाते हैं? गीत नवगीत किसान मजदूर और शोषितों की व्यथा पर दृष्टि रखते हैं। गीत किसने नहीं लिखे अज्ञेय, राम विलास शर्मा, मुक्ति बोध, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, केदारनाथ अग्रवाल। अब यह अलग बात है कि वे जहां थे वहां नहीं हैं।

मिश्र जी को दिखता है कि (1) गीतों नवगीतों को सादगी के अनेक बेलबूटों से भर दिया गया (2) कोई समकालीन सवाल नहीं उठाया गया इनमें (3) इन्हें समय और समाज से गहराई से नहीं जोड़ा गया (4) सामाजिक मूल्यों और सामाजिक सवालों को नहीं उठाया गया इनमें। इसलिए उन्होंने गीत की आत्मीयता और आंतरिकता को सदा नई कविता का पूरक माना (साहित्य अमृत अप्रैल 2000)।

गोपाल सिंह नेपाली समझौतावादी नीति के विरूद्ध थे। पंचशील समझौते के बाद ही उन्होंने चीन की चालों के प्रति दूरदृष्टि अपनाई थी।

भारत के प्यारो जागो
सोए सितारो जागो
बैरी दुआरे आया
तुम सिर उतारो जागो।

इतना ही नहीं 'हिमालय ने पुकारा' शीर्षक से त्रिकालदर्शिता एवं राष्ट्रवादी दूरदर्शिता जिस प्रकार नेपाली जैसे गीतकार ने दिखाई—कोई अतुकांत कविता उस समय कहां थी . . . . . ?

''आजाद रहा देश तो फिर उम्र बड़ी है
मंदिर भी है गिरजा भी है मस्जिद भी खड़ी है
संग्राम बिना जिन्दगी आंसू की लड़ी है
तलवार उठा लो तो बदल जाए नजारा
चालीस करोड़ों को हिमालय ने पुकारा''।

किस समय को इस कविता ने नहीं समेटा। किस राष्ट्रीय सामाजिक या सांस्कृतिक मसले को नहीं छुआ? दिनेश सिंह की चिन्ता और आश्वस्तता किस अतुकांत कविता से आगे नहीं है? किन नए

बेलबूटों के साथ हैं ? किस गहराई की बात करते हैं मिश्र जी ? पता नहीं कौन सा मापक यंत्र है उनका ? किन सवालों को गीतों ने नहीं उठाया—एक चिंता देखें—

गीतों से गुम हो गए गांव
दो पांव हो गए बेगाने,
जाने किस टेढ़ी मेढ़ी धुनपर
नाच रहे हैं बेगाने।

और आश्वस्तता . . . . . .

लोटा भर, कंकड़ी गुड़ की रखना
शहरों से थककर लौटेंगे
सफर गांव के
आंखों में सपने
सागर छलकाएंगे।

(दिनेश सिंह, अक्षरपर्व-जुलाई-99)

'सांस्कृतिक संकट—जिससे साहित्य अछूता नहीं है शोषक, पूंजीपतिवर्ग या निरपेक्षता का आवरण डाले सत्ता शुभेच्छुकों के लिए कत्तई नहीं है क्योंकि अत्यल्प पूंजीपति वर्ग की भी सत्ता सभी आयामों से परिपूर्ण है'। लेकिन सांस्कृतिक संकट को आज का गीतकार बड़ी संगीन एवं पैनी दृष्टि से देखता और भविष्य को आंकता है—दिनेश सिंह उपर्युक्त पंक्तियों में इन्हीं विचारों को बखूबी रखते हैं।

आदमी की फिक्र कर रहे फिर बधिक प्रवर
तय है कि मनेगा जश्न अब किसी मसान में
ब्याघ बांसुरी से गुंजने लगा है बांसवन
कल रहेगा वैध हर शिकार संविधान में

(जीवन यदु—अक्षर पर्व-जनवरी-2000)

तब निदाफाजली का आह्वान कितना संगत लगता है—

सवाल हयात है
सवाल कायनात है
सवाल ही जबाब है
सवाल इन्कलाब है
कोई जबाब दे न दे
सवाल पूछते रहो

(सफर में धूप तो होगी—पृ. 118 निदाफाजली)

मार्क्सवादी दर्शन के किसी पहलू को क्यों न लें, चाहें वह दार्शनिक हो या सांस्कृतिक हो, हमें पृथक-पृथक देशज स्थिति के सीधे और सम्पूर्ण साक्षात्कार करना अत्यन्त आवश्यक होता है। जीवन यदु का मानना है—''क्रांति आंदोलन सुधार परिवर्तन कुछ भी नहीं। क्रांति है विश्वासों का, रूढियों का शासन की ओर विचार की प्रणालियों का घातक, विनाशकारी, भंयकर विस्फोट। इसका न आदर्श है, न ध्येय है, न धुर है। क्रांति विपथगा है, विदग्धकारिणी है। (तत्काल-3 पृ. 51)

श्रीकृष्ण तिवारी ने 'अंधकार के खिलाफ' जेहाद बोलने वाले तत्वों की बखूबी पड़ताल की है। 'वागी संकल्पों' को सुविधाओं की छाया में क्यों दबा दिया गया, हर जुल्म के खिलाफ रहने वाले आज क्यों खुद को अपसंस्कृति के मर्म में डुबो रहे हैं वक्त की नदी मोड़ने वाले, जुलूसों का नेतृत्व करने वाले, इन्कलाब करने वाले आज क्यों कराह रहे हैं ? और फिर वे आश्वस्त होते हैं—''रोज जहर पीना है/सर्पदंश जीना है/मुझको तो जीवन भर चंदन ही रहना है/वक्त की हथेली पर/प्रश्न सा जुड़ा हूं मैं टूटते नदी तट पर/पेड़ सा खड़ा हूं मैं/रोज जलन पीनी है/अग्नि दंश सहना है/मुझकों तो लपटों में कंचन ही रहना है'' हालांकि कि ''टूटते नदी तट पर ..... पेड़ सा खड़ा हूं मैं'' कुछ खटकने वाली पंक्तियां हैं। तुलसी ने भी लिखा—''तुम सुग्रीव कूल द्रूम दोऊ'' उनका आशय यही है कि हमारी वैज्ञानिक संस्कृति, क्रांतिकारी भूमिकाओं का इतिहास क्यों झुठलाया जाता रहा है। यह 'कबीरी डांट' भी हो सकती है, व्यंग्य भी और आह्वान भी। (साहित्य अमृत अक्टूबर-2000—पृ. 23)

डा. नामवर सिंह ने चन्द्रकांत देवताले से एक बातचीत में अकविता की हरावाल दस्ते जैसी भूमिका को स्वीकार किया और माना था कि अकविता के साथ अन्याय हुआ है (सातवें दशक की कविताओं पर) वहीं ''आजकल'' फरवरी 2000 में उन्होंने कहा ''यह शिकायत सही है कि आज की कविता ने लय और छंद का परित्याग किया है जिसकी वजह से वह जुबान पर नहीं चढ़ पाती। स्वयं कुछ कवि भी इसे महसूस करने लगे हैं। ..... अरूण कमल, राजेश जोशी और उदय प्रकाश आदि ने भी छंदों को फिर से अंगीकार करने की पहल की है ..... '' फिर डा. नामवरजी गीतों को तथाकथित कविता क्यों कहते हैं ? क्यों उसमें 'केवल भाव' पाते हैं 'विभाव' नहीं खोजते ? (दिल्ली की एक गोष्ठी, मार्च-अप्रैल 2000)। राजेन्द्र यादव हालांकि कविता से दूर भागने की बातें करते हैं परन्तु एक ओर वे ''छंदोबद्ध कविता को 'नकली भाषा' मानते हैं और फिर ''चौपाल की कविता जिंदा रहेगी'' कहकर आखिर किस छंद मुक्त कविता की वकालत करते हैं ? वे खूब जानते हैं कि चौपाल की कविताएं—सूर, तुलसी, कबीर, मीरा और आज के गीतकार, नवगीतकारों, गज़लकारों की छंदोबद्ध कविताएं और लोकगीत ही हैं, मुक्त छंद कत्तई ही नहीं। तब नीरज का कहना वाजिब है—''यह हकीकत है कि कविता छंदोबद्ध होकर ही सदैव समाज में लोक प्रिय रही है इक्कीसवीं सदी में सिर्फ यही कविताएं जीवित रहेंगी। छंद मुक्त कविताएं आलमारियों में बंद होकर दीमकों का भोजन बनेंगी क्योंकि ये अरूचि पैदा करती हैं'' (आजकल फरवरी-2000)

स्वनामधन्य अकवि—जिन्होंने रातोंरात आन्दोलनों के माध्यम से मुखिया गिरी हासिल की थी—आज कहां हैं ? दिशा और दृष्टि भ्रामक होने का ही यह दुष्परिणाम रहा परन्तु युगों युगों से ग्राह्य और सहज संप्रेषणीय गीत (कविता क्यों नहीं) या छंदोबद्ध कविताएं तब भी अपने रास्ते झूमते हाथी की तरह चलती रहीं, आज भी चल रहीं है और आम जनता उन्हें तब भी मनमस्तिष्क और हृदय से अपनाती रही आज भी अपना रही है-भले ही मुट्ठी भर आलोचकों ने उसे बाहर समझा था या समझ रहे हैं। और ये भविष्य में भी स्थापित्व पाती रहेंगी। डा. नन्दकिशोर नवल, (निराला और मुक्ति बोध प्राक्कथन) मानते हैं कि "हेत्वाभासों से बचते हुए आलोचना तभी लिखी जा सकती है जबकि वह टेक्स्ट (TEXT) पर आधारित हो ....." गीतों के साथ शायद यही हुआ। आलोचकों ने गीतों का सामना होते ही, बगलें झांकी। उसके 'टेक्स्ट' से बिदक कर या किसी साहित्यिक आतंकवाद का शिकार होकर। पर अब स्वयं गीतकारों ने ही कमान संभाल ली है और वह आवश्यक भी हो गया है। डा. राजेन्द्र गौतम (दिल्ली विश्वविद्यालय) नचिकेता (पटना) डा. वेदप्रकाश अभिताभ (अलीगढ़) दिनेश सिंह (संपादक नए पुराने) साथी छतारवी, यश मालवीय, लालसा लाल तरंग, डाक्टर इन्द्र सेंगर आदि ने इस ओर अच्छे कदम उठाए हैं। आम पाठक के सामने, साहित्य जगत के सामने गीतों के सनातन स्थायित्व को वे स्वयं रखने लगे हैं।

अगर थोड़ा लिब्रल होकर देखा जाए तो यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मुक्ति बोध ने भी पहले छंदों के विषय में अवश्य सोचा था। 'एक नीली आग' (मुक्तिबोध) शीर्षक कविता इसका प्रमाण लगती है—

"क्षितिज भौहों पर घिरे घन
छा रहे हैं व्योम विस्तृत भाल
मानव विश्व के युग से जमे वे
पाप-निश्चिय के विचार कराल।
जमकर सघन इस बेचैन पृथ्वी पर
करेंगे लालसा की पूर्ति,
जाने किस अजानी कालिमा के सिंधु से
वे खींच लाए स्फूर्ति ....."।

गीत जीवन से सामग्री ग्रहण करते हैं। प्राय: ये आत्माभिव्यक्तियां ही होती हैं। उपर्युक्त कविता भी आत्माभिव्यक्ति ही है। राममूर्ति त्रिपाठी (अक्षर पर्व-जनवरी 2000) के अनुसार "विज्ञान और तकनीकी, प्राविधियों से परिचालित जीवन के दबाब से 'प्रोजेइक' होती जा रही नई कविता की काव्यचेतना मनुष्य के भावमय रूप की एकांत अवहेलना करती है। फलत: नवजीवन की पूरक विधा गीत की परंपरा को झाड़पोंछकर नए आकार और शैली में मूर्त होती है। इसमें

भावुकलोक की चेतना, लोकभाषा के मिजरावी शब्द और लोकमानस को झंकृत करने वाले लय शब्द-इन सबसे मिलित होकर अभिव्यक्ति शैली प्रयोग द्वारा पनपी'' है।

गीतों, नवगीतों के शब्दों में लोकप्रिय लोकहितार्थ, मानवमुक्ति, लोकहृदय के उफानों, सुखों, इच्छाओं तथा यथार्थ के प्रति उत्पन्न आवेगों को पाठकों, श्रोताओं के बीच बांटने की अप्रतिम क्षमता होती है। ओमधीरज (''सबके दाबेदार'', आजमगढ़ नवम्बर-99) देशज स्थितियों से कितने निकट से जुड़कर सहज हो जाते हैं 'गंवई' गवाही में—

''धूप की रजाई में सिकुड़ा सा दिन
सूद की बढ़ाई सी ठंड कमसिन
सांझ भिनसारे में कोल्हू कोलहारे में
फैल रही पकरस की सोंधी सुगन्ध
धरती के पन्ने पर यह गंवई छंद''।

साहित्य की संवेदनात्मक, मार्मिक, तथा साहित्य हृदय से जुड़े हर्ष विषाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति गीतों नवगीतों में पर्याप्त उपलब्ध है।

गीतकारों के पास नियत जीवन हृदय है। संप्रेषणीय शब्द होते हैं। सहज बोधगम्यता होती हैं। संबंधों के स्पर्श की सुगन्ध होती है। देवेन्द्र शर्मा इन्द्र, डा. राजेन्द्र गौतम, रामकुमार कृषक, शान्ति सुमन, भारतेन्दु मिश्र, डा. इन्द्र सेंगर, शलभ श्रीराम सिंह, बुद्धिनाथ मिश्र, श्री कृष्ण तिवारी, सत्यनारायण माहेश्वर तिवारी आदि सैकड़ों गीतकार इस श्रेणी में हैं। मैं नाम नहीं गिना रहा। मुझे शीलजी की एक कविता स्मरण आ रही है जिसमें समय, समाज, राजनीति, मानवमूल्य, और दलितों के विषय में एक बड़ा स्पष्ट चित्रण है।

पद दलित देश, कुचला जनबल
दलबदलू शासक, पतनप्रबल,
चर्चित कानूनी सन्निपात,
बढ़ रही भेड़ियों की जमात,
सोचो यह किसकी राजनीति
क्या हुआ कि लौटा है अतीत?
यह लूट, अपहरण बलात्कार
हैं किस दर्शन के चमत्कार
किन मानव मूल्यों का प्रतिफल?

इस कविता में अपने उद्देश्य और अपने संप्रेषण में कहीं भी अभाव नहीं मिलता है। गीतों नवगीतों में वस्तुतः 'टैक्स्ट और इन्टरप्रटेशन' दोनों की अमोघ एवं वांछनीय शक्ति वर्तमान है।

रचनाधर्मिता में शील कहीं कहीं निराला की कविता के बिल्कुल निकट लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शील के गीत या छंदोबद्ध कविताएं आज के तथाकथित आलोचकों के गीतों पर लगाए जाने वाले आरोपों को निरस्त करते हैं। ऐसे कवियों की कविता से प्रगतिशील कविताओं के मानदण्ड निर्धारित किए जा सकते हैं जो लोक संस्कृति एवं समर्थ, समुचित तथा सार्थक परंपराओं को आत्मसात करते हैं। निराला की कविता 'तोड़ती पत्थर' के निकट शील को देखें—

'काटती पत्थर कठिन कुदाल
बांधती है बिजली भूचाल'।

हीरा लाल नागर उद्भ्रांत की 'लेकिन यह गीत नहीं' की कुछ कविताओं से भले यह मान लें कि कवि ने गीत और कविता के बीच के किसी नए फार्म को ईजाद किया है लेकिन सच्चाई यही है कि उद्भ्रात ने पक्ष गीतों का ही लिया है। छोड़ दो मन/वह अंधेरी बात/थाम लो हंसती सुबह का हाथ। कठिन वक्त नर्म हुआ/जब उसको तोलो मत/यादों की रामायण अब ज्यादा खोलो मत (हंसती सुबह) में उद्भ्रांत ने जिस सुबह का हाथ थामने का विश्वास दिलाया है क्या वह समय को समेटने में कम है? और फिर जन और जनाकांक्षाओं की कमी कहां खटकती है? स्वअनुभूति को यथार्थ रूप देकर अन्य पुरुष पर आरोपण क्या यह सोद्देश्य नहीं? भ्रामक समीक्षकों ने गीतों को दाएं बाएं करने का षड़यंत्र रचा है। (अलाव-8 पृ. 251) "प्रहरी ओ, देश के, हिरना कस्तूरी, मैंने यह सोचा न था और पांखुरी पांखुरी में" उद्भ्रांत ने जो अभिव्यक्तियां दी हैं वह तमाम आरोपों को झाड़ फेंकती हैं। नंद किशोर नवल ठीक मानते हैं—"अच्छे कवियों का व्यक्तित्व गतिशील ही नहीं परिवर्तनशील भी होता है। निस्संदेह इस परिवर्तन में कमोवेश उसकी विचारधारा का भी हाथ होता है"। उद्भ्रांत यहां खरे उतरते हैं—

कई पुस्तकों के प्रणेता उद्भ्रांत ने शायद इसीलिए आज के संदर्भ को आंकते हुए और नवगीत की चर्चा को लुप्तप्राय: वातावरण से खींचकर उसे प्रकाश में पुन: लाने के उद्देश्य से ही डा. शंभुनाथ सिंह के संपादकत्व में 'नवगीत सप्तक' के प्रथम संस्करण का नवीनतम संस्करण देकर उसे चर्चा में ला दिया। शंभुनाथ सिंह, राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने नवगीत की जो स्थापना की थी उसे पुन: जिन्दा किया जाना—प्रगीतात्मकता की युगीन आवश्यकता है। और फिर बच्चन ने बहुत पहले ही कहा था कि गीत नवगीत का एक नया इतिहास शायद उद्भ्रात ही रचेंगे।

कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन सुने अब? साधू था जो उसे गए पूरा युग बीता/तब से कबिरा की बानी में लगा पलीता/महिमा युग की सारी बस्ती शीश धुने अब? शाहों ने है ऐसा बांधा ताना बाना/खोया सारे गुणी जनों का पता ठिकाना/असली-नकली के अंतर को कौन गुने अब? उलट बासियां अबकी जिनकी कोई न बूझे/अंधों की नगरी में रस्ता कहीं न सूझे/ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया कौन बुने अब? (कुमार रवीन्द्र, वागर्थ, अगस्त-2000) तथा बड़े चतुर हो नए

1942 HA/2002—2A

समय को साधो कबिरा तो जाने ..... राम रहीम कहां के मालिक/कहां लाल लाली/सबके हाथ भरे सपनों से/आंखें सब खाली/नए समय के देवों को अवराधो/कबिरा, तो जानें! (कुमार रवीन्द्र, वागर्थ-अगस्त-2000)

कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। सभी संप्रदायियों को उनकी फटकार एवं व्यंग्य सुनने पड़े। उन्होंने सत्य के हर पर्त उकेर कर रखे दिए और आज उनकी अनुपस्थिति में सब कुछ उलट गया। गीतात्मकता-प्रगीतात्मकता के माध्यम से नग्न सत्य को कुमार रवीन्द्र ने कितने अच्छे एवं पूर्णता के रूप में अभिव्यंजित किया है। आज व्यवस्था ने ऐसा ताना बाना बुना है, ऐसा भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक वातावरण तैयार किया है कि अच्छे अच्छे लोग उसमें उलझ कर रह गए हैं। सारा देश आज सिर्फ सिर धुन रहा है। कबीर की 'उलटबासी' बेकार हो गई है। अंधेर नगरी हो गई है आज हर गली। कबीर बने कौन? कितने उच्चकोटि के भावों को उकेरा है इन पंक्तियों ने। कुमार रवीन्द्र का यह गीत कबीर के प्रति प्रकट उपर्युक्त पंक्तियों का शत प्रतिशत समर्थन करता है और साथ ही आज की तत्संबंधी प्रासंगिकता को स्पष्टत: उजागर करता है। अतुकांत कविताओं ने कवियों की संख्या में प्रचुर वृद्धि की है। साहित्यक कृतियों का लोकार्पण प्राय: महिमामय, धनपति, उच्चाधिकारियों, नेता, मंत्रियों, या पाजामे में जगह रखने वाले कवियों, लेखकों, आलोचकों, तथा संपादकों द्वारा कराने की बेचैनी आज प्रचुर कवियों में पर्याप्त देखी जा सकती है और वे महान कहलाने की दौड़ में साहित्य की धारा में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान बनाने की दौड़ में जायज नाजायज सभी प्रयास कर डालते हैं लेकिन कुछ गीतकार कवि, साहित्यकार उपर्युक्त प्रवृत्ति के ठीक विपरीत अपने सीधे साधेपन पर व्यंग्य के माध्यम से अपनी सक्रियता-बिना किसी लाग लगाव के भी दर्शाते हैं।

अपना टूटा घर कंधों पर लादे हम/रामभरोसे जिये जा रहे, कितने सीधे सादे हम/जब भी कोई बात चली दिन बदलेंगे/टुकड़े टुकड़े पंखों के पैबंध हुए/बेमतलब उलझीं सपनों की धाराएं/ हम बहकी लहरों के टूटे छन्द हुए/भटकन दर भटकन है कच्चे वादे हम/छूट गए वे एक एक कर टूट गए/सहचर सब देखी अनदेखी राहों पर/किसी तरह निकले सांपों की गलियों से/जाम हुए आकर विषधर चौराहों पर/इस बीमार शहर में, पूरे आधे हम। (पंकज गौतम, रोशनी के शब्द)

पंकज गौतम उन्हीं में से एक हैं जो जिन्दगी के लगभग 40 पड़ावों के बाद भी पूरे समय अपने माहौल और देश की दुर्गति के माहौल से संघर्ष करते रहे हैं। उनका साथ देने वाले जैसे जैसे सुविधाओं को प्राप्त करते गए-एक एक कर साथ छोड़ते गए और पंकज जैसे सांपों की गलियों से तो निकल सके पर फिर विषधर चौराहे पर आकर जाम हो गए और आज भी पूरे या आधे रूप में अपनी स्थिति में रहकर भी संघर्ष को चुनते हैं। बीमारी का इलाज करने के संकल्प के साथ वे भटकन दर भटकन को समझते हैं और जब समझते हैं तो दवा खोजने का प्रयास निश्चित है-

जीवन के प्रति उनका अटूट विश्वास है । वे संबंध रखते हैं मानवीय साहस की जनवादी परंपरा से। उनके गीत आज यथार्थ के ठोस धरातल की परंपरा में कड़ी जोड़ते हैं।

यहां प्रश्न सिर्फ 'तुकांत और अतुकांत कविता' का ही नहीं है बल्कि प्रश्न है कि छंदमुक्त कविता पाश्चात्य का अंधअनुकरण है जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य और हमारी मौलिकता पर शनैःशनैः एक विराम देने की साजिश है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जिस तरह से यहां आमंत्रित किया जा रहा है, यदि हम नहीं चेते तो, एक समय आएगा जब हमारी कविता कहानी उपन्यास उन्हीं का प्रायोजित लेखन बन जाएगा। मुक्तिबोध भले मुक्तछंद की मुखियागिरी किए लेकिन जब उनकी पुस्तक 'भारत–इतिहास और संस्कृति' को मध्यप्रदेश की आजादी के बाद अपनी सरकार ने 19 सितम्बर 1962 को गैर कानूनी घोषित कर प्रतिबन्ध लगा दिया तब उन्होंने यही आशंका व्यक्त की थी–''पार्टनर यह मेरी या आपकी पुस्तक का मामला नहीं है मामला यह है देश में फासिस्ट ताकतें बहुत बढ़ गई हैं, वे आपकी कलम छीन लेंगी, आपके गले को दबाकर आपको बोलने नहीं देंगी। स्वतंत्र चिंतन को समाप्त कर देंगी .....'' गीतों नवगीतों के साथ मैं ऐसी संभावना का अनुमान लगा रहा हूं भले इसमें कुछ दशक लगे। इसलिए हमें जागृत होना आवश्यक है। डा. भवदेव पाण्डेय मानते हैं ''कि साहित्य की सभी विधाओं में वक्त को आकार देने और निर्भांत सच की प्रस्तुति की बैचैनी होती है। हालांकि समग्र सच की कल्पना संभव नहीं होती परन्तु साहित्य खंडितों को जोड़कर यथासंभव समग्र बनाने की कोशिश अवश्य करता है। इस कोशिश में जो विद्या जितनी कामयाब होती है वह कलानुवृत आदमी को उतनी ही संजीदगी से समग्र के नए रिश्तों से जोड़ती है। हिंदी की समकालीन कविता भी इसी भूमिका की तलाश में लगी हुई है। यह अपने वक्त का सरलीकृत तजुर्बा नहीं करना चाहती बल्कि नितांत जन के नए छोरों की तलाश में लगी है''। (उत्तरप्रदेश, जुलाई 98 पृ. 17)

वह यह भी मानते हैं कि '' साहित्य का इतिहास साक्षी है कि चाहे जो भी युग रहा हो, मानवीय संवेदना की रक्षा का दायित्व—निर्वाह पहले पहल कविता को ही करना पड़ा'' मैं समझता हूं कि गीतों ने या छंदबद्ध कविताओं ने कविता के जन्म काल से ही इस उत्तरदायित्व को निभाने की बखूबी भूमिका अदा की है। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रहीम या इनसे पूर्व के कवि भी इसके उदाहरण हैं। सृजन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक सुदृढ़ मार्ग होता है। बेलगाम संगठित हिंसा आधुनिक यांत्रिक जीवन तथा स्त्री जाति का अपमान आज के साहित्य को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। छंदबद्ध कविताओं में इन विसंगतियों को दूर करने का सर्वाधिक प्रयास हुआ है और हो रहा है। शलभ श्रीराम सिंह इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आज ''गोर्की'' के इस प्रश्न का जवाब हमें देना है कि ''आज के लेखक कवि किसके पक्ष में हैं—नाजियों और फासीवादी शक्तियों का समर्थन करते हुए नष्ट हो जाने के लोकतंत्र या समाजवाद की हिफाजत के लिए हथियार उठाने के ?'' क्योंकि इतिहास साक्षी है कि स्पेन के तानाशाह 'फ्लैंकों'

ने जनता द्वारा निर्वाचित सांसदों को जब सत्ता सौंपने से इंकार कर दिया था तब लोकतंत्र के स्थापनार्थ डेविड गेस्ट, काडवेल, लोर्की, राल्फफाक्स, स्टीफन स्पिन्डर, आदि रचनाकारों ने गृहयुद्ध में सक्रिय भागीदारी की। स्थिति आज भी वही है। सियासती मुखौटा और लोकतंत्र नष्ट करने का रूप जरा इलाक्ट्रानिक्स युगीन है। लाठी न टूटे सांप भी मर जाए। और हम हैं कि किसी और बहस में बझे हैं। गीत इस चिन्ता को व्यक्त करते हैं। (रामकुमार कृषक, फिर वही आकाश पृ. 48) शलभ श्रीराम सिंह ने आह्वान किया—

सुनो कि आ रहे हैं हम
तुम्हें बता रहे हैं हम
सवाल से जुदा जुदा
हैं रास्ते जवाब के
भटकं न जाय साथियो
कदम ये इनकलाब के

बहे अगर खिलाफ तो हवा का रुख बदल दे तू
जो सांप फन उठाते हैं तो उनका फन कुचल दे तू
जरूरतन जमीन को सरों से दोस्त पाट दो !

(शलभ श्रीराम सिंह, निगाह दर निगाह पृ. 18-19)

कविता की नीचे से दूसरी पंक्ति के अर्धांश में ऐन्द्रिक बिम्ब है। फन उठाते हुए सांप के भूमिकरण में जो गत्यात्मकता है वह गत्यात्मकता फन कुचलने में है। इस तरह पूरा बिम्ब क्रियाशील है। काव्यगत,विद्यागत संवेदनात्मक उद्देश्य, सामाजिक समस्याओं के निदान में जिस अतुकांत कविता की वकालत होती है ये गीत, उससे बहुत ऊपर जाकर सोचते हैं और शलभ तो वर्गचेतना को भी अलग मानते हैं। शत्रु की पहचान भी अलग रखते हैं। उनका तो मानना है कि जो भी इनसानियत के खिलाफ भूमिका अदा करता है वह वर्गशत्रु है। उनका विश्वास है कि —"अत्याचारों के होने से/लोहू के बहने चुसने से/बोटी बोटी नुच जाने से/किसी देश या किसी राष्ट्र की/कभी नहीं जनता मरती है"। औरत, बगावत और कुदरत तीनों गुणों को समेटे शलभ जनता के कवि रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जनता के समक्ष रोजगार, रोटी, पानी, बिजली, दवा, सुरक्षा और आवासीय—सर्वोपरि समस्याएं हैं जिनके लिए सरकार के पास लाठी गोली, उपेक्षा, गलत लाइसेंस, दवा एवं खाद्य पदार्थों में मीठे जहर की मिलावट और अवैध हथियार के जखीरे के लिए अवैध छूट है। गीतकारों ने इन सारी विद्रूपताओं का खुला विरोध किया है—कर रहे हैं—खुलासा किया है इन सारे रोगों का। रामकुमार कृषक जीवन की सच्चाइयों से यथार्थत: आंखें चार करते रहे हैं और कहते हैं "पेट भरने के लिए करना/और करना

काटने के वास्ते/एक होकर भी अलग कितने/ये कितनी दूर हैं/दोनों कमाऊ रास्ते/हम उगें हर खेत/बैठे आप चरते हैं.....(फिर वही आकाश पृ. 48) और इसीलिए व्यंग कसते हैं—

धन्न कुर्सी का कलेजा
धन्न इत्ते लोग
पंचसाला जोग। (फिर वही आकाश पृ. 55)

कृषक आश्चर्य व्यक्त करते हैं—फिर वही आकाशवाणी फिर वही आकाश/धूल का उपहास। हालांकि उनका संकेत सही है कि धूल पर भी लातें मारने पर समयगत अपने शिल्प से धूल सर चढ़ जाती है। और वे अपने ग्रामीण वातावरण को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर कहते हैं—"एक गन्ना चूसकर हम इस शहर में गांव जी लेगे/कि अपना नाम जी लेंगे।" और साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाते हैं—

हम पसीने को वरेंगे
कलम को उर्वर करेंगे
आप मत लिखिए पसीना
और गंधातीत हो लीजै
आप मत लिखिए समय को
और समयातीत हो लीजै।

(फिर वही आकाश पृ. 103)

तार सप्तक के गीतकार कवियों की मैं यहां चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनमें से बहुतों ने खुले आम अपने को गीतों से अलग घोषित कर लिया परन्तु केदारनाथ अग्रवाल जैसे भी लोग हैं जो मूलत: छंदबद्ध कविता के हिमायती अधिक रहे। आखिर क्यों?

साहित्य या समकालीन साहित्य वस्तुत: वह मानवीय भावनाओं को परिष्कृत करता है, सुरुचि पैदा करता है, चरित्र निर्माण के साथ चरित्र में स्निग्धता भरता है और इस प्रकार वह हमें सुसंस्कृत भी करता है। सिनेमा के गीतों में मात्र व्यावसायिकता एय्याशी, कलम की वेश्यावृत्ति की दुर्गन्ध आती है। पर गीतों नवगीतों में साहित्य के उपर्युक्त गुण समाहित हैं।

झोंपड़ पट्टी फुटपाथों पर
छाले अंखुआए हाथों पर
बचपन, पीठ लदी है बोरी
कचरा नाली का,
संसद बस आंकड़ा देखती
है, बदहाली का।

("जिन्दगी धुंआ हुई" राघवेन्द्र प्रताप सिंह)

इस पुस्तक में भी युगीन समस्याओं की नब्ज पर हाथ रखे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खतरे सहित तमाम अन्य विसंगतियों के खतरे के प्रतिचिंता हैं।

देवेन्द्र शर्मा इन्द्र ने सात सात दोहाकारों को लेकर दोहासप्तपदी का आयोजन किया। किस लिए? किस विद्या के समर्थन में? छंदशास्त्र का ज्ञान, छंदोबद्ध कविताओं का सृजन, छंदोबद्ध विधाओं की पुनर्वापसी और मानवी संवेदनाओं को वहन करने वाली विधाओं की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने यह स्तुत्य कार्य किया है।

समय को समेटने में सक्षम गीतों नवगीतों की कमी नहीं है और अब इसी कड़ी में दोहे भी जुड़ते चले जा रहे हैं। बस उन्हें बटोरने की आवश्यकता है। डा. राजेन्द्र गौतम ने यह सिद्ध कर दिया है कि—पंख होते हैं समय के और उस समय को समेटना खेल नहीं। चांदनी की गंध से है भर गया आकाश/अधलिखा जो गीत था कल/मेज पर छोड़ा/छंद उनमें जा सकेगा/अब नया जोड़ा/हो गई इतनी युवा अब सर्जना की प्यास। सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प यदि पास हैं तो समय को आसानी से गीतों/नवगीतों में समेटा जा सकता है। हालांकि समय कभी एक फुनगी पर आज तक कहां ठहरा है। ''हर ओर आदम खोर/चीते बाघ रहते हैं/कैसे भला होगा यहां/निश्चिंत हो घूमे/हर झाड़ में दुबके विषैले नाग रहते हैं''। संस्कृति और भाषा से सरोकारी कवि सदैव मानव मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहा है और वह सावधान भी करता है—

ओ उपासक रोशनी के सुन
अंधकारों से तो लड़ना सीख ले।
.....
सत्य के ओ मौन साधक सुन
झूठ का प्रतिरोध करना सीख ले।
.....
जिन्दगी के ओ प्रशंसक सुन
वीरता की मौत मरना सीख ले।
हिंसकों के दांव पढ़ना सीख ले।

(विनोद तिवारी ''साक्षात्कार'' अगस्त 2000 पृ. 45)

और फिर एक आश्वस्तता एक सृजनात्मकता उदाहरण कि—

धूल में मिल के सृजन का गीत नन्हीं बूंद गाती है

(विनोद तिवारी ''साक्षात्कार'' अगस्त 2000 पृ. 44)

कविता, गीत, नवगीत, आदि की संवेदना के भूगोल, उसके यथार्थ का परिसर, उसमें मूर्त संबंधो की जटिलता और सूक्ष्मता का संसार व्यापक हो रहा है। शायद यही कारण है कि नरेन्द्र

शर्मा स्वीकारते हैं कि "अत्यधिक आग्रह के साथ लिखी जाने वाली विदेशी शैली की कविता के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रियावश मैं इधर अधिकतर छंदोबद्ध कविताएं ही लिख रहा हूं।" (हिंदी साहित्यकारों के साक्षात्कार पृ.-195) और इसी पुस्तक में भवानी प्रसाद मिश्र आशा प्रकट करते हैं कि "जितना गहरा कूप खुदे, उतना मीठा जल, आज नहीं तो कल"।

आजादी की स्वर्ण जयंती गुजर गई परन्तु छंदो के माध्यम से ही कितनी कड़वी बात कवि कर जाता है जिस पर विचार जरूरी हो जाता है—

"अब पेट खलाए फिरता है
चौड़ा मुंह बाए फिरता है
वह क्या जाने आजादी क्या
आजाद देश की बातें क्या"

(केदारनाथ अग्रवाल, मधुमती, जून-2000 पृ.-24)

तथाकथित कविता हमें चौराहे पर खड़ा कर देती है, रास्ता नहीं बनाती जबकि गीत सही मार्ग की ओर सिगनल देते हैं। उदाहरणार्थ "वह चिराग कैसा चिराग/जिसमें रोशनी ही नहीं और प्रगतिशील जनवादी तत्वों की/अब हवा चली है। हममें, तुममें सब जन में/असली समझ बनी है सकारात्मक दृष्टिकोण ले/मुक्ति/विचरण करेगी"।

(गुम हवा कुछ करेगी पृ. 91, 94 लालसा लाल तरंग)

समय को समेटने आज की सभ्यता पर कितनी पैनी दृष्टि कवि रखता है और उसका अन्तर्मन कितना आक्रोशित सा लगता है—

"अपना ही मुंह रही खरोंच
नाखूनी सभ्यता खड़ी
पुष्टिपत्र मौत का लिए
जीवन की जांचती घड़ी"

(सुर्खियों के स्याह चेहरे-पृ.-27 रामकुमार कृषक)

और सावधान करने का एक अत्यंत स्पष्टवादी तथा भावी अन्देशों में डूबा आह्वान———

सावधान, खतरनाक कुत्तों से/कोठी के।

————————————————

अनचीह्नी गर्दन को टोह रहे होंगे वे
नथुनों से दांतों से खींच रहें होंगे (वही, पृ.-61)

विसंगतियों के संदर्भों को रेखांकित करते हुए कुमार वीरेन्द्र कुछ ऐसे ही चैलेन्ज कबीर के नाम देते हुए आज के इंसानों, उनके पुरुषार्थों और उनके तथाकथित आधुनिकरण पर व्यंग्य कसते हैं ''कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन सुने अब ..... असली नकली के अन्तर को कौन गुने अब'' 'राम रहीम' कहां के मालिक/कहां लाल लाली/सबके हाथ भरे सपनों से/आंखें सब खाली/नए समय के देवों को अवरोधों कबिरा/तो जानें। (वागर्थ-63 पृ.-61)

पूर्वाग्रह, अवसरवादिता, मठाधीश, आन्दोलनी मुद्रा और सम्मान का मुद्दा न मानकर अत्यंत निरपेक्ष, सात्विक शाकाहारी, और युगीन ईमानदारी से देखा जाए तो गीतों, नवगीतों में प्रकृति, करुणा, प्रेम, सौन्दर्य बोध, मानवीयता, भ्रष्टाचार और समाज की राक्षसी प्रवृत्तियों से सतत् संघर्ष का साहस है। दिगबंर कविता के स्तंभ तेलुगू कवि निखिलेश्वर भी मानते हैं ..... ''तेलुगू में लोग पद्य गाया जाना और सुनना पसंद करते हैं'' आखिर क्यों ?

(निखिलेश्वर से बातचीत——— गोलकुण्डा दर्पण मई—2000)

''हार नहीं मानूंगा
रार नहीं ठानूंगा
काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं
गीत नया गाता हूं
या
आखिर सहने की भी सीमा होती है
सागर के भी उर में ज्वाला होती है।''

(मेरी इक्यावन कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी)

मैं कहना चाहता हूं कि थोथी दलीलें और अतुकांत लिखा अब तुकांत या छंदोबद्ध की कैसे वकालत करूं, या फिर किसी साहित्यिक आतंक को त्याग कर यह स्वीकार करना आज की और आने वाले कल की आवश्यकता है कि हम तर्कों के आधार पर, साहित्य सृजन के आधार पर यह मानें कि—''गीत विश्वसनीय हैं'' गीत संप्रेषणीय हैं, गीत साहसिक और उत्प्रेरक हैं, गीत जगाने वाले तत्व हैं, गीत झकझोरने वाले हैं। गीत मानव मुक्ति की चिंता कर रहे हैं। गीत और छंद समष्टिवादी और हितैषी हैं। छंदोबद्ध कविताएं जीवन से अनुभव प्राप्त कर मानव जीवन की चिंता निवारण का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं।''

राधिका निवास, भोलाघाट मार्ग, एलवल, आजमगढ़

हिंदी भाषा साहित्य में मिथक

—डा. पी.के. खरे

किसी भी साहित्य की सर्जना में सत्य और कल्पना के अतिरिक्त और भी तत्व सक्रिय रहते हैं, उन तत्वों में पुराकथा एवं फैंटेसी का प्रमुख स्थान है। इस पुरा कथा में कोरी कल्पना ही नहीं होती बल्कि यह लोकानुभूति से संश्लिष्ट हुआ करती है और अलौकिकता का आभास देती रहती है। अलौकिकता से आपूर्ण होने पर यह तर्कों पर आश्रित नहीं रहती। इन कथाओं की सृष्टि के पीछे कुछ आदिम विश्वास होते हैं जो कालान्तर में अंधविश्वास का रूप धारण कर लेते हैं। उन विश्वासों की व्याख्या दुरूह हो जाती है और वे एक धुंधलके में आच्छन्न हो जाते हैं। ऐसी कथाओं ओर विश्वासों को मिथक कहा जाने लगा। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द से बना है। किन्तु हिंदी में प्रयुक्त होकर इस शब्द ने नया कलेवर धारण कर लिया है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में मिथक अब एक ऐसा तत्व है, जो भाषा को व्यापक आयाम देकर रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता और विलक्षणता प्रदान करने में समर्थ है। प्राचीन साहित्य में उपलब्ध देवता, राक्षक, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि के संदर्भ, मिथक के अंग बन गए हैं। इस प्रकार मिथक का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और इसके अंग उपादान असीम हो गए हैं। जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने मिथक की परिभाषा देते हुए लिखा है कि "अपने उच्चतर अर्थ में मिथक वह शक्ति है, जो मानव चित्त के हर सम्भव मानसिक, क्रियाकलाप में भाषा द्वारा प्रत्युत्पादित होती है। मिथक तत्व भाषा की भांति ही मनुष्य की निश्चित सर्जना शक्ति का विलास है। मिथक वस्तुतः उस सामूहिक मानव की भावनिर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है, जिसे कुछ मनोवैज्ञानी आर्किटाइपल इमेज (आधविंव) कहकर संतोष कर लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आदिम मानव ने अपने अंतर की अभिव्यक्ति के लिए मिथक को ही सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषणीय तत्व माना होगा किन्तु जैसे जैसे भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती गई, प्रतीक विधान तथा बिम्ब योजना पुष्ट होती गई, मिथकों का प्रयोग इस रूप में नहीं रह गया। पौराणिक कथाएं निजंधरी कथाएं तथा क्षेपक एवं दंत कथाएं इस बात के प्रमाण हैं कि मिथक तत्व अपनी समस्त ऊर्जा के साथ किसी न किसी रूप में भाषा और साहित्य में जीवित हैं। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मिथक के सम्बंध में लिखा है कि "रूपगत सुन्दरता को माधुर्य (मिठास)" और लावण्य (नमकीन) कहना बिलकुल झूठ है, क्योंकि रूप न तो मीठा होता है न नमकीन लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, क्योंकि अन्तर्जगत के भावों को बहिर्जगत की भाषा में व्यक्त करने का यही एक मात्र उपाय है। सच पूछिए तो यही मिथक तत्व है। ..... मिथक वास्तव में भाषा का पूरक है। सारी भाषा इसके बल पर खड़ी है। आदि मानक के चित्त में संचित अनुभूतियां मिथक के रूप में प्रकट होने के लिए व्याकुल रहती है। ..... मिथक वस्तुतः उस

सामूहिक मानव की भावनिर्मात्री शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे कुछ मनोविज्ञानी आर्किटाइपल इमेज (आधविंव) कहकर संतोष कर लेते हैं।[2]

आधुनातन खोजों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मिथक साहित्य कपोल-कल्पित नहीं है। इतिहास के साथ यह अपना रूप बदलता रहा है। सामयिक प्रभाव इसे विभिन्न युगों की सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और आयुर्वेदिक आदि अनेक संपदाओं से आपूरित करता रहा, इस परिवर्तनशीलता के आवरण नित्य बदलते हुए भी भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व उसमें आरक्षित हैं। मिथक का लौकिक अंश इतिहासानुशासित होने पर भी अलौकिक पक्ष यथावत बना रहता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति की मूलभूत चेतना निरन्तर पल्लवित होती रही।

लंदन विश्वविद्यालय के डॉ. पामेल एल. राबिन ने खोज करके बतलाया कि यूरोप अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाने वाले जीवाश्मों की समानता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि सात करोड़ वर्ष पूर्व में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। जिन मिथक सम्बन्धी घटनाओं को जैसे प्रलय फिर पुनः सृष्टि की रचना कपोल-कल्पित कहा जाता है करोड़ों वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने एक साथ झेली होगी जिनका अंकन प्रायः समस्त देशों के साहित्य में एक ही प्रकार से किया गया है। धीरे-धीरे भौगोलिक पृथकता के साथ-साथ उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों से समझौता करते हुए सभ्यता, संस्कृति, रहन-सहन आदि सभी कुछ अलग होता गया और मिथकों का स्वरूप भी परस्पर बदलता गया।[3]

समुद्र मंथन की प्राचीन कथा में समुद्र मानस अथवा हृदय वाचक शब्द का प्रतीक है। उसकी अच्छी बुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष देवासुर संग्राम के रूप में अभिव्यक्त है। इसी प्रकार भगवान शंकर का तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देना वास्तव में कल्याणकारी भावना के अवरोधक ''काम'' (वासना) भाव को नष्ट कर देना ही है।

लिपि से पूर्व ''श्रुति'' और ''वाणी'' की परम्परा ने ही वेदों को सुरक्षित रखा। वाणी में गति या लय की ऋग्वेद व सामवेद की ऋचाएं इन्हीं लयात्मक स्वरों में गूंजती रही वैदिक कालीन मिथक अपने समस्त प्राकृतिक तत्व चेतन और दिव्य रूप में प्रकट हुये। वे ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक थे। परवर्ती ग्रन्थों में उनका स्वरूपा ख्यान मानवों के रूप में होने लगा। वैदिक साहित्य में भी कुछद प्रक्षित अंश बाद में जोड़े गए। रामायण का उत्तर कांड भी ऐसे विवाद का विषय है। महाभारत पहले मूलतः जय था फिर भारत अंत में महाभारत बना। उसका वर्तमान स्वरूप जय के के समय-समय पर किए गए वर्धन का परिणाम है। इस प्रकार मिथक साहित्य देशीय इतिहास के साथ-साथ अपना स्वरूप बदलता गया।

उत्तरोत्तर भारत में विदेशी सत्ताओं के संघर्ष तथा आगमन के साथ-साथ मिथक साहित्य परम्परा पर भी विदेशी संस्कृति का प्रभाव समय-समय पर पड़ता गया। इसी कारण वैदिक और

औपनिषदिक काल में रची गई वे मिथक कथाएं जो नैतिकता पर अंकुश लगाती थी विदेशी संस्कृति के प्रभाव में आकर अपना रूप बदलती गई। ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक देवता परवर्ती ग्रन्थों में चारित्रिक विघटन ग्रस्त प्रदर्शित किए गए। चारित्रिक पतन के साथ-साथ उन्हें अनेक शापजनित कष्ट सहते दिखाकर भारतीय संस्कृतिजन्य आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार सांस्कृतिक अवधारणाओं की धुरी पर टिका हुआ मिथक साहित्य निरन्तर परिवर्तन शील बना रहा।

भारतीय दार्शनिक परम्परा ने चिंतनशील मानव समाज को आत्मचिंतन के प्रति जागरूक रहकर आम्तिक विकास के लिए प्रेरित किया। समय समय पर चिंतन धारा के कोण भले ही बदलते दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु दार्शनिक विचारधारा आस्तिकता, नैतिकता तथा अध्यात्म की आधार शिला के रूप में दृष्टव्य है। मिथक साहित्य में दर्शन के विविध रूपों को आख्यानों के माध्यम से आरक्षित रखा गया है। कहीं कहीं तो मिथक के माध्यम से ही दार्शनिक विचारों का क्लिष्ट रूप सर्वसुलभ हो पाया है। जैसे नचिकेता के माध्यम से संसार की निस्सारता, मुंडकोपनिषद में पक्षी युगल के माध्यम से जीव और आत्मा, देवासुर संग्राम के माध्यम से हृदय जन्य सुवृत्तियों और कुवृत्तियों का संघर्ष सहज रूप में अंकित है। राजा अलर्क की कथा जीवन के प्रति अनासक्ति पर प्रकाश डालती है। दार्शनिक परम्परा ने भारतीय समाज की चिन्तन धारा पर आध्यात्मिक अंकुश लगाए रखने का कार्य किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा बहुत ही सशक्त माध्यम है। ज्यों-ज्यों भावों में गहराई आती जाती है, भाषा को तरह तरह के साधन जुटाकर अपना स्वरूप साशक्त करना पड़ता है। बोलते समय तरह तरह की भाव-भंगिमाएं, स्वर का उतार चढ़ाव उसकी कमी को पूरा कर देते हैं किन्तु लिखित रूप में इन सबकी गुंजाइश नहीं रहती। सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्थूल प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। प्रतीक योजना मनुष्य की इन्द्रियों के भोग्य विषयों में सिमटी रहती है। अधिकांश मिथक कथाएं भावनात्मक प्रतीकों की सुन्दर योजना जान पड़ती है। वास्तव में मिथक साहित्य बहुविध प्रतीकों की अनुपम-निधि है।

सांस्कृतिक प्रहरी मिथक कथाएं जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेटे रहती है। काल और वातावरण बाह्यस्वरूप को बदल सकते हैं, किन्तु मानव समाज की अन्तर्वृत्ति में परिवर्तन नहीं ला सकते। मिथकों का निर्माण अनायास नहीं होता। वे चेतन और अवचेतन मन की क्रियाओं. प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मिथक वीथिका के दूसरे छोर से लेकर वर्तमान प्रवेश द्वारा तक आवरण, रंग, स्वरूपगत परिवर्तन शीलता भले ही आभासित हो, किन्तु वे मानव की मूल अंतश्चेतना का निरन्तर द्योतन करती रही है। उन्हें देशकाल और वातावरण में आबद्ध नहीं किया जा सकता। उनकी महत्ता सार्वभौमिक है, क्योंकि उनके स्वर की गूंज किसी भी संस्कृति से क्यों न जुड़ी हो-नैतिकता का प्रसार करती है। समय समय पर जन्म लेने वाले मिथक जीवन के किसी भी अंश को अछूता नहीं छोड़ते।

मिथक साहित्य में स्वर्ग, नरक का भौगोलिक स्वरूप, नागलोक, यक्ष-लोक किन्नर लोक, गंधर्व लोक सभी कुछ हमें देखने को मिलता है। अरब के इतिहासकार ओलासीनिज्म के अनुसार विश्वसंगीत की जननी बुलबुल नामक चिड़िया थी। उसके स्वर से चमत्कृत होकर आदिम मानव ने उसकी चहक की प्रतिकृति के रूप में संगीत का विकास किया।

धार्मिक विचार धारा के अनुसार ब्रह्मा ने संगीत को खोजा तथा शिव को प्रदान किया। भगवान शंकर ने उसे सरस्वती तक पहुंचाया। इस प्रकार वीणा तथा पुस्तक धारिणी सरस्वती चिरकाल से संगीत, साहित्य कथा कलाओं की अधिष्ठात्री का कार्यभार संभाले है। संगीत का प्रसार करने में नारद की प्रतिष्ठा की गई।

श्री दामोदर पंडित ने संगीत की उत्पत्ति विभिन्न जीवों के स्वरों से मानी है। सप्त स्वरों का जीव अंकन करते हुए उन्होंने कहा है कि मोर से षड़ज, चातक से ऋषभ, बकरे से गांधार, कौए से मध्यम, कोयल से पंचम, मेढक से धैवत् तथा हाथी से निषाद स्वर की उत्पत्ति हुई। मिथक कथाओं से स्पष्ट होता है कि नारद ने गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं आदि तक संगीत पहुंचाया। उन्होंने रुद्र वीणा के पाचं स्वर विस्तृत किए जिनमें संगीत का प्रसार हुआ।[4]

हिंदी भाषा साहित्य का प्रादुर्भाव और विकास निरन्तर मिथकों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये साहित्य को नए नए आयामों से विभुषित करते है। अमूर्त सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए बिम्ब का कार्य करते हैं। नैतिकता को आरक्षित करने के लिए वे अंकुश बन बैठते हैं। लोकमंगल के उदात्त आदर्शों को पुष्ट करने का लक्ष्य होने के कारण ये मिथक कथाएं अनुकूल मार्ग की ओर निरन्तर बढ़ती रही है। समाज में बिखराव, उदासीनता, अनाचार पर अनुशासन की डोर थामने वाले मिथक किसी भी युग में साहित्य के लिए अप्रांसगिक नहीं रहे। सामाजिक चेतना की राहों के साथ बढ़ती पौराणिक गाथाएं समाजनुकूल रूप धारण करती रही हैं।

हिंदी भाषा के आदिकालीन साहित्य में नाथपंथियों के हठयोग, वाममार्ग तथा तंत्र-मंत्र का प्रचार हुआ। इस धारा के महत्वपूर्ण संत गौरखनाथ थे। इनकी रचनाओं में गुरूमहिमा, इंद्रियनिग्रह, वैराग्य, समाधि हठयोग एवं ज्ञान योग आदि विभिन्न तत्वों का अंकन उपलब्ध है। इनके सम्प्रदाय को सिद्धों और नाथों के सम्प्रदाय से जाना जाता था।

पूर्व मध्यकाल तक पहुंचते पहुंचते इस सम्प्रदाय की रचनाओं ने संत काव्य धारा का रूप धारण कर लिया। इन संतों ने हर भाव और क्रिया को तर्क की कसौटी पर कसकर ग्रहण किया। ये निर्गुण, ज्ञान मार्गी भक्त थे इनमें कबीर, रैदास, नानक देव, जम्भनाथ, हरिदास, निरंजनी, सींगा, लालदास, दादूदयाल मलूकदास, बाबालाल आदि थे। ये सभी अंध-विश्वास, जाति विशेष के कर्मकाण्ड, आडम्बर के सख्त विरोधी थे। इनका अवतारवाद में तनिक भी विश्वास नहीं था, फिर भी ये मिथकों की तिलांजलि नहीं दे पाए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कबीर को ही माना जाता है। भगवान विष्णु की महत्ता स्वीकार करते हुए उनके चरण से उत्पन्न गंगा की कथा को कबीर ने

ग्रहण किया है। विष्णु की नाभि से कमल निकला जिस से ब्रह्मा का जन्म हुआ। प्रभु भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, गोविन्द संसार के गुरू हैं। वे कहते हैं कि—

जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग रे।
कहै कबीर हरि भगति बांडू जगत गुरू गोव्यंदरे॥[5]

नि:संग कवि होते हुए भी कबीर मिथक कथाओं को अपने से अलग नहीं कर पाए। उन्होंने प्रहलाद और नरसिंह अवतार की पौराणिक गाथाओं के माध्यम से मानव मन में सर्वशक्ति सम्पन्न ब्रह्म के प्रति आस्था का बीज बोने का प्रयत्न किया।

तव काढ़ि खडग कोध्यो रिसाई, तोहि राखन हारौ योहि बताई॥
खंभा में प्रगटयौ गिलारि, हरनाकुस मारयौ नरव विदारि॥
महापुरूष देवाधिदेव, नरस्पंध प्रगट कियो भगति भेव।
कहै कबीर कोई लहै न पार, प्रहलाद उबारयौ अनेक बार॥[6]

महात्मा कबीर की वाणी से स्पष्ट होता है कि वे तीनों देवों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) में से विष्णु को विशेष महत्ता प्रदान करते हैं। कबीर के अनुसार शिव तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण से युक्त हैं।

रजगुन ब्रह्मा, तमगुण संकर, सतगुन हरि है सोई।
कहे कबीर एक राम जपडु रे, हिंदु तुरक न कोई।[7]

कितेक सिव संकर गए ऊठि
राम समाधि अजहूं नहीं छूटि
प्रलैकाल कहू कितेक भाष, गए इंद्र से अगणित लाष।
ब्रह्मा खोजि परमौ गहिनाल, कहै कबीर वै राम निराल॥[8]

इस प्रकार कबीर ने इन्द्र, नारद, कृष्ण उद्धव, अंकुर, शंकर, राजा अंबरीष आदि अनेक मिथकों के चरित्रों का सविस्तार वर्णन किया है। अवतारवाद से मूर्तिपूजा तक उनका हमेशा वैचारिक विरोध रहा है, फिर भी रुक्मणी, तुलसी, मदन आदि मिथकीय पात्रों के बारे में उन्होंने लिखा है।

इहि वनि बाजै मदन भेरि रे, उहि वनि वाजै तूरा रे।
इहि वनि खेलै राही रूकमनि, उहि वनि कान्ह अहीरा रे॥
आसि पासि तुरसी कौ विरवा, मांहि द्वारिका गाऊ रे।
तहां मेरो ठाकुर राम राई है, भगति कबीरा नांऊ रे।[9]

भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अंवरीष, राम के जीवन से संबद्ध शबरी आदि की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि—

राजा अंबरीष के कारणि, चक्र सुदर्शन जारै।
दास कबीर को ठाकुर ऐसो, भगत की सरन उबारै।[10]

राम भजन से भीलनी और गणिका भी संसार-सागर तर गई, पत्थर भी तैरने लगे। महात्मा कबीर के निर्गुण राम होते हुए भी कहीं-कहीं पर सगुण रूप में भी हमें दिखलाई देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम के पास शेषनाग भी रहते हैं। गरूढ़ और लक्ष्मी सदैव उनके चरण कमलों के पास सेवा करती रहती है, किन्तु भगवान की गति को वह भी नहीं जान पाते। विष्णु को नारायण, गोविन्द, मुकुन्द आदि नामों से स्मरण करते हैं। उन्होंने विष्णु की अवतारी लीलाओं के साथ-साथ निर्गुण, ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप को दृश्यमान जगत का निर्माण कर उसकी ओट में छिपे रहने वाला माना है।

लोग कहै गोवरधन धारी, ताको मौहि अंचभौ भारी।
अष्टन्कुली परवत जाकै पग की रैना, सातो सामर अंजन नैना।
ए उपमा हरि किती एक औपै, अनेक मेर नरव ऊपरि रोपै॥
धरनि अकास अधर जिनि राखी, ताकि मृगथा कहै न साखी।
विस विरंचि नारद जस गावै, कहै कबीर वाको पार न पावै॥[11]

भजि नारदादि सुकादि वंदित, चरन पंकज भामिनी।
भजि भजिसि भूषन पिया मनोहर, देव देव सिरोवनी॥[12]

महात्मा कबीर कहते हैं कि भजन के प्रताप के बल पर ही पत्थर जल पर तैरने लगते हैं। भीलनीशबरी और गणिका तक को प्रभुभक्ति के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हुई।

भजन को प्रताप ऐसो, तिरे जल पाषान।
अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात बिवांन॥[13]

इस प्रकार हम देखते हैं कि हृदय में अन्तर्निहित अमूर्त सूक्ष्म भावों को भाषा में अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम मिथक ही रहे हैं, भाव चाहे ज्ञान के हों, वैराग्य के हों, भक्ति के हों, कर्तव्यबोध, इच्छा के हों, प्रेम सौन्दर्य रोमांस पैदा करने वाले हों, बिना मिथकों के हम इनको सही रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। विश्व भाषा का साहित्य इनके बिना अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। डॉ. नगेन्द्र ने इसके सम्बन्ध में कहा है कि "मिथकीय समीक्षा की एक विशेषता यह है कि वह साहित्य को मूलतः कला मानते हुए भी जीवन के साथ उसके अनिवार्य सम्बन्ध को मुक्तभाव से स्वीकार करती है। रचना का कलात्मक स्वास्थ्य उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता, फिर भी मानव वृत्तियों के व्यापक परिपेक्ष्य में ही वह उसकी व्याख्या करती है। साहित्य की स्वतंत्र सत्ता में उसका पूरा विश्वास है"।

79, विधा नगर, सावेर रोड, उज्जैन (म.प्र.)

—तपस्विनी स्वयंप्रभा वाल्मीकि तथा तुलसी की दृष्टि में—

—डॉ० राजकुमारी शर्मा 'राज़'

महामना तुलसीदास का '**रामचरितमानस**' ब्रह्म-तत्व, जीव-तत्व एवं जगत्-तत्व संबंधी रहस्यात्मक अभिव्यक्तियों का आधार-ग्रन्थ है। रहस्यात्मक अभिव्यक्तियों का उद्‌बोध हमें मानस में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है। 'जो सुमिरत-सिधि होय' 'मंगलानां च कर्त्तारौ बंदे बाणी बिनायकौ यहां 'सिधि-होय' से तात्पर्य चतुर्दश सिद्ध-विद्याओं से है। यह समस्त विद्याएं साधक-साधिकाओं के लिए उत्कृष्ट विद्या की उपलब्धि प्रदान करती हैं। इन समस्त विद्याओं की साधना से पूर्व गणेश का अभ्यर्थन आवश्यक है। सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक-साधना हमारे देश में आदि काल से होती चली आ रही है। परन्तु मानसकार ने ही अपने मानस में इसे उत्कृष्ट स्थान दिया है। यद्यपि तुलसीदास से पूर्व के साहित्य में भी कुछ सिद्ध योगियों के साधना करने के संकेत प्राप्त होते हैं। परन्तु वह अघोर पंथियों, नाथपंथियों, कनफटे योगियों एवं मसानिक औघड़ पंथियों का समुदाय था। जो ठीक नहीं था। परन्तु मानस में इसके उत्कृष्ट स्वरूप के दर्शन होते हैं।

मानस का गहराई से अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि महाकवि ने मानस लिखने से पूर्व ही गणेशतंत्र का आधिकारिक रूप से अध्ययन किया था। तभी उन्होंने रामचरितमानस में उसी क्रम को रखते हुए अपने तांत्रिक ज्ञान को जगह-जगह उकेरा है।

शक्ति-तत्व एवं विद्या-तत्व, तांत्रिकों के रहस्यात्मक तथ्यों के साक्षात्कार के परमावश्यक तत्व माने गए हैं। तुलसीदास ने इस रहस्य का उद्‌घाटन अपने मानस में 'सीय राममय सब जग जानी' पंक्तियों के द्वारा किया है। सीता शक्ति-तत्व तथा राम विद्यातत्व के प्रतीक हैं।

शक्ति के दो रूप होते हैं—सौम्य रूपा एवं असौम्य रूपा। सौम्य रूपा शक्ति अपार सौंदर्य एवं आकर्षक रूप धारण करने वाली होती है। राम सौम्यरूपा शक्ति के प्रभाववश ही सर्वोत्तम नरश्रेष्ठ का रूप धारण कर लेते हैं। किष्किन्धाकांड के प्रारम्भ में ही 'मायामानसरूपिणौ रघुवरौ' के द्वारा इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त किया है। राम माया शक्ति से समन्वित हैं। इसीलिए समस्त चराचर जगत् को मोहित कर लेते हैं। मायारूपा शक्ति जब सौम्य रूप में प्रतिष्ठित होती है, तब जगत् में विभिन्न प्रकार की लीलाएं प्रदर्शित करने लगती हैं। लीलाएं प्रस्तुत करते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो शुद्ध माया ही संसार के तत्वों के मध्य व्याप्त होकर सत् एवं असत् रूपों को

दिखा रही हो। अनेक कौतुकों को उपस्थित करने वाला मायाकार (जागदूगर का) पुरुष का रूप धारण कर कौतुकपूर्ण एवं अद्‌भुत् लीलाएं राम प्रदर्शित करते हैं। जो वाणी एवं इंद्रियों से अगम्य हैं। जगत्-जननी की सौम्यरूपा शक्ति के कारण ही राम जगत में नरलीला करते हुए दिखाई देते हैं।

इन्हीं लीलाओं के अंतर्गत हनुमान कपिराज सुग्रीव का आदेश पाते ही अंगद, जांववान तथा समस्त बानरी सेना के साथ सीता की खोज़ में नदी, पर्वत, कंदराओं को अबाध गति से पार करते हुए चले जा रहे हैं, उन्हें प्यास लगती है। अत: हनुमान पानी की खोज में दौड़ते हुए किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ जाते हैं। वहां उन्हें किसी गुफा के मध्य एक कौतुक दिखाई देता है :—

'चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रबिसहिं तेहि माहीं॥'

किष्किन्धाकांड-दोहा-23.

चकबे, बगुले, हंस आदि पक्षियों को उस भूमि विवर में प्रवेश करते हुए देखकर सभी बानर सेना उस गुफा के निकट पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें एक उपवन, तालाब तथा एक मंदिर दिखाई पड़ता है। इस मंदिर में एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी दिखाई पड़ती है :—

दीख जाई उपबन बर सर बिगसित बहु कंज।
मंदिर एक रुचिर तहं बैठि नारि तप पुंज॥

किष्किन्धाकांड-दोहा-24

उस तपोमूर्ति स्त्री से सबने दूर से ही प्रणाम किया, तथा उसके पूछने पर अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब उस तपस्विनी ने कहा, जलपान करो, और तरह-तरह के रसीले सुन्दर फल खाओ। आदेश पाकर उन्होंने स्नानादि क्रियाएं करके, अनेक प्रकार के फल खाकर अपनी बुभुक्षा को शांत किया। इसके बाद समस्त बानर उसके पास आकर बैठ गए। तब उस तपस्विनी स्त्री ने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि मैं अब वहां जाऊंगी, जहां रघुनाथ जी हैं :—

'मन्जनु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चलिए आए।'
तेहिं सब आपनि कथा सुनाई। मैं अब जाब जहां रघुराई।'

किष्किन्धाकांड-दोहा-24.

अन्त में उस तपोमूर्ति देवी ने कहा जाओ अपने चक्षुओं को बंद करो, तब तुम इस विवर से निकल जाओगे। और आर्शीवाद भी दिया—घबराओ नहीं सीता को पाओगे। वीर बंदरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उन्होंने अपने आप को समुद्र के किनारे खड़ा पाया :—

'मूदहु नयन विवर तजि जाहू। पैहहु सीतहिं जनि पछिताहू।
नयन मूदि पुनि देखहिं वीरा। ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा॥'

किष्किन्धाकांड-दोहा-24.

इसके उपरांत तपस्विनी जहां रघुनाथ जी थे वहां गई। उसने श्रीराम के चरण-कमलों में अपना मस्तक नवाया और अनेक प्रकार से विनती की। भगवान राम ने उसे न मिलने वाली अटल भक्ति प्रदान की :—

'सो पुनि गई जहां रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा।
नाना भांति विनय तेहिं कीन्हीं। अनपायनी भगति प्रभु दीन्हीं।'

किष्किन्धाकांड-दोहा-24.

तत्पश्चात् वह तपस्विनी भगवान राम की आज्ञा को शिरोधार्य कर, दऔर रामजी के उन चरणों को जिनकी बंदना ब्रह्मा और शिवजी करते हैं, हृदय में रखकर बदरी बन को चली गई :—

'बदरीबन कहुं सो गई प्रभु आज्ञा धरि सीस।
उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस।।'

किष्किन्धाकांड-दोहा-25.

समस्त विश्व केवल शब्द मात्र में ही प्रतिष्ठित है। यानी सर्वत्र दृष्टिगोचरीभूतजगत् में शब्द की ही सत्ता है। साधना की दृष्टि से रामोपासना के विविध रूप हैं। इसीलिए 'शाब्दे ब्रह्माणि निष्णात: पर ब्रह्माधि-गच्छति।'' कहा जाता है। इस तरह समस्त जगत 'राम' शब्द में ही अन्तर्लीन है। राम शब्द में भी एकाक्षर मात्र निष्कर्ष रूप से प्रतिष्ठत है। वह है 'रा' यह एकाक्षर मंत्र समस्त प्रकार की सांसारिक तथा असांसारिक सिद्धियों का प्रदाता है। इसके एक लक्ष जप मात्र से प्राणी अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। 'राम' इस द्वय अक्षर मंत्र को प्रणव के साथ तथा मायाबीज, रमाबीज, कामबीज एवं वाकबीजों के साथ समन्वित कर देने से पटक्षर के रूप में परिणत हो जाता है। जिसकी साधना से बंधन-मोक्ष एवं अनेक सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तांत्रिक साधना का रहस्य इन्हीं एकाक्षर तथा द्वयाक्षर मंत्रों में सन्निहित है। जिस तपस्विनी का विवेचन ऊपर दिया गया है, वह एक तांत्रिक-साधिका थी, उसे अनेक सिद्धियां सिद्ध थीं। उसने उपर्युक्त एकाक्षर तथा द्वयाक्षर मंत्रों का ही अभ्यास किया था—बाद में उसे यह सिद्ध हो गए थे। इसी कारण उसकी गुफा के कौतुकपूर्ण दृश्य, जिसमें समस्त वानर सेना को आंख बंद कराकर पलक झपकते ही इच्छित जगह समुद्र के किनारे पहुंचा देना इत्यादि शामिल है।

इस तपस्विनी के बारे में तुलसीकृत रामायण में इतना विवरण ही उपलब्ध है। यहां पर हमें समस्त मानस में प्रयुक्त तांत्रिक संकेतों का उल्लेख अभिप्रेत नहीं है। वरन् किष्किन्धाकांड में वर्णित कौतुकपूर्ण गुफा तथा उसमें बैठी तपस्विनी पर ही विशद उल्लेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वाल्मीकि रामायण में, इस तपस्विनी के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। वहां इसका नाम 'स्वयंप्रभा' है। वाल्मीकि रामायण में भी 'स्वयंप्रभा' का राम से (कथानायक) सीधा

1942 HA/2002—3A

संबंध नहीं दिखाया है। एकान्त तपोवन में स्वांत: सुखाय साधना में लगी साधिका के रूप में स्वयंप्रभा को दिखाया गया है। वह अपने नाम के अनुरूप-अपनी ही साधना (प्रभा) की आभा से आलोकित थी न कि किसी के द्वारा प्रदत्त आभा से मंडित थी। सेल्फ-मेड थी।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की खोज में गए हनुमान तथा उनकी बानर सेना-खोजते-खोजते एक विचित्र गुहा में प्रवेश कर जाती है। घने जंगल, पहाड़ तथा कंदराओं में विचरण करते हुए वानर सेना को प्यास लगने लगी। उन्हें अपने आस-पास कहीं भी पानी दृष्टिगोचर नहीं होता। अचानक ही उन्हें एक गुहा से कुछ भीगे पंखों वाली चिड़िया बाहर निकलती दिखाई देती है। इस दृश्य को देखकर , हनुमान जो अपनी सेना में विवेक, बुद्धि और बल के लिए पहचाने जाते थे ने सोचा कि इस गुहा में अवश्य ही पानी होना चाहिए। हनुमान के कहने पर सभी वानर गुफा में प्रवेश कर गए। गुहा अत्यधिक अंधकारयुक्त थी। अत: सभी बानर एक दूसरे को सहारा देते हुए गुहा के अंदर जा पहुंचे।

इस गुहा में काफी दूर जाने पर उन्हें एक प्रकाश-पुंज दिखाई देता है। वे सोचने लगे कि हमें अवश्य ही किसी दैवी प्रेरणा ने इस रमणीक स्थल तक पहुंचाया है। जहां पर सुनहले रंग के पेड़ हैं, सुन्दर-सुन्दर फल तथा साफ स्वच्छ एवं मीठा जल प्रतीत हो रहा है। वे सब बैठकर विचार करते हैं कि इतना सुन्दर बन यहां छिपा हुआ है, न जाने इसे किसने लगवाया होगा। तभी एक तेजस्विनी तपस्विनी उन्हें दिखाई पड़ती है। उस तपस्विनी के चारों तरफ प्रकाश पुञ्ज (आभा मंडल) लहरा रहा था। उसी का नाम स्वयंप्रभा था। यद्यपि वह वल्कल तथा जटाएं धारण किए हुए है, फिर भी अध्यात्मिक तथा तांत्रिक सिद्धियों से युक्त होने के कारण उसका चेहरा ज्योर्तिमई आभा से दैदीप्यमान था।

स्वयंप्रभा एकांत और शांत वातावरण में अपने संयत-जीवन को बिताने वाली एक आश्रम-साधिका है जिसे अनेक सिद्धियां सिद्ध हैं। वह अपनी सुनहली गुहा महद् बन में रहती है। यह एक ऐसी गुहा है, जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। बाहर काजल की कोठरी के समान रहस्यमयी है। तंत्र-साधक तथा साधिकाओं के लिए ऐसे ही एकांत तथा शांत वातावरण की आवश्यकता होती है जिसमें बैठकर वह अपनी तांत्रिक साधना करते हैं। संसारी प्राणियों के लिए इधर आना भी दुष्कर है। गुहा के अन्दर जो प्रकाश पुञ्ज व्याप्त था तथा साधिका की साधना का प्रभाव जो चारों ओर फैला हुआ था, वह किसी को भी चौंका सकता है। काजल की गुहा के रास्ते से अन्दर जाने पर इतने अधिक प्रकाश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।

हनुमान स्वयंप्रभा से प्रथम अपने तथा अपने साथियों के बारे में बताते हैं कि हम राम काज हित, सीता की खोज में निकले हैं, और प्यास बुझाने के उद्देश्य से इस गुहा में पहुँच गए हैं। अत: पानी की चाहना के अतिरिक्त इस रहस्यमयी गुहा के बारे में जानने की भी हमारी जिज्ञासा है। तपस्विनी स्वयंप्रभा जो दया-करुणा की साक्षात मूर्ति के सदृश थी, ने पहले उनका स्वागत किया,

1942 HA/2002—3B

तथा उन्हें भूख-प्यास शांत करने के लिए वहां उपलब्ध सामग्री के उपभोग करने का आदेश दिया। बाद में आश्रम की कथा से उन्हें परिचित कराया।

स्वयंप्रभा ने उन्हें बताया कि यह सुन्दर वन स्वयंप्रभा की सहेली देवकन्या हेमा का था। जिसे देवताओं के कुशल चित्तेरे एवं मायावी मय ने अपनी प्रेयसी हेमा के लिए बनाया था। परन्तु हेमा के प्रति प्रेम प्रकट करने के कारण इन्द्र ने क्रोधित होकर मय को उस उपवन से निकाल दिया। तत्पश्चात् ब्रह्मा ने देवकन्या हेमा को उस वन की देखभाल का दायित्व सौंपा। हेमा के बाद यह दायित्व स्वयंप्रभा ने लिया, बाद में उसने अपनी तपस्या और साधना के बल पर उसे अत्यधिक मनोहारी तथा नयनाभिराम बना दिया। वाल्मीकि ने इसी उपवन को कहीं महद्वन, उत्तमबन, दुर्गमबन तो कहीं कांचनबन आदि नामों से अभिहित किया है। गुहा के प्रारंभिक भाग को 'श्रीमद्विल' नाम दिया गया है।

तदुपरान्त तपस्विनी ने हनुमान से उसके आने का कारण यह कहकर पूछा—कि अगर कहने लायक हो तो कहे, यानी कोई आपत्ति हो तो न कहें। तब हनुमान ने अपने आने का कारण बताया, और प्राण संकट से उबारने वाली उस तपस्विनी का साथियों सहित आभार प्रकट किया तथा कहा कि प्रत्युपकार में हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उत्तर में तपस्विनी ने कहा, धर्माचरण करने वाली मैं किसी से, किसी-प्रकार की अपेक्षा नहीं रखती, तथा न ही मेरे लिए कोई कुछ कर सकता है। इन वाक्यों को कहने वाली तपस्विनी के चेहरे पर उस समय सिद्धियों का तेज दैदीप्यमान था जिससे प्रभावित होकर हनुमान ने तपस्विनी से निवेदन किया—हे देवि, हम प्राण संकट से तो बच गए हैं, परन्तु एक धर्म-संकट में फंस गए हैं। आशा है आप हमें उस धर्म संकट से भी निकालेंगी। सुग्रीव की आज्ञानुसार हमें सीता का पता लगाकर एक माह में वापस पहुंचना था। पर हमें खोजते-खोजते एक माह से अधिक समय हो गया है। हमें शीघ्र वहां पहुंचना है। इसके लिए हमें पहले इस गुहा से बाहर जाना है। इस बिल के अन्दर तो हम किसी प्रकार पहुंच गए पर बाहर निकलना हमारे बस की बात नहीं है। अतः कृपा करके हमें बाहर का रास्ता दिखाएं। यद्यपि हनुमान स्वयं बुद्धिमान तथा बलशाली थे। परन्तु उन्होंने निस्संकोच तपस्विनी से सहायता की याचना की। तपस्विनी भी कोई साधारण तपस्विनी नहीं थी, वह साक्षात सौम्यरूपा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी थी। उसके लिए तांत्रिक साधना के बल से पल भर में ही सब कुछ सुलभ था।

स्वंयप्रभा स्वयं भी जानती थी कि जो कोई इस बिल में प्रवेश कर जाता है, वह जीवित बाहर नहीं निकल सकता। उसने विचार किया यह बानर सेना राम के कार्य के लिए निकली हुई है अतः इसकी सहायता करना मेरा कर्त्तव्य है। अतः वह कहती है—तुम अपनी आंखों को बंद कर लो, सुनकर वे ऐसा ही करते हैं। पल भर में ही सब लोग अपने आपको बिल से बाहर पाते हैं। स्वयंप्रभा भी उनके समक्ष खड़ी हुई है उनकी विदाई के लिए। वह संकट से उबरे हुए वानरों को सामने का समुद्र दिखाती है तथा स्वयं अपने बिल के अन्दर चली जाती है।

उपर्युक्त तमाम विवेचन से हमने जाना कि स्वयंप्रभा भी राम के कार्य सीता की खोज में हनुमान तथा वानरी सेना के साथ अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती है। इतना ही नहीं उस तपस्विनी ने हनुमान तथा उनके साथियों को एक ऐसा अप्रत्यक्ष मंत्र दिया जो सीता की खोज में सहायक सिद्ध हुआ।

वह मंत्र था—चक्षु बंद करने के उपरांत मनवांछित लेकिन उचित दुरुह कार्यों को भी संपन्न करा लेना। वाह्य चक्षु बंद करने पर—(यानी ध्यान मग्न अवस्था में) अपने अन्दर ही विराट्-विश्व के दर्शन सम्भव हो जाते हैं। उस समय साधक का वाह्य जगत् से संबंध विच्छेद हो जाता है। स्वयंप्रभा का बानर सेना से आंख बन्द करने के लिए कहने का तात्पर्य समाधिस्थ होना—समाधि लगाना तथा आंख खोलने पर समाधि खुलना है। समाधि लगाने से तपस्वियों को तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत हर कार्य का समाधान सम्भव हो जाता है। समाधिस्थ होना कोई आसान कार्य नहीं है। परन्तु हनुमान तथा उनके साथी अत्यधिक बुद्धिमान थे। राम का काम था राम का अर्शीवाद उनके साथ था, वे स्वयं ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी थे तथा राम नाम का द्वयाक्षर मंत्र उन्हें तांत्रिक विधि से सिद्ध था। उसी के कारण उन्होंने समुद्र लांघ कर लंका को जलाया, लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर सुषेन नाम वैद्य को उठकार ले आए, पुनः धवलगिरि को आकाश मार्ग से लेकर आये यह सभी कार्य सिद्ध तपस्वी-साधक ही कर सकता है। ऐसे में स्वयंप्रभा ने भी अपनी सिद्धी के बल से उनको सहयोग दिया। इससे यह महिला पात्र अप्रत्यक्षतः राम से जुड़ जाती है।

बाह्य (पर्थिव) चर्म चक्षुओं के बंद करने से मानव का लिंक अपार्थिव जगत से जुड़ जाता है। तथा अपार्थिव चक्षुओं को बंद करते ही पार्थिव जगत से मनुष्य का नाता जुड़ जाता है। यहां स्वयंप्रभा के द्वारा इसी रहस्य का उद्घाटन किया गया है। तांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वयंप्रभा तथा उसकी रहस्यात्मक गुहा, जगत्-नियंता के साक्षात दर्शन कराने का माध्यम है, साथ ही तांत्रिक साधना का उत्कृष्ट-केन्द्र भी है।

सी/डी-30 पुराना कविनगर, गाजियाबाद-201001

अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत भारतीय भाषा-सर्वेक्षण

—डॉ० परमानंद पांचाल

अमीर खुसरो (1255-1325 ई.) एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे अरबी और तुर्की के विद्वान् और संस्कृत के ज्ञाता थे, फारसी इनके घर की बांदी थी। खड़ी बोली इन्हें अपनी मां से विरासत में मिली थी। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम दिल्ली के आसपास की इस बोली का काव्य में प्रयोग किया, जिसे सैनिकों और व्यापारियों द्वारा दक्खिन में ले जाया गया और वह वहां "दक्खिनी हिंदी" के रूप में विकसित हो पुनः उत्तर लौटी[1] और आज उसी का परिनिष्ठित रूप इस देश की राजभाषा के रूप में समादृत है।

वास्तव में खुसरो फारसी के उच्च कोटि के कवि थे। उनकी फारसी कविता शेख सादी और हाफिज की कविता से टक्कर ले सकती है। स्वयं ईरानी विद्वान् भी इन्हें "तुतीए हिंद" के नाम से पुकारते थे। खुसरो के समकालीन इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी का कथन है :

> "अमीर खुसरो दर नज़्म नस्त्र फारसी कुतबखाना तसनीफ़ करदा अस्त[2]" (अर्थात् अमीर खुसरो ने फारसी पद्य तथा गद्य के एक पुस्तकालय की रचना की है)।

अमीर खुसरो फारसी और खड़ी बोली के महान् कवि होने के साथ-साथ उच्च कोटि के भाषाविद् भी थे। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं को निकट से देखा था जिनका उन्होंने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। इनके द्वारा भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही वह देश की विविधता में एकता का भी द्योतक है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन से लगभग साढ़े छह सौ वर्ष पूर्व भाषाओं की जो स्थिति खुसरो द्वारा बताई गई है प्रायः वही आज भी है। खुसरो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक सारे भारत की भाषाओं का सम्यक् अध्ययन किया था और उनकी सूची तैयार की थी। खुसरो लिखते हैं कि मैंने स्वयं भारत की कई भाषाओं के संबंध में बहुत कुछ परिचय प्राप्त कर लिया है और उन सबके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की है। उन्हें मैं बोलता और समझता हूं। मैंने उनकी खोज की है और मैं उनको कमो-बेश जानता हूँ।

1. हिंदी भाषा तथा साहित्य, डॉ. उदय नारायण तिवारी—पृष्ठ 8
2. तारीख फिरोजशाही, ज़ियाउद्दीन बरनी पृ. 259

दानम व दयांफ्ता व गुफ्ता हमाम्
चुस्तो-रोशन शुदा जान बेशो-कमम्

खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी ''नृहसिपहर'' (नौ आकाश) के एक अध्याय (सर्ग-3 अध्याय-5) में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। भारतीय भाषाओं के इस सर्वेक्षण का उल्लेख सर जार्ज ग्रियर्सन ने आरंभ (वैत 71, 72) में ही किया है। खुसरो ने सिंदी (सिंधी), लाहौरी (पंजाबी), कश्मीरी, कवर, घूर समंदरी, तिलंगी (तेलुगु) गुजर (गुजराती), माअबरी (कारोमंडल समुद्र तट की भाषा तमिल), गौरी (गौडी-पश्चिमी बंगला), अवद (अवधी-पूर्वी हिंदी) और दिल्ली तथा उसके आसपास की भाषा, इन सभी भाषाओं का उल्लेख किया है।

देखिए—

''सिंदी व लाहौरी व कश्मीर व कबर 2
घूर समंदरी 3 व तिलंगी, व गुजर
माअबरी 4 व गौरी व बंगाल व अवद,
दिहली व पैरामनश अन्दर हमह हद
ईन हमह हिंदवीस्त दर अय्यामे-कुहन
आमनह बकार अस्त ब हर गुनह सुखन।''

इस प्रकार अमीर खुसरो भारत की जिन 12 भाषाओं का उल्लेख करता है, वे हैं। सिंधी 2. पंजाबी 3. कश्मीरी 4. कन्नड़ 5. तमिल 6. तेलुगु 7. गुजराती 8. मलयालम 9. उड़िया (पश्चिमी बंगला), 10. बंगला 11. अवधी, तथा 12. दिल्ली और उसके आसपास की भाषा।

---

*1. राष्ट्रवाणी, अमीर खुसरो विशेषांक (जून 1972), पूना, श्री देवी सिंग चौहान-पृ. 48

*2. ''कवर'' को ''कनर'' पढ़ा जाना अधिक युक्ति-युक्त प्रतीत होता है। इसलिए यह भाषा कन्नड़ हो सकती है।

*3. श्री चौहान ने ''घूर समंदरी'' को ''कन्नड़'' माना है, किन्तु इसमें संदेह प्रतीत होता है। यह भाषा संभवतया ''तमिल'' थी।

*4. ''माअबरी'' के तमिल के स्थान पर ''मलयालम'' मानना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है क्योंकि कारो-मंडल पश्चिम तट पर ही है।

हिंदवी भाषा के संबंध में वह कहता है कि इसका अस्तित्व प्राचीन काल में था और आज भी पाया जाता है—

''हिंद हमीन का इदह दारद व सुखन
हिंदुई बूद अस्त दर अय्यमि-कुहन*[1]

(अर्थात् भारत में भाषा के नियम बने हुए थे हिंदुई भाषा प्राचीन काल से ही विद्यमान थी और आज भी है)।

इससे जार्ज प्रियर्सन की इस भ्रांति का निराकरण हो जाता है कि ''यहां हिंदी से वास्तव में खुसरो का तात्पर्य संस्कृत से है, न कि उस भाषा से जिसे हम आज इस नाम से अभिहित करते हैं।'' इस बैत का साफ अर्थ है कि हिंदुई भाषा प्राचीन काल में थी और आज भी है। हिंदुई से तात्पर्य ''संस्कृत'' नहीं है, जैसा कि ग्रियसेन कहते हैं।

संस्कृत के संबंध में खुसरो का कथन है कि—

''संस्कृत नाम जि अहदे कुहनाश
आम्मह न दारद खबर अज कुन-म-कुनश''*[2]

(अर्थात् प्राचीन काल से इसका नाम संस्कृत है। जन-साधारण के साथ उसके व्याकरण की बारीकियों की वार्ता नहीं है)। संस्कृत के संबंध में वह आगे कहते है कि वह ब्राह्मणों के पास है और ''दरी'' भाषा से किसी भी प्रकार कम नहीं है।

''गरचे कि शरीन्स्त दरी व शकरीन
जौके इबारत कम अजानीस्त दरीन''*[3]

(यद्यपि ''दरी''[4] भाषा मीठी और शक्कर के समान है, किन्तु संस्कृत भाषा में उससे साहित्य सृजनशीलता किसी भी प्रकार कम नहीं है।)

खुसरो के भाषा-सर्वेक्षण में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 भाषाओं में से केवल मराठी, कन्नड़, उड़िया और असिमया का उल्लेख नहीं है। हां ''कवर'' नाम की जिस

1. मसनवी नूह सिपहर-सर्ग-3, अध्याय 5, बैत 49
2. नूह सिपहर सर्ग-3 अध्याय-5 बैत 75
3. वही-बैत-84
4. ''दरी'' भाषा स्टीनगास के कोश के अनुसार बलख जो आवैसस नदी के तट पर है, ''बदरखशां, बुखारा आदि प्रदेश में प्रयुक्त होती है। यह फारसी की एक बोली है। खुसरो के अनुसार फारसी यद्यपि ईरान में पैदा हुई किंतु वहां पर उसका स्वरूप शुद्ध नहीं रहा। उसका शुद्ध रूप तो दरी के रूप में मावरा-उन्नहर अर्थात् बलख, बुखारा आदि में पाया जाता है।

भाषा का उल्लेख किया गया है वह अज्ञात है। डा. ज्ञानचंद जैन ने अपने एक लेख में इसे डोगरी बताने का प्रयास किया है (देखिए-'खुसरो-शनाशी- 'नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया पृ. 226) ग्रियर्सन भी इसे डोगरी कहते हैं जो उचित नहीं लगता। डा. भोलानाथ तिवारी का अनुमान है कि ''कबर'' शब्द ''कनर'' है और इससे आशय कन्नड से है। फारसी लिपि में लिखे होने के कारण बिंद को ठीक से नहीं पढ़ा गया। इसी प्रकार धोर समंदरी शब्द ''द्वार समुद्री'' याधुर समुद्री हो सकता है। ग्रियर्सन ने इसे कन्नड माना है जब कि यह शब्द मलयालम के लिए प्रयोग किया गया लगता है। इसी प्रकार ''मअबरी'' भाषा को तमिल माना गया है वास्तव में ग्रियर्सन ने खुसरो के मूल ग्रंथ को देखा नहीं था। उन्होंने इलियट के इतिहास ''हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आधार पर ही जानकारी प्राप्त की थी। बंगाली के लिए दो क्षेत्रीय भाषाओं ''गौड़'' और ''बंगाल'' का उल्लेख खुसरो ने किया है। हो सकता है असमिया भी बंगाल के अंतर्गत ही स्वीकार कर ली गई हो, क्योंकि लगता है कि असमिया तब तक स्वतंत्र भाषा के रूप में भी विकसित नहीं हुई हो। फिर भी खुसरो के इस भाषा-सर्वेक्षण का ऐतिहासिक महत्व है।

खुसरो भाषाविद् होने के साथ-साथ एक कोशकार भी थे और उन्होंने अरबी-फारसी और हिंदी का एक पर्यायवाची शब्दकोश ''खालिक बारी'' नाम से भी तैयार किया था।[1]

खुसरो युग-द्रष्टा थे, उन्होंने तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक आवश्यकता को देखते हुए ही इस ग्रंथ की रचना की थी। क्योंकि बाहर से आने वाले फारसी और अरबी जानने वाले मुसलमानों के लिए यहां की भाषा अपरिचित थी इसलिए कोश के द्वारा इन्हें हिंदी और हिंदी वालों को फारसी का कार्यकारी ज्ञान करा दिया जाता था। उपादेयता की दृष्टि से खालिकबारी का ऐतिहासिक महत्व है।

232ए, पाकेट-1, मयूर विहार, दिल्ली—110091

[1] देखिए-अमीर खुसरोकृत खालिक वारी (सं. डा. श्री राम शर्मा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा 2021 वि.)

जीवन सूत्र का रहस्योद्घाटन : डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग

—डा. मुकुल चंदपांडेय

पिछली अर्धशताब्दी में विज्ञान में हुई अभूतपूर्व प्रगति के फलस्वरूप जीवन के अनेक जटिल अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर देने में सफलता प्राप्त हो गई। प्रकृति के रहस्य को प्रस्तुत करने की नई तकनीकें अब सरलता से उपलब्ध हैं। अनुभवों के आधार पर हमारा सामान्यज्ञान बतलाता है कि जीवन की समस्त समानताएं-असमानताएं; पीढ़ी दर पीढ़ी अनुक्रमित होती है और इसीलिए मानव की संतान मानव एवं आम के पेड़ से आम का ही फल प्राप्त होता है। इसी के साथ यह भी सर्वविदित है कि जीवों में पाएं जाने वाले विशिष्ट गुण भी किसी विलक्षण रहस्यमय ढंग से वंशानुगत होते हैं।

प्रकृति की इस प्रक्रिया को लेकर मन में दो अहम प्रश्न उठते हैं : (1) वंशानुक्रमण एवं (2) जीववर्ग में पाई जाने वाली इन समानताओं व असमानताओं का आधार क्या है? ध्यान से विश्लेषण करने पर लगता है कि दोनों ही प्रश्न परस्पर जुड़े हैं। पिछली खोजों से इसका उत्तर देने में सहज सफलता मिल पायी है कि डी. एन. ए. (डी आक्सीराइबोन्यूक्लीक एसिड यानी जीवन सूत्र इसका मूलाधार है। इतने में ही गूढ़ मंत्र निहित हैं जो किसी भी जीव विशेष के आकार-प्रकार, रंग रूप गुणदोष बौद्धिक सामर्थ्य, जीवनक्रम आदि के लिए उत्तरदायी है। यह दायित्व वस्तुतः आनुवंशिक इंजीनियरिंग के विकास के लिए जो जीवविज्ञान के क्षेत्र में जैवप्रौद्योगिकी का एक सशक्त स्तंभ बनकर उभरा है।

जीवनसूत्र संसार के सभी जीवधारियों में हम लोगों की तरह ही वंशानुक्रम का आधार होता है और यह किसी भी जीव की हर सूक्ष्म इकाई (कोशिका) में पाया जाता है। अपने जैविक माता-पिता से प्राप्त इस जीवनसूत्र में छिपी हुई सूक्ष्म-विभिन्नताओं के आधर पर प्रत्येक जीव को किसी भी अन्य जीव से पहचाना जा सकता है।

मानव शरीर की कोशिकाओं में निर्धारित जीवन सूत्र का मात्र 10% प्रतिशत भाग ही शरीर के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करवाने में सक्षम है और यह सभी मनुष्यों में एक जैसा होता है। इस कार्यात्मक जीवनसूत्र के बीच-बीच में व्यवस्थित शेष 90 प्रतिशत जीवन सूत्र जिसके कार्यरूप प्रकाशित में ज्ञान नहीं है; प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नताएं लिए होता है। जीवन सूत्र का यह भाग कई तरह के छोटे-छोटे अनुक्रमी खंडों का बना होता है। और इतना परिवर्तनशील है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों में एक समान नहीं हो सकता, केवल हमशक्ल जुड़वां बच्चों को छोड़कर।

जीवन सूत्र के इन अत्यधिक परिवर्ती खंडों को अलग करके रेडियो सक्रिय बनाए जाने के बाद वैज्ञानिक विधि द्वारा विश्लेषण करने से एक व्यक्ति विशेष का क्रमादर्श प्राप्त किया जा सकता हे क्योंकि क्रमादर्श मनुष्य के लिए उसी तरह विशिष्ट होता है जैसे कि उसके अंगूठे के निशान, अत: इस विधि को प्रचलित रूप से—डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग—के नाम से जाना ज़ाता है। उपर्युक्त तकनीक में रेडियो सक्रिय दर्शक अर्थात् प्रोब की जरूरत होती है जो स्वयं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब यही काम एक सरल और सीधी प्रक्रिया के उपयुक्त बनाया गया जो रेडियो सक्रिय पदार्थों पर भी निर्भर नहीं करती और साथ ही बहुत संवेदनशील भी होती है। इसमें थोड़े से ही डी.एन.ए. का प्रयोग करके डी.एन.ए. के उन विशिष्ट भागों का जो वैविध्यपूर्ण होते हैं एक रासायनिक श्रृंखला अभिक्रिया से वृद्धिगत करके एक विशिष्ट जेली समान माध्यम में अलग करके, हर टुकड़े का अध्ययन किया जा सकता है।

शरीर के हर अंग की कोशिकाओं में जीवनसूत्र अनिवार्य रूप से एक सा होता है। अत: किसी भी अंग की कोशिकाओं जैसे रक्त की कुछ बूंदें या कपड़े पर लगा रक्त का धब्बा, मूलरोम, शरीर का कोई भी छोटा सा ऊतक या अंग, त्वचा, दांत, वीर्य आदि से जीवन सूत्र निकालकर डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग द्वारा आणविक स्तर पर विलश्लेषण करने से किसी भी व्यक्ति की सकारात्मक पहचान की जा सकती है। इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को करने के लिए पर्याप्त जीवन सूत्र, ऊतक की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जैसे कि मात्र एक रोयां से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि जीवन सूत्र एक बहुत ही स्थिर रासायनिक तत्त्व है, अत: नमूना लिए जाने के बहुत समय बाद तक भी इससे व्यक्ति विशेष का क्रमादर्श बताया जा सकता है और डी.एन.ए.फिंगर प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया, यह विशिष्ट क्रमादर्श जीवन पर्यंत एक सा रहता है। किन्ही दो जीवों के क्रमादर्श से पाई जाने वाली समरूपता उनकी जैविक सम्बद्धता को दर्शाती है।

मानव कल्याण के लिए उपयोगिता

डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग एक अत्याधुनिक, नया और सशक्त तकनीक है जो निम्नलिखित कार्यों में इस्तेमाल की जा सकती है :

1. अपराधों एवं पारिवारिक मामलों की जांच
2. प्रतिरक्षा प्रलेखों की
3. मेडिकल चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी जांच
4. वंशाक्ली विश्लेषण
5. कृषि एवं बागवानी
6. अनुसंधान एवं उद्योग-धंधों में

1. अपराधों तथा पारिवारिक मामलों की जांच :

इस तकनीक के द्वारा रक्त, वीर्य, बाल, विक्षत मृत शरीर के अवशेष दांत या हड्डी के टुकड़े आदि के माध्यम से वैयक्तिक स्तर पर सकारात्मक पहचान की जा सकती है। अत: यह विधि कत्ल, बलात्कार, अमानुषिक कृत्यों, अन्य संगीन अपराधों प्रवास-पत्र (वीसा), संपत्ति उत्तराधिकार विवाह-विच्छेद (तलाक) तथा दीवानी मुकद्दमों में माता-पिता की सकारात्मक पहचान इत्यादि मामलों में आवश्यक मानी जाने लगी है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति में माता-पिता दोनों के ही जीवन सूत्र/डी.एन.ए. होते हैं अत: डी.एन.ए. की छाप के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। इसी प्रकार प्रसूति-गृहों में शिशुओं के फेरबदल के मामले में या अनजान मृतक की पहचान के मामले में भी इस विधि द्वारा क्रमादर्श तैयार करके संभावित नजदीकी रिश्तेदारी के क्रमानुदर्शी से तुलना करने पर मृत व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इस विधि की विश्वसनीयता असंदिग्ध है।

2. प्रतिरक्षा प्रलेखों में :

सैनिकों की जीवनसूत्र परिच्छेदिका से संकलित व्यक्ति विशेष क्रमादर्शों की, दुर्घटनाओं जैसे युद्धकाल या जहाज नष्ट होते आदि के समय मृत रक्षा कर्मियों के शरीर के अवशेषों से डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिग द्वारा प्राप्त क्रमादर्शी की तुलना; कर्मियों की पहचान के लिए एक बहुत ही अर्थपूर्ण विधि सिद्ध हो सकती है।

जीवनसूत्र के विश्लेषण से, चयन के समय अभ्यर्थियों में अनेक पैतृक रोगों का पता लगाया जा सकता है जो अन्य विधियों से पता नहीं चल वाते और कार्यकाल या युद्ध आदि गंभीर अवसरों पर उभरकर कर्मचारी की कार्यक्षमता को क्षीण कर सकते हैं।

3. चिकित्सा, स्वास्थ्य का निदान व जांच :

इस विधि द्वारा गर्भधारण के पहले या गर्भ के दौरान ही आनुवंषिक रोगों व अंतर्जात त्रुटियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन विकारों की आवृत्ति को एक सीमा तक नियंत्रित करके समस्त मानवजाति की इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

4. वंशावली—विश्लेषण में :

डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग द्वारा किए गए वंशावली विश्लेषण के आधार पर पशुओं में वांछित गुणों का चयन किया जा सकता है। इस विधि को पशुओं की विशेष जाति के सुधार के लिए इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है।

5. कृषि एवं बागवानी :

कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में बीजों की सही जाति को डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा परखा जा सकता है। यह अधिक उत्तम और वांछित जातियों के विकास में भी सहायक हो

सकते हैं। यह विधि एक ही प्रकार के नर या मादा पौधों के चयन में सहायक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि अमरूद, खजूर आदि जिनमें मादा पौधों की ही जरूरत होती है। वहां लिंग का पता एक लंबे समय के बाद चलता है। ऐसे मामलों में इस विधि का प्रयोग करके समय, श्रम एवं धन की बचत की जा सकती है।

6. अनुसंधान तथा उद्योग-धंधों में उपयोग :

इस विधि द्वारा कोशिका की मौलिकता प्रमाणित कर अन्यान्य अनुसंधान कार्यों में इस्तेमाल करके शोध तथा उद्योग धंधों के क्षेत्र में उन्नति की अपेक्षा की जा सकती है।

इस डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष के शरीर के किसी भी ऊतक की सूक्ष्म मात्रा से जीवन सूत्र निकालकर उसे विशेष जैव-रसायनों के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त हुए इन टुकड़ों की जेली की तरह के पदार्थ जेल में विद्युत प्रसारण द्वारा एक-दूसरे से लंबाई के आधार पर अलग कर लिया जाता है। जेल में अलग किए हुए टुकड़ों की एक विशेष प्रकार की नाईलान की झिल्ली पर स्थानांतरित करने के बाद एक विशेष उपयुक्त रेडियो सक्रिय प्रोब से क्रिया करवाई जाती है। यह रेडियो सक्रिय प्रोब जीवन सूत्र की ही तरह का अपेक्षाकृत बहुत छोटा जैव अणु होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप नाईलान झिल्ली पर चिपके जीवन सूत्र के हजारों टुकड़ों में से कुछ विशेष टुकड़े रेडियो सक्रिय प्रोब से मजबूती से जुड़ जाते हैं।

रेडियो सक्रिय प्रोब से जुड़े होने के कारण ये टुकड़े बाद में एक्सरे फिल्म पर अपनी छाप छोड़ देते हैं और इस प्रकार हमें जीवन सूत्र पर आधारित व्यक्ति विशेष क्रमादर्श प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों की डी.एन.ए. की ज़्यादा मात्रा में जरूरत होती है जो इस विधि के पूर्ण उपयोग में एक बड़ी कमी है; ऐसा इसलिए है कि ज़्यादातर आपराधिक मामलों में प्रयोग के लिए प्राप्य जैविक पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है। इसी के साथ इस विधि की दूसरी बड़ी खामी है, इसमें प्रयोग के लिए जाने वाले रेडियो सक्रिय प्रोब से उत्पन्न हानिकारक विकिरण की जो कार्यरत वैज्ञानिक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे बचाव के लिए सही कदम न उठाए जाने पर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा सिर पर हमेशा मंडराता रहता है। इन सभी कमियों को दूर करना संभव हो पाया जब डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग के लिए सीधी सरल और लगभग परिपूर्ण प्रक्रिया का प्रयोग किए जाने लगा जिसमें न ही ज्यादा मात्रा में डी.एन.ए. की जरूरत होती है और न ही रेडियोसक्रिय प्रोब के हानिकारक प्रभाव का अंदेशा रहता है। दोनों ही तकनीकों का उद्देश्य तो एक है सिर्फ तकनीक अलग-अलग है। जब डी.एन.ए. के बहुत से भागों का अध्ययन एक साथ में किया जाता है। वह डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है, उसे डी.एन.ए. टाइमिंग कहते हैं।

वर्ष 1988 में सी.सी.एम.बी., हैदराबाद के निदेशक तथा भारत में फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के प्रणेता डॉ. लालजी सिंह तथा उनके सहकर्मी वैज्ञानिकों ने बी.के.एम. (बैंडेड क्रेट मायनर) नामक प्रोब को विकसित किया। असल में इस नए प्रोब का विकास उनके द्वारा किए गए "लिंग निर्धारण क्रिया विधि" संबंधी महत्वपूर्ण कार्य का ही एक परिणाम है। यह नया विकसित (बी.के.एम.) पूर्णतया भारत में विकसित नई प्रौद्योगिकी है। वर्तमान समय में डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग तकनीक की न्याय संस्था में दीवानी और आपराधिक मामलों में ठोस सबूत के रूप में अकसर उपयोग की जाती है। मगर इसके जनसाधारण द्वारा प्रयोग करने में दो बाधाएं प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं : (1) आम आदमी को इसकी जानकारी का अभाव, अधूरी जानकारी का होना और (2) इस तकनीक एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता। पूरे भारत में सिर्फ गिने-चुने शहरों में गिनी चुनी प्रयोग शालाओं में ही इस तकनीक के सफल प्रयोग के लिए जरूरी सुविधाएं तथा निपुण व्यक्ति उपलब्ध हैं। इस कार्य के लिए सी.डी.एफ.डी. (सेंटर फॉर डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिग) नामक संस्था की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि भारत में डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिग तकनीक को बढ़ावा मिले तथा इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में तो हो ही साथ ही साथ इसका उपयोग आम आदमी की सहज पहुंच में हो और जिंदगी में आई रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझना उसके लिए सरल है।

आम आदमी की भलाई की तरफ भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

353, त्रिवेणी नगर, लखनऊ-226020

न्यायपालिका में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग

—डॉ० प्रमोद कुमार अग्रवाल

राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से देश की संस्कृति, धर्म, कला, भावात्मक एकता तथा राष्ट्रीय सम्मान व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी भाषा विश्व में तीसरे स्थान पर है। हिंदी का मेल प्रांतीय भाषाओं के साथ ठीक बैठता है। अत: हिंदी का झगड़ा भारतीय भाषाओं से नहीं है, वे तो उसकी बहिनें हैं। हिंदी का बैर तो केवल अंग्रेजी से है जो एक विदेशी भाषा है और हमारी गुलामी की प्रतीक है।

हिंदी को औपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित करने से पूर्व संविधान में इसे राजभाषा बनाया गया है ताकि वह राष्ट्रभाषा के आसन पर पूर्ण सक्षम होकर विराजमान हो सके। वस्तुत: पिछले पचास वर्षों में राजभाषा के रूप में हिंदी वांछित सफलता उपलब्ध न कर सकी। न्यायालयों में तो इसकी हालत और भी खराब है। आइए हम न्यायपालिका के तीनों स्तरों पर हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करें।

(क) उच्चतम न्यायालय में हिंदी

संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। उच्चतम न्यायालय में,कार्यवाहियों में हिंदी के प्रयोग के लिए संसद् द्वारा कोई विधि पारित नहीं की गई है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय की सहमति के बिना कठिन है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य के तीन अंगों में से एक मुख्य अंग है। देश के हितों के लिए सर्वोच्च न्यायालय उतना ही सजग एवं जिम्मेदार है, जितने राज्य के अन्य दो अंग अर्थात् कार्यपालिका एवं विधानपालिका है। संविधान के अन्तर्निहित आत्मा के अनुसार राज्य के तीनों अंगों को आपस में सामजस्य एवं सहमति से काम करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने लंबे इतिहास में यह प्रमाणित कर दिया है कि वह राष्ट्रीय हित के मामलों में कभी पीछे नहीं रहा अपितु आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने देश को गलत रास्ते पर जाने से रोका एवं सही पथ-प्रदर्शन किया।

दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय की भी अपनी समस्याएं हैं। देश के सभी भागों से सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें आती हैं। यदि वे विभिन्न भाषाओं में आएं, तो प्राय: सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्येक अदालत में दस पन्द्रह अनुवादक रखने पड़ेंगे तथा सर्वोच्च न्यायालय में अनुवादकों की एक समानान्तर सेना खड़ी करनी पड़ेगी, जिसके लिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

तीसरे, उच्चतम न्यायालय में माननीय न्यायाधीश एवं अधिवक्तागण पुरानी पीढ़ी के हैं जब विधि शिक्षा एवं विधि के क्षेत्रों में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का प्राय: प्रयोग नगण्य होता था। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के स्तर पर विदेशी न्यायालयों के निर्णयों को भी ध्यान में रखा जाता है। स्वभावत: वह सभी ज्ञानकोष आंगल भाषा में ही उपलब्ध हैं।

पर उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत तो होनी ही चाहिए। प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी एवं हिंदी में उपलब्ध हो। कम से कम उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अपने प्रशासनिक कार्यों में संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करना चाहिए। यह बात समझ में नहीं आती कि उच्चतम न्यायालयों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन देने एवं अवकाश प्रदान करने में हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता है जबकि दिल्ली स्थित अन्य केन्द्रीय एवं दिल्ली सरकार के कार्यालयों में धड़ल्ले से हिंदी का प्रयोग हो रहा है। उच्चतम न्यायालय का अधिकारी या क्लर्क, लिपिक, चपरासी या ड्राइवर दिल्ली में अन्य अधिकारी लिपिक, चपरासी या ड्राइवर से कैसे भिन्न हो सकता है ? वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी पत्रांक यदि हिंदी में निर्गत हों तो उन पर तुरन्त कार्यवाही होगी उत्तरी भारत 'क' क्षेत्र में बहुसंख्यक जनता हिंदी समझती है एवं हिंदी ही व्यवहार करती है। प्रशासनिक कार्य स्थानीय जनता के माध्यम से ही कार्यान्वित होते हैं जो दिल्ली में हिंदी बोलती एवं समझती है। अब तो हिंदी में सोफ्टवेयर भी आ गए हैं। संसदीय समिति ने अपने प्रतिवेदन के 5 वें खंड में सिफारिश की थी कि विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय के पराशर्म से एक व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करें जो सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उच्च न्यायालयों में हिंदी

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा सात के अनुसार, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या पारित आदेश के प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिंदी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत करेंगे। चार राज्यों, अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया है। पर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में सम्यक् प्रगति नहीं हुई।

राज्य के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इसकी प्रक्रिया गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा की जाती है। पर सरकारी छत्रछाया के बिना ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों ने हिंदी भाषा में अनेक मौलिक निर्णय देकर न्याय के क्षेत्र में हिंदी भाषा का झंडा गाड़ दिया है तथा उन आलोचकों का मुंह बन्द कर दिया है जो हिंदी की तकनीकी क्षमता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों जैसे न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त, बी. एल. यादव आदि के हिंदी भाषा में निर्णय ऐतिहासिक हो गए हैं। न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त ने एकल न्यायपीठ में हिंदी में ही सभी निर्णय लिखे तथा हिंदी में ही न्यायालय के सभी आदेश दिए। उनके हिंदी में निर्णयों की संख्या तीन हजार से भी अधिक है।

उच्च न्यायालयों में हिंदी के सफल प्रयोग के बाद तमिल एवं बंगला भाषा के प्रयोग की भी न्याय के क्षेत्र में मांग ने जोर पकड़ लिया है। यदि उच्च न्यायालयों में कार्य हिंदी या प्रांतीय भाषा में हो तो वादी-प्रतिवादी को न्यायालय की न्याय-प्रक्रिया समझने में सुविधा होगी तथा वे न्यायालयों के सीधे सम्पर्क में आ सकेंगे जोकि प्रबंधक पद्धति के अनुसार आवश्यक है। यदि उच्च-न्यायालय के निर्णय हिंदी एवं प्रांतीय भाषा में पहले प्रकाशित हों, तो अधिवक्तगण अथवा वादकारी उन निर्णयों को प्राथमिकता देंगे तथा उच्च-न्यायालयों में जन-भाषाओं का प्रयोग बढ़ेगा।

संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अनुसार किसी भी राज्य की राजभाषा उच्च न्यायालय के प्रशासन एवं कार्यवाही में बिना किसी बाधा के प्रयुक्त हो सकती है एंवं हो रही है। जब किसी प्रदेश की भाषा राज्य के अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में प्रयोग की जा सकती है, तो उस प्रदेश में स्थित उच्च न्यायालय में उसके प्रयोग न होने का कोई युक्ति संगत कारण ही नहीं है। फिर भी जब तक किसी उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रचलन बना रहता है तब तक इसके निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए संघ सरकार एवं राज्य सरकारें वित्तीय संसाधनों में भागीदार हों। दोनों सरकारें अहिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की राजभाषा में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

इसी प्रकार राज्य के न्यायिक कल्प संगठन/निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरणों, श्रम या राजस्व न्यायालयों इत्यादि अर्द्ध-न्यायालयों या प्राधिकरणों में संघ को राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित प्रावधान बनायें इसमें कोई संवैधानिक या वैधानिक अड़चन नहीं है। आजकल उच्च न्यायालय स्तर के कई न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं। उनको देखकर अधीनस्थ न्याय संगठन उनके आदर्श का अनुपालन करेंगे जिससे राज्य की जनता उनसे सीधे जुड़ेगी तथा उसे सब समय अधिवक्तागणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

(ग) अधीनस्थ/जिला अदालतों में हिंदी का प्रयोग

अधीनस्थ न्यायालय का अर्थ उस न्यायालय से है जो उच्च न्यायालय के अधीन हो। इन्हें जिला स्तरीय न्यायालय भी कहते हैं। जिला न्यायालयों या कचहरियों में प्रारम्भ से ही स्थानीय भाषा का प्रयोग होता रहा है क्योंकि ये ही विचारण अदालतें होती हैं एवं इनका सामना सीधे जनता से होता है जो साक्ष्य या प्रमाण देने के लिए अदालत के सामने आती है। स्वभावत: इनमें से अधिकांश अपनी मातृभाषा या प्रांतीय भाषा से ही भलीभांति परिचित होते हैं। इसीलिए मुकदमों का रिकार्ड तो स्थानीय भाषा में होता है चाहे वकील अंग्रेजी में बहस करें। एक अनुमान के अनुसार हिंदी, देश में 67 प्रतिशत से अधिक लोगों की मातृभाषा के रुप में प्रयोग होती है । अत: अधिकांश जिला-न्यायालयों में हिंदी का अधिक बहुमत है। यहां पर उद्भाषित तथ्यों के आधार पर ही मुकदमें की नींव रखी जाती है। यही कारण है कि कहीं-कहीं न्यायालयों का कार्य उर्दू मिश्रित हिंदी में होता था। आज़ भी उ.प्र. सहित कई राज्यों में, आंध्रप्रदेश के हैदराबाद क्षेत्र में उर्दू का न्यायालयों में अबाध रूप से प्रचलन है जो शनै: शनै: कम हो रहा है क्योंकि ये प्रचलित भाषाएं जनता के लिए आसान है। परन्तु आजकल न्यायालयों में प्रयोग की जा रही हिंदी अंग्रेजी से अधिक कठिन होती जा रही है उसे सरल एवं संप्रेषणीय बनाने की आवश्यकता है। हम जो जनभाषा में बोलते हैं, वही देवनागिरी लिपि में न्यायक्षेत्र में लिखें, हिंदी का प्रयोग स्वयंमेव न्यायालयों में बढ़ जाएगा।

यदि जिला अदालतों में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो, तो वादकारियों को अपना मुकदमा सुनने एवं समझने की सुविधा होगी। आज वादकारियों की वर्तमान न्याय-प्रणाली से यह शिकायत है कि वकील बाबू अदालत के अंदर क्या बोलते हैं, वे पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, बस वे यह जान पाते हैं कि या तो तारीख बढ़ गई है अथवा उन्हें कोई नया कागज अंदालत में पेश करना है। वादकारी तो बहुत समय बाद जान पाते हैं कि उनके मुकदमें की बहस प्रक्रिया पर ही चल रही है तथा वस्तुस्थिति पर तो बहस ही नहीं होती है। वकील साहब दूसरे वकील के अनुरोध पर कब अंग्रेजी में प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करके अगली तारीख के लिए राजी हो जाते हैं, वादकारी जान ही नहीं पाता यही कारण है कि जनता में स्थानीय भाषा में अदालतों में कार्य के प्रति मोह है। लोक अदालतों की सम्पूर्ण कार्यवाही हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में हो। इसी प्रकार ग्राम-न्यायालयों या पंचायत न्यायालयों की सभी कार्यवाईयां वहां की स्थानीय भाषा में हों। आजकल वादों के शीघ्र निपटारे के क्षेत्र में लोक अदालतों ने एक क्रांति लाई है। उस क्रांति का एक अंश हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में नि:संदेह सहयोग करेगा।

2. हिंदी माध्यम से विधि की शिक्षा एवं मौलिक विधेयकों का प्रारुपण

आजकल के न्यायाधीशों एवं अधिवक्तागणों ने अंग्रेजी में ही विधि शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए हिंदी को विधि की भाषा नहीं बनने में उनका निहित स्वार्थ है। आज हमें अधिवक्ताओं

1942 HA/2002—4A

एवं न्यायिक अधिकारियों की ऐसी नई पीढ़ी की आवश्यकता है जो हिंदी के माध्यम से स्नातक स्तर तक विधि की शिक्षा ग्रहण करे। इस समय अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी में विधि-शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसका विस्तार होना चाहिए। यदि सरकारी विधेयकों का मूल प्रारुपण हिंदी में हो, तो हिंदी के न्याय के क्षेत्र में विस्तार की समस्या न होगी। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश दो राज्य विधेयकों का मौलिक प्रारुपण हिंदी में कर रहे हैं ताकि धाराओं एवं उपबंधों की व्याख्या के समय हिन्दी में मौलिक विधेयकों को मजबूरी में उद्धृत करना पड़ेगा जिससे विधि के क्षेत्र में ठोस कार्य आगे बढ़ेगा तथा विधि-व्याख्या के क्षेत्र में हिंदी के शब्द एवं वाक्यांशों का मानक अर्थ स्थिर हो जाएगा। विधेयकों के प्रारुपण में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं विधेयकों में अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को देवनागिरी लिपि में लिखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का जिस तेजी से स्तर गिर रहा है, उससे हिंदी एवं अन्य प्रांतीय भाषाएं स्वयंमेव राजभाषा का रूप लेंगी पर सरकार प्रयत्न करने पर यह प्रक्रिया त्वरित कर सकती है। प्रकाशित तथ्यों के अनुसार आज अंग्रेज़ी के बाद मानक हिंदी ही वह भाषा है, जो संसार में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक प्रचलित है।

3. हमारा कर्तव्य

वही भाषा लोकप्रिय होती है जो लोगों की भूख मिटा सके। प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ श्री पी. के. त्रिपाठी ने कहा है कि "विधि से भी ऊपर देश होता है, राष्ट्र होता है। हिंदी को ऐसे बढ़ना चाहिए कि वह देश या विधि को हानि न पहुंचाए। इसके लिए हिंदी भाषा में कोई कमी नहीं है कमियां लागू करने में है।" हिंदी के साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं को भी समुचित प्रश्रय मिले पर हिंदी को सर्वाधिक प्रश्रय मिले क्योंकि वह इसकी अधिकारिणी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हिंदी में विधि-शब्दावली के प्रकाशन के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि हिंदी में विधि के क्षेत्र को भी फतह करने की क्षमता है। हिंदी भाषा में विधि-क्षेत्र की उत्कृष्ट पुस्तकों, ग्रन्थों का प्रणयन हो रहा है जोकि अंग्रेजी की कई मानक पुस्तकों से श्रेष्ठ है जैसे डॉ त्रिपाठी की संवैधानिक विधि पर पुस्तक। वह दिन दूर नहीं जब हिंदी का जिला अदालतों में ही नहीं, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में भी समुचित प्रयोग होगा एवं हिंदी को राष्ट्रभाषा होने के कारण न्यायक्षेत्र में भी उचित स्थान मिलेगा। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने ठीक ही कहा है कि "प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी चीज से नहीं।"

आइए, हम सभी खुले मन-मस्तिष्क से सहृदयतापूर्वक हिंदी को विधि-क्षेत्र में अपनाएं।

डी I/3 रवीन्द्र नगर, नई दिल्ली-110003

1942 HA/2002—4B

आर्थिक अपराध : एक केस अध्ययन

—कैलाश नाथ गुप्त

आपराधिक परिदृश्य में आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी एवं धन प्राप्ति हेतु धोखाधड़ी आम बात बनती जा रही है। फिलहाल अपराधियों के लिए कानून की गिरफ्त से बच निकलना उतना आसान नहीं है, खासकर इस लिए भी कि कानून के शिकंजे दिन ब दिन मजबूत होते जा रहें हैं, जिससे ऐसे अपराधियों की आशाओं पर पानी फिरता जा रहा है। प्रस्तुत केस में एक ऐसे जालसाजी एवं धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामले का जिक्र है जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने केन्द्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहयोग से काफी तत्परता एवं निपुणता से कार्य किया तथा अपराधियों को महत्वपूर्ण सबूतों के साथ गिरफ्त में लेने में सफलता हासिल की।

अगर कोई दुर्लभ वस्तु कानूनी तौर पर साधारण तरीके से प्राप्त न हो सकें, तो क्यों न उसे धोखाधड़ी वाला रास्ता अपनाकर हासिल कर लिया जाए, वह भी विशिष्ट व्यक्तियों के जाली हस्ताक्षर बनाकर। अभियुक्तों के दिमाग में शायद यह तरीका रहा होगा जो काफी साधारण सी बात लग रही थी, परन्तु उन्हें इस बात का शायद आभास नहीं था कि किसी दिन वह कानून के लम्बे हाथों की गिरफ्त में आ जाएंगे। अभियुक्तों ने जिन उच्च अधिकारियों को चुना, उसमें साधारण व्यक्ति नहीं वरन् भारत के केन्द्रीय मंत्रीगण, माननीय प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सचिव तथा उप प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के वैयक्तिक सचिव के जाली हस्ताक्षर भी सम्मिलित थे।

इस महत्वपूर्ण केस का निर्णय सुनाते हुए विशेष जूडिशियल मजिस्ट्रेट, सी.बी. आई. पटना ने कुछ इस प्रकार निर्णय दिया :—

"जहां अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा की बात है, वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों का केन्द्र है तथा सभी जाली कागजात उसी के इशारे पर बनाए गए। साक्ष्य तथा दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120–बी तथा 420, 468, 471 भा. द. सं. का दोषी पाया गया है। अभियुक्त भारत भूषण को धारा 120–बी तथा 410 भा. द. सं. और अभियुक्त के. आर. एन. शर्मा को धारा 120–बी के अंतर्गत दोषी पाया गया है और धाराओं के अंतर्गत इन्हें सजाएं दी गई।

सारांश में अभियोजन पक्ष का मुकदमा यह था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली में यह मामला श्री राजमणि, भारत के प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव की लिखित शिकायत पर दर्ज

हुआ था। अन्वेषण के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि श्री जी. एन. पी. की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं। श्री भारत भूषण अग्रवाल उर्फ बी. बी. गुप्ता एक फर्म मैसर्स भूषण कोल ट्रेडर्स, जालंधर के नाम से चलाते थे तथा अभियुक्त के. आर. एन. शर्मा फर्म के नाम से रानीगंज में चलाते थे। अभियुक्त बी.बी. अग्रवाल की मुलाकात रायल होटल, रांची में अभियुक्त जी. एन. पी. सिन्हा से हुई और दोनों में आपसी सम्बन्ध के अलावा काफी घनिष्ठता बढ़ गयी। उपरोक्त तीनों अभियुक्त आपराधिक षडयंत्र में शामिल हो गए। जिसके अंतर्गत उन्होंने उच्च अधिकारियों एवं मंत्रियों के नाम पर जाली/फर्जी संस्तुतियां प्रस्तुत कर सी. सी. एल. तथा ए. सी. एल सरकारी प्रतिष्ठानों से कोयला हासिल करने तथा विभिन्न व्यक्तियों के लिए नौकरियां दिलाने की सांठ गांठ की।

उपरोक्त आपराधिक षडयंत्र के अंतर्गत कार्य करते हुए इन अभियुक्तों ने भारत सरकार के उप-प्रधानमंत्री जी के वै. सचिव के नाम पर फर्जी लेटर हैड बनवाए तथा इसको मैसर्स मैटल एंड सिल्क प्रिन्टर्स, नया टोला, पटना से छपवाया। इन्होंने अलग-अलग पार्टियों से अनेक अर्जियां एकत्रित कीं और उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि वे विभिन्न मंत्रियों से संस्तुति पत्र लिखवा लाएंगे। अभियुक्तों ने इस बात के लिए भी काफी पैसे एकत्र किए कि वह मनचाही संस्तुति उस समय के उप प्रधानमंत्री तथा गृह राज्य मंत्री से करा लाएंगे जिसके आधार पर पार्टियों को सी. सी.एल./बी.सी.सी.एल./ए.सी.एल. से मनचाहा कोयला प्राप्त हो जाएगा। उपरोक्त उद्देश्य के अंतर्गत अभियुक्त जी. एन.पी. सिन्हा ने फर्जी लैटर पैड एवं फार्म पर जाली संस्तुति पत्र टाइप कराए तथा स्वयं अर्जुन सिंह, उप-प्रधानमंत्री के वैयक्तिव सचिव, गृह मंत्री के सचिव तथा श्री धनिक लाल मंडल, गृह राज्य मंत्री के नाम पर जाली संस्तुति बनाकर हस्ताक्षर किए जिससे कोयला आसानी से प्राप्त हो सके। मजे की बात यह है कि इधर बी. सी. ए. एल. अधिकारियों ने उच्च स्तरीय निर्णय यह लिया कि मंत्रियों द्वारा भेजे गए संस्तुति पत्रों पर वह कोयला नहीं देंगे, अत: उन्हें कोयला नहीं मिल सका। उच्च अधिकारियों ने फिलहाल यह भी सूचित कर दिया था कि कोयला केवल जिलाधीश तथा जिला सप्लाई आफिसर की संस्तुति पर ही दिया जा सकता है।

इस आधार पर अभियुक्तों ने आपराधिक षड़यंत्र के अंतर्गत जिलाधीश, मुंगेर (बिहार) के नाम पर जाली संस्तुति पत्र बनाए तथा पांच ऐसी पार्टियों को देने की संस्तुति की जो जाली एवं अस्तित्वहीन थीं। ये पार्टियां थीं मैसर्स मोहम्मद मालिम, नगीना राय, रामनाथ मिश्रा, दुर्गा मेहतो एवं रामेश्वर सिंह। इन फर्जी संस्तुति पत्रों के आधार पर वह कोयला प्राप्त करने में सफल हो गए तथा अभियुक्त के. आर. एन. शर्मा ने यह माल विभिन्न पार्टियों/व्यक्तियों को काफी ऊंचे दामों पर बेच दिया। अभियुक्त बी. बी. अग्रवाल ने विभिन्न तारीखों में श्री सूर्याकान्त अग्रवाल नामक व्यक्ति से काफी धन ऐंठा और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वह लोग मंत्रियों तथा

जिलाधीश मुंगेर से संस्तुति भरे पत्र श्री सूर्याकान्त के नाम पर जारी करवा देंगे। यही नहीं, जिलाधीश मुंगेर के नाम पर फर्जी पत्र दर्शाते हुए उसी आधार पर उन्हें काफी हिस्से तक कोयला निर्गत करवा दिया। परन्तु मौ. मालिम के नाम बचे हुए कोयले के हिस्से को जारी करवाने में कुछ परेशानियां खड़ी हो गईं। अत: अभियुक्त के. आर. एन. शर्मा ने आसनसोल में अभियुक्त जी. एन. पी. सिन्हा से मुलाकात की और उन कठिनाइयों के सम्बन्ध में चर्चा हुई।

तत्पश्चात् अभियुक्त जी. एन. पी. सिन्हा ने तीन और फर्जी संस्तुति पत्र भारत सरकार के प्रधान मंत्री के वैयक्तिव सचिव के लैटर पैड पर बनाए और मैसर्स के. आर. एन. शर्मा, पवन केड़िया और मौहम्मद मालिम के नाम पर कोयला जारी कराने की संस्तुति कर दी। यह तीनों पत्र ए. सी.सी. एल. चैयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर को दे दिए गए और उनकी कापियां अभियुक्त के. आर. एन. शर्मा ने अपने पुत्र के दोस्त श्री एन. के. शर्मा के घर रख दीं। फिलहाल इन संस्तुति पत्रों के आधार पर कोयला निर्गत नहीं किया गया क्योंकि अधिकारियों को यह शंका हो गई कि यह पत्र जाली थे। जांच पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई कि अभियुक्त के. आर. एन. शर्मा ही इस प्रकार के फर्जी पत्र तैयार किया करता था।

अभियोजन पक्ष का आगे यह भी मामला था कि अभियुक्त जी. एन.पी. सिन्हा ने अन्य अभियुक्तों की सांठ गांठ से अपने भतीजे की नौकरी मैसर्स ऊषा मार्टिन ब्लेक रोज लिमिटेड में लगवाने की साजिश एवं प्रयास किया। इस साजिश के अन्तर्गत उसने फर्जी संस्तुति पत्र प्रधानमंत्री के व्यक्तिक सचिव तथा गृह मंत्री के सचिव के नाम पर बनाए और इस कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भेजकर अपने भतीजे श्री उभय चन्द्र को ग्रेजुएट ट्रेनी के रूप में रख लेने की सिफारिश की।

जांच पड़ताल के दौरान अभियुक्त जी. एन. पी. सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर भारत सरकार के उप प्रधानमंत्री व गृह राज्य मंत्री के सचिव के नाम के जाली लैटर पैड, उसकी डिजाइन, प्रधानमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली के रबर स्टम्प का नमूना आदि बरामद किया गया। अभियुक्त आर. एन. शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर फर्जी संस्तुति पत्र (सिफारिश चिट्ठियों) की बरामदगी की गई। जांच पड़ताल पूरी होने के पश्चात् उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के खिलाफ भा. द. संहिता की धारा 120-बी, 420, 468, 471 और 511/420 के अन्तर्गत अभियोग पत्र दाखिल किया गया।

कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभियुक्तों ने इन अपराधों को करने के बारे में अस्वीकृति जाहिर की तथा अपने को निरपराध बताया। जहां अभियुक्तों द्वारा आपस में सांठ गांठ करके अपराधिक षड़यंत्र करने का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष ने अनेक साक्षियों के अतिरिक्त ऐसे अनेक दस्तावेज भी कोर्ट में प्रस्तुत किए जिससे यह साफ जाहिर होता था कि अभियुक्त

जी. एन. पी. सिन्हा, भारत भूषण अग्रवाल और के. आर. एन. शर्मा की आपस में अपराधिक सांठ गांठ थी। बी. बी. अग्रवाल के घर से जी. एन. पी. सिन्हा द्वारा लिखित एक पत्र बरामद हुआ था जिसमें श्री शर्मा ने उन्हें लिखा था कि वह ए. के. मुखर्जी द्वारा दिए गए कागजात ले गया था जिसके कारण श्री शर्मा उसका एवं मैनेजिंग डायरेक्टर का इंतजार करते रहे। आर्डर अभी प्राप्त होना है, इस कारण 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। उसने आगे यह भी लिखा था कि अगर वह इस काम को कर देने में असमर्थ है तो वह सारे कागजात श्री सिन्हा को दे दें। ए. के. मुखर्जी के पत्र की कापी अभियुक्त जी. एन. पी. सिन्हा के घर से बरामद हुई थी। के. आर. एन. शर्मा अभियुक्त की निशानदेही पर एक एन के. साहू नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई जहां से एक लिफाफा ए. के. मुखर्जी के नाम का बरामद हुआ था। इसके अंदर गृह राज्य मंत्री के नाम का नकली मोनोग्राम पाया गया।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त भारत भूषण ने कई पत्र जी.एन.पी. सिन्हा को लिखे थे। एक पत्र में यह भी लिखा था कि चूंकि केड़िया कहीं बाहर चला गया है जिसको उसने तीन दिन तक तलाश किया, पर बाद में उसे उस होटल को रुपए देने पड़े जो केड़िया के लिए लिया था। एक दूसरे पत्र में जो भारत-भूषण ने जी.एन.पी सिन्हा को भेजा था, यह लिखा था कि सिन्हा ने शर्मा के लिए एक पत्र बना लिया होगा और अभी तक नहीं बना हो तो वह फोरन तैयार कर लिया जाए। उसने यह लिखा था कि वह इससे ज्यादा ब्यौरा नहीं लिख सकता तथा वह आसनसोल के ज्योतिषी व वाराणसी के लिए पैसे का भुगतान कर देंगे। भारत भूषण ने एक अन्य पत्र में भी लिखा था कि उसने विभिन्न पार्टियों से पैसे एकत्र कर लिए हैं जो धन राजू के द्वारा इकट्ठा करके जी.एन.पी सिन्हा के पास भेजा जा रहा था। भारत भूषण ने सिन्हा को यह लिखा था कि वह भोजपुर तथा आरा के पत्र भेज रहा है और श्री सिन्हा को भी इस बात की हिदायत दी थी कि वह इन कागजातों के साथ व्यापार लाइसेंस भी लगा दे तथा जनरल मैनेजर के नाम सिफारिश लिखवा दें। इसके लिए वह शनिवार या शुक्रवार तक धन प्राप्त कर लेगा। इसके अतिरिक्त वाराणसी के श्री राजेन्द्र नाथ शर्मा ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की थी कि फर्जी पत्रों को उसने टाइप करवाया था।

अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा स्वयं अपने हाथ से मसौदे लिखा करते थे। ऐसे एक मसौदे पत्र में पवन केड़िया, मौहम्मद मालिम और के.आर.एन. शर्मा के नाम कोयला निर्गत कराने का भी संदर्भ है। इन पत्रों की मूल प्रति एक कोयला कम्पनी के अधिकारियों को भेजी गई थी और उनकी कापियां एन.के. साहू के घर से के.आर.एन. शर्मा की निशानदेही पर कब्जे में ली गई थी।

मुल्जिमों के आपराधिक कृत्यों को साबित करने के लिए गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था जिन्होंने यह सिद्ध किया कि यह मुल्जिम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और तीनों आपस में सांठ गांठ करते हुए आपराधिक कार्यवाहियां करते थे। इन गवाहों में आसनसोल के

एक भविष्यवक्ता श्री अजीत मोहन सरकार भी थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि तीनों मुल्जिमों से वह परिचित हैं और वह उनके यहां आते जाते रहते थे। उन्हें यह ज्ञान था कि तीनों मुल्जिम कोयले के व्यापार में कार्य करते थे। इस बात की पुष्टि भारत भूषण द्वारा अभियुक्त जी.एन.पी सिन्हा को लिखे गए पत्र से भी होती है जिसमें यह लिखा था कि उन्होंने आसानसोल एवं वाराणसी के ज्योतिषी को रुपए दे दिए थे। इसी प्रकार, जी.एन.पी सिन्हा अभियुक्त के वैयक्तिक सहायक ने भी इस बात की पुष्टि की कि तीनों अभियुक्तों का वह जानता है और वे तीनों एक साथ सांठ गांठ करके काम करते थे।

साक्षी ए. के. अग्रवाल ने यह सिद्ध किया कि भारत भूषण अभियुक्त ने उन्हें बताया था कि वह मंत्रियों से सिफारिश भरे पत्रों का इंतजाम कर सकता है क्योंकि वह कई मंत्रियों से परिचित है। यह गवाह अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा तथा भारत भूषण के साथ ए.सी.सी.एल. से कोयला निर्गत कराने हेतु ऑफिस गया था। जी.एन.पी सिन्हा ने श्री धनिक लाल मंडल, राज्यमंत्री से कोयला निर्गत कराने हेतु रिमाइन्डर भेजने के लिए भी सलाह दी थी। भारत भूषण ने उसे जिलाधीश मुंगेर द्वारा कथित रूप से जारी किया गया परमिट भी दिया था जिसके आधार पर कोयला निर्गत हुआ था। शर्मा ने यह आश्वासन दिया था कि वह इन सारी कठिनाइयों का निराकरण करा देगा तथा नए परमिट जारी करा देगा। सिन्हा ने इस गवाह को एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाम लिखकर देने के लिए भी कहा था। इस साक्षी ने यह भी सिद्ध किया कि उसने समय-समय पर भारत भूषण को पैसे दिए थे तथा सादे कागज व अन्य संबंधित कागजात भारत भूषण को दिए थे।

एक अन्य स्वतंत्र गवाह भी प्रस्तुत किया गया जिसने यह सिद्ध किया कि वह सिन्हा एवं भारत भूषण को जानता है तथा भारत भूषण ने एक ऐसा बैग उसके घर में रखा था जिसमें कुछ कागजात थे जो सी.बी.आई. ने उसकी उपस्थिति में बरामद किया था। यह ऐसे सिफारिश भरे पत्रों की कार्बन कापी अथवा द्वितीय कापियां थीं जो कथित रूप से श्री धनिक लाल मंडल, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री तथा श्री अर्जुन सिंह, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक द्वारा जारी किए गए थे। एक और ड्राफ्ट पत्र भी था जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को सम्बोधित था और 2000 टन सॉफ्ट कोयला निर्गत कराने के सम्बन्ध में था। यह सभी पत्र निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में बरामद हुए थे। एक पेज पर पवन केडिया के दस्तखत थे जिसको उसने स्वीकार किया। तीन और चालान थे जिससे पता चलता था कि कोयला रोशन लाल को भेजा गया। इसके अतिरिक्त अन्य ड्राफ्ट पत्र भी था जो तथाकथित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक तथा दूसरा पत्र गृह राज्यमंत्री को और से भेजा हुआ दिखाया गया था जो जनरल मैनेजर ए.सी.सी.एल. के नाम था। कुछ अन्य पत्र भी थे जिसमें श्री धनिक लाल मंडल के जारी हस्ताक्षर थे।

अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा अभयचन्द्र का रिश्तेदार है और उसने उन्हें भारत भूषण से यह कहकर परिचित कराया कि अभयचन्द्र उनका बिजनेस का एक पार्टनर है। भारत भूषण उनके घर दो-तीन बार गया। सिन्हा ने इस साक्षी को यह बताया था कि वह कई मंत्रियों से परिचित है, अत: उभयचन्द्र को मैनेजमेन्ट ट्रेनी के रूप में भर्ती करा सकता है। अभय चन्द्र को एक जाली पत्र दिया गया जिसमें यह दर्शाया गया कि उसे उषा मार्टिन एंड ब्लैक रोज कम्पनी लिमिटेड में नौकरी मिल गई है। इस गवाह ने सिन्हा तथा भारत भूषण की लिखावट की भी पहचान की। उसने यह सिद्ध किया कि वह भारत भूषण के साथ कोडरमा गया था और उसने 2000 रुपए दिए थे। इस बात की पुष्टि भारत भूषण के पत्र से भी होती है जिसमें यह लिखा गया था कि वह राजू के द्वारा रुपए भेज रहा है। गवाह ने पत्र की भी पुष्टि की।

अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा रिमांइडर पत्रों को भी बनाया करता था। एन.के. साहू के घर से ऐसे कागजात बरामद हुए थे। इनमें एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक के लैटर पैड पर भी था जो चैयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर सैक्टोरिया के नाम था जिसमें उन्हें 1280 टन कोयला के.आर.एन. शर्मा के नाम कराने के लिए कहा गया था। विशेषज्ञ के साक्ष्य के अनुसार यह जालसाजी अभियुक्त सिन्हा द्वारा की गई थी।

इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे पत्र थे जो फर्जी तथा जाली रूप में अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा द्वारा बनाए गए थे तथा जिसकी पुष्टि विशेषज्ञ द्वारा भी की गयी। इसी प्रकार के अनेक पत्र भी थे जो अभियुक्तों ने आपस में एक दूसरे को लिखे थे तथा साक्षियों की गवाही से यह सिद्ध हो गया था कि तीनों अभियुक्तों की आपराधिक सांठ गांठ थी जिसके अन्तर्गत वह सरकार से धोखाधड़ी कर रहे थे।

मैसर्स सिल्क स्क्रीन एवं मैटल प्रिंटर्स, नया टोला, पटना के मालिक सैयद मौहम्मद कलीम ने यह सिद्ध किया कि वह अभियुक्त सिन्हा को जानता है और सिन्हा उनके यहां काम के लिए बराबर आया करते थे। यह सिन्हा ही था जिसने भारत के प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक के नाम एक लैटर पैड उनकी फर्म से छपवाया था और लैटर पैड पर उसने अशोक चक्र भी छपवाया था। केस से सम्बन्धित पत्रों को देखने के पश्चात् उसने यह सिद्ध किया कि यह वही पत्र थे जो मुल्जिम सिन्हा ने आर्डर देकर उनकी फर्म से छपवाये थे। इस प्रकार के 25 लैटर पैड्स सिन्हा ने उनकी दुकान से छपवाये थे। इसके अतिरिक्त सिन्हा ने गृह राज्यमंत्री, नई दिल्ली के नाम के लैटर पैड भी छपवाया था। साथ ही ऐसे लिफाफे भी सिन्हा ने छपवाए थे जिनमें गृह राज्यमंत्री, नई दिल्ली के मोनोग्राम थे। अभियुक्त ने उप प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक तथा गृहमंत्री, नई दिल्ली के लैटर पैड भी छपवाए थे जिन पर अशोक एम्बलम भी था। इस सभी लैटर हैड्स पैड्स को दिखाए जाने पर साक्षी ने इस बात की पुष्टि की कि ये वही पत्र हैं जो अभियुक्त ने उनकी फर्म से छपवाए थे। सिन्हा ने यह बताया कि वह कई मंत्रियों से परिचित थे तथा वह स्वयं एक

राजनैतिक नेता हैं। इन पत्रों को छपवाए जाने के पीछे जो मंशा थी वह साफ जाहिर है कि अभियुक्तों ने इन पत्रों को बी.सी.सी.एल. कार्यालयों से कोयला निर्गत कराने हेतु प्रयोग में लाया था जो जांच पड़ताल के दौरान सिद्ध पाया गया।

अभियुक्तों ने प्रधानमंत्री सचिवालय की जाली मोहर भी बनवाई। इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने आवश्यक साक्ष्य तथा कागजात प्रस्तुत किए। पटना में मौहम्मद फयाजुद्दीन की रबर स्टैम्प बनाने की एक दुकान मैसर्स कलकत्ता रबर कम्पनी, पटना के नाम से है। वह अभियुक्त जी.एन.पी सिन्हा को जानता था। फयाजुद्दीन ने यह सिद्ध किया कि जी.एन.पी सिन्हा ने ही प्रधानमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली की मोहरें उसकी दुकान से बनवाई थी। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभियुक्त ने छापे के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधिकारियों के समक्ष यह बात स्वीकार की थी तथा उसकी निशानदेही पर मौ. फयाजुद्दीन की दुकान पर भी छापा मारा गया था एवं स्वतंत्र गवाहों के समक्ष संदेहास्पद वस्तुएं जब्त की गईं थी। मौ. फयाजुद्दीन ने ऐसी रबर की मोहरों बनाने के पश्चात् उसके नमूने एक कापी में रख ली थी जो उसने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की। उपरोक्त सभी बातों की पुष्टि निष्पक्ष गवाहों द्वारा न्यायालय में की गई।

श्री अमरीक सिंह, जो पहले पटना क्लैक्ट्रेट, पटना में एक प्राइवेट टाइपिस्ट के रूप में कार्य करता था और अब वह गृह विभाग (पुलिस) बिहार सरकार में कार्यरत है, ने इस बात की पुष्टि की कि वह अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा को जानता है जिसके कहने पर ही इस साक्षी ने 4 ऐसे दस्तावेज टाइप किए थे जो कथित रूप से राज्य गृहमंत्री की ओर से निर्गत किए गए थे। इस हेतु उनके नाम के लैटर पैड अभियुक्त जी.एन.पी सिन्हा द्वारा ही दिए गए थे।

इसी प्रकार राजेन्द्र नाथ शर्मा, गवाह जो गृह वेदी टंकालय, वाराणसी में टाइपिस्ट है ने इस बात की पुष्टि की कि वह अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा तथा भारत भूषण अग्रवाल को जानता है। दोनों अभियुक्त उसकी दुकान पर टाइपिंग का कार्य कराने के लिए आते थे। उसने ऐसे पांच पत्रों की पुष्टि की जो कथित रूप से राज्यमंत्री गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से निर्गत किए दिखाए गए थे। परन्तु यह इस गवाह ने टाइप किए थे। इस हेतु इन अभियुक्तों ने ऐसे लैटर पैड इस गवाह को दिए थे जिस पर उसने श्री योगेन्द्र मकवाना, तत्कालीन राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नाम पर पत्र टाइप किया था। अभियुक्त ने इस गवाह को यह बताया था कि श्री योगेन्द्र मकवाना से उसके अच्छे ताल्लुक हैं तथा अभियुक्त को यह एक नेता के रूप में जानता था। इसी प्रकार मौ. गुलाम रसूल ने भी अपने बयान में न्यायालय में इस बात की पुष्टि की कि वह अभियुक्तों को काफी लम्बे अरसे से जानता है। ये पहले उसके यहां तरह-तरह के कागज टाइप कराने आया करते थे। यह गवाह पटना कलेक्ट्रेट में प्राइवेट लिपिक की हैसियत से काम करता था। अभियुक्त ने उससे ऐसे पत्र टाइप कराए जो कथित रूप से उप-प्रधानमंत्री एवं गृह

मंत्री के वैयक्तिक सचिव तथा प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली के वैयक्तिक सचिव की ओर से निर्गत किए हुए प्रदर्शित किए गए थे। इस गवाह ने अभियोजन पत्र द्वारा एकत्र किए गए ऐसे कुल 17 पत्रों की पुष्टि की जो इस प्रकार के लैटर पैड पर टाइप किए गए थे। जो लैटर पैड इस गवाह को दिए गए थे उसमें उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री आदि के वैयक्तिक सचिव के नाम पते पहले से ही छपे थे।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अनुसंधान के दौरान ऐसे गवाहों को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की थी जिन्होंने अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा एवं भारत भूषण के कहने पर इस प्रकार के जाली पत्र टाइप किए थे एवं इसकी उन्होंने पूर्णरूपेण पुष्टि की थी।

अंत में एक और महत्वपूर्ण गवाह को विशेषज्ञ के रूप में अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया अर्थात् श्री एम.के. जैन, एस.एस.ओ., सी.एफ.एस.एल. (केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला)। यह गवाह दस्तावेजों की जांच में विशेषज्ञ रहे और इन्होंने लगभग 2500 मामलों में अपनी राय प्रस्तुत की है जिनके अंतर्गत कई हजार दस्तावेज सम्मिलित थे। ऐसे विशेषज्ञ की गवाही से अभियोजन पक्ष और मजबूत हुआ। इन्होंने यह सिद्ध किया कि अभियुक्तों द्वारा दिए गए हस्ताक्षर व लिखावट के नमूने तथा इससे सम्बन्धित प्रश्नास्पद दस्तावेज भी उनकी राय के हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा भेजे गए, जिसमें ऐसे पत्र भी सम्मिलित थे जो अभियुक्त जी.एन.पी सिन्हा की ओर से अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा, राजू तथा अभयचन्द्र के नाम लिखे थे। इन सभी दस्तावेजों की परीक्षा करने के पश्चात् इस विशेषज्ञ ने अपनी स्वीकारात्मक राय प्रस्तुत की थी कि श्री आर.एन. मल्होत्रा नाम पर जालसाजी अभियुक्त जी. एन.पी. द्वारा ही की गई थी। इसी प्रकार अभियुक्त सिन्हा द्वारा बनाए गए अन्य जाली पत्रों पर भी इन्होंने अपनी राय दी थी।

इस विशेषज्ञ ने इस बात की भी पुष्टि की कि अन्य प्रश्नास्पद लिखावट अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा द्वारा ही लिखे हुए थे। इस बात की पुष्टि के लिए कुछ और निष्पक्ष गवाह पेश किए गए जिन्होंने अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा तथा जी.एन.पी. सिन्हा की लिखावट की तसदीक की। जहां तक अभियुक्त भारत भूषण अग्रवाल का प्रश्न है, यद्यपि कि उसने अपनी लिखावट का नमूना नहीं दिया था फिर भी अभियोजन पक्ष ने कुछ निष्पक्ष गवाह प्रस्तुत कर इस बात की पुष्टि की कि ऐसी प्रश्नास्पद लिखावट इस अभियुक्त की है।

यह सिद्ध करने के लिए कि क्या अभियुक्त ने बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की थी, अभियोजन पक्ष ने कई गवाह तथा दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। चिरकुंडा के कोल एजेन्ट श्री सचिदानन्द सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि वह अभियुक्त भारत भूषण अग्रवाल एवं उसके पिता रोशनलाल को जानता है क्योंकि यह लोग उसके यहां कोयला लेने आया करते थे। भारत भूषण ने कुछ ऐसे कागजात दिखाए थे जो कोयला निर्गत करने

सम्बन्धित थे तथा किसी मंत्री द्वारा भेजे गए थे। भारत भूषण ने यह कागजात लालबदन सिंह और जगदीश प्रसाद को दो-दो हजार रुपए के अतिरिक्त मूल्य पर बेच दिए थे। यह कागजात सूरजकान्त अग्रवाल को कोयला की आपूर्ति के लिए दिए गए थे। उपरोक्त बातों की पुष्टि सूरजकान्त अग्रवाल ने भी कि जिन्होंने अभियुक्त भारत भूषण को विभिन्न तारीखों में रुपए का भुगतान किया था और इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने पास डायरी में ब्यौरे दर्ज किए थे। इस डायरी को भी न्यायालय के समक्ष उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किया।

श्री के.के. जैन, डिप्टी चीफ सेल्स मैनेजर, कोल इंडिया लिमिटेड ने इस बात की पुष्टि की कि अभियुक्त भारत भूषण कई संस्तुति पत्र लेकर उनके पास तथा कंपनी के चैयरमैन के पास आया था। वह गृह राज्य मंत्री श्री धनिक लाल मंडल के पत्र लाया था। श्री जैन ने अभियुक्त को यह बताया था कि कोयला देने से सम्बन्धित क्या प्रक्रिया है। अभियुक्त भारत भूषण ने अपना परिचय एक राजनैतिक व्यक्ति तथा लोकतांत्रिक युवा मंच के सचिव के रूप में दिया था और जी.एन.पी. सिन्हा को इसका अध्यक्ष बताया था। श्री महेन्द्रा ने तत्कालीन चेयरमैन के कमरे से बाहर निकलकर अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा का भी परिचय कराया था जो बाहर बैठा था। इस साक्षी ने उन सारे प्रश्नास्पद पत्रों की भी पुष्टि की जो भारत भूषण द्वारा लाए गए थे।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त भारत भूषण, जी.एन.पी. सिन्हा और के.आर.एन. शर्मा ने जाली पत्रों के आधार पर उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और इन्हें कोयला देने के लिए प्रोत्साहित किया।

बी.सी.सी.एल. के अध्यक्ष-सह प्रबन्ध निदेशक श्री सी.एस. झा ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्हें 3 ऐसे पत्र प्राप्त हुए जो कथित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक द्वारा जारी किए गए थे। इन पत्रों द्वारा रानीगंज की मैसर्स के.आर.एन. शर्मा, धनबाद के पवन केडिया और मौ. मालिम को कोयला देने सिफारिश की गई थी। श्री झा ने इन पत्रों को मार्क करके अपने डिप्टी माईनिंग इंजीनियर को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया था। बाद में उन्हें शंका हुई तब उन्होंने इन पत्रों को इनर्जी मंत्रालय के पास इसकी जांच हेतु भेज दिया था। इन तीनों पत्रों की कापियां अभियुक्त के.आर.एन. शर्मा की निशानदेही पर एन.के. शर्मा के घर से जब्त की गई थीं।

एरिया सेफ्टी आफिसर श्री टी.पी. मुखर्जी, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को डिलीवरी आर्डर जारी करने का अधिकार मिला हुआ था। पांच उपभोक्ताओं को इससे कोयला निर्गत किया गया जिनमें रामनाथ मिश्रा को 250 टन, रामेश्वर सिंह को 200 टन, दुर्गा मेहतो को 175 टन, मोहम्मद मालिम को 150 टन तथा नगीना राय को 250 टन कोयला जारी किया गया। इसके हेतु श्री एन.आर. वर्धन ने अथारिटी पत्र जारी किया था जिसके आधार पर कोयला देने से सम्बन्धित उपरोक्त आर्डर जारी किया गया।

मुंगेर कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी ने इस बात को सिद्ध किया कि उस समय मुंगेर के कलेक्ट्रेट एवं जिलाधीश श्री एस.पी. शर्मा थे परन्तु प्रश्नास्पद 5 पत्रों में उनके वास्तविक हस्ताक्षर नहीं थे और यह पत्र उनके आफिस द्वारा जारी नहीं किए गए थे। इन पत्रों में जिलाधीश कार्यालय की मोहर भी नहीं थी। अतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि ये सारे जाली थे। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने इस बात के लिए भी गवाह प्रस्तुत किया था कि जो अर्जियां दी गई थी, वे जाली व्यक्तियों के नाम पर थीं। इन अर्जियों में जिन गांवों के पते दिए गए थे, वहां इन नामों के कोई व्यक्ति नहीं रहते थे। अतः इस बात से सिद्ध हो जाता है कि कोयला जाली व्यक्तियों के नाम पर लिया गया।

उपरोक्त पक्के सबूत, साक्षियों एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने बिना किसी शक-शुभा के यह सारे आरोप सिद्ध कर दिए थे जो अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए थे। सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को धारा 120-बी.आई.पी.सी. के अन्तर्गत (आपराधिक षड़यंत्र) दो-दो साल की सजा सुनाई। अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा और भारत भूषण अग्रवाल को धारा 420 आई.पी.सी. (धोखाधड़ी) के अन्तर्गत भी दो-दो साल की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त अभियुक्त जी.एन.पी. सिन्हा को धारा 468 एवं 471 आई.पी.सी. (जालसाजी) के अन्तर्गत 3 साल की और सजा सुनाई गई।

इस प्रकार विज्ञान सम्मत आधार पर किए गए अन्वेषण तथा विशेषज्ञों की राय को उचित ढंग से प्रस्तुत कर इस मामले को पूर्णरूपेण सिद्ध कर दिया गया तथा सभी अभियुक्तों को उचित सजाएं दिलाने में सफलता हासिल हुई।

पूर्व पुलिस अधीक्षक, सी.बी.आई. डी I-ए/115, जनकपुरी, नई दिल्ली-110015

जीवन स्तर को बेहतर बनाने में आयुर्वेद की भूमिका

—डा. (श्रीमती) सुरिन्दर कटोच

आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति की इस विशिष्टता को समझने के लिए हमें शरीर और मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा जिसे प्रकृति-परीक्षण अर्थात् व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क का विश्लेषण करना कहा जाता है। मनुष्य संबंधी सभी जैविक संकल्पनाएं पूरी तरह प्रकृति की जानकारी पर आधारित होती हैं और यह रोगों की रोकथाम करने, स्वास्थ्य की रक्षा करने और उसे सुधारने तथा रोगों का उपचार करने के सिद्धांतों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रकृति की समझ होने से व्यक्ति अपने खान-पान और जीवन शैली को जान लेता है। हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी सामान्य नियमों का पालन करने के बावजूद खान-पान में ज़रा सा परिवर्तन होते ही, मौसम बदलते ही अथवा दिनचर्या के अनियमित होते ही बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने की इस प्रवृत्ति का कारण उनकी विशिष्ट संरचना है जिससे वे अपने खान-पान, जीवन शैली और मानसिक स्तर से संबंधित प्रकृत्ति अनुकूल स्वास्थ्य संबंधी हिदायतों का पालन करने से आसानी से बच सकते हैं। यह विशिष्ट ज्ञान आयुर्वेद के अलावा अन्य किसी पद्धति में नहीं है।

आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है जिसमें मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं का समावेश है। व्यक्ति का सामाजिक अथवा व्यक्तिगत जीवन निरुद्देश्य, है अथवा सोद्देश्य अनुकूल अथवा प्रतिकूल इस सब का विस्तार से वर्णन आयुर्वेद में मिलता है। इस प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति में खान-पान, जीवन-शैली, पथ्यापथ्य नियम तथा चिकित्सा संबंधी अनेक उपाय बताए गए हैं। आयुर्वेद की सहायता से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, उसे बनाए रख सकता है और बीमारियां का उपचार कर सकता है।

तरह-तरह के रोगों के उपचार के लिए अनेक अनुसंधान किए जा रहे हैं, लेकिन चिकित्सक समुदाय स्वास्थ्य संवर्धन तथा स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी पहलुओं पर कुछ खास काम नहीं कर पाए हैं जबकि न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य पर अधिकाधिक ध्यान दिए जाने की बहुत जरुरत है। स्वास्थ्य समाज और देश का निर्माण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूर्णत: स्वस्थ होना आवश्यक है।

आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार, किसी बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हित शामिल है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा को देखने पर पता चलता है कि यह हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद द्वारा दी गई परिभाषा से पूर्णतः मिलती जुलती है। आई, स्वास्थ्य संवर्धन संबंधी आयुर्वेद की असीम संभावनाओं पर विचार करें।

1. आयुर्वेद में ऐसे उपाय हैं जिनसे व्यक्ति को निकट भविष्य में हो सकने वाली शारीरिक व मानसिक बीमारियों की पूर्व सूचना दी जा सकती है और साथ-ही-साथ उसे स्वस्थ रखने के लिए उन बीमारियों की रोकथाम हेतु समाधान भी उपलब्ध हैं।

2. आयुर्वेद की कतिपय पद्धतियों को अपनाकर तत्काल ही शारीरिक व मानसिक विश्रांति प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए दवा का सेवन करने की भी आवश्यकता नहीं होती।

3. आयुर्वेद से प्रतिरोधी तंत्र सुदृढ़ होता है और परिणामस्वरूप शारीरिक व मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। इसके साथ-साथ भविष्य में होने वाली किसी बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न हो जाती है।

4. इससे जीवन अनुशासित रहता है, व्यक्ति में निखार आता है, सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वीकार्य होता है और फलस्वरूप सामाजिक परिवेश भी सुधर जाता है।

5. मानसिक स्वास्थ्य को पूर्णरुपेण सही रखता है। तनाव से जुड़ी अधिकांश समस्याएं जैसे कुंठा, अवसाद, आत्महत्या, तलाक, व्यवहार परिवर्तन, पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य न होना जैसे कि पति-पत्नी, माता-पिता व संतान के बीच तनावपूर्ण संबंध आदि बातें अक्सर होने वाले तनाव का परिणाम हैं। इन विकृतियों और विशेष प्रकार की मनः शारीरिक (साइकोसॉमैटिक) बीमारियों जैसे ब्रणकारी वृध्दान्त्रशोथ (अल्सेरेटिव कलाइटिस) इरिटेबल बाउअल सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर आदि का आयुर्वेदिक चिकित्सा से सफल उपचार किया जा सकता है।

6. आयु से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मेनोपॉजल सिंड्रोम, अस्थिओआर्थ्राइटिस, नींद न आने आदि का काफी हद तक सफल उपचार किया जा सकता है।

7. बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं विशेषकर कि प्रतिरोधक क्षमता संबंधी बीमारियों और पोषणिक स्थिति व बार-बार के संक्रमण से होने वाले रोगों का आयुर्वेद से अत्यन्त प्रभावशाली उपचार किया जाता है।

आयुर्वेदिक पद्धतियों के जरिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति को संपूर्ण रूप से एक इकाई माना जाता है और स्वास्थ्य के सभी चार अवयव ऐसे स्तर पर कायम रखे जाते हैं या उन्हें इस स्तर पर वापस लाया जाता है जहां शरीर, मस्तिष्क व अंतर्रात्मा का सामंजस्य स्थापित होता है। स्वास्थ्य परिचर्चा के विषय में आयुर्वेद का सभी सातों क्षमताओं में सर्वमान्य बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देते समय, व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वरूप (अर्थात् प्रकृति) को सदैव ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार यह परामर्श प्रत्येक व्यक्ति के उक्त स्वरुप के अनुसार दिया जाता है न कि किसी रुढ़िगत तरीके से या सामान्य अनुमान के आधार पर, अर्थात् यह सभी के लिए एक सा नहीं होता। अतः, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने से पहले प्रकृति का विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए ताकि मानव-जैविक स्थिति के सूक्ष्म तथ्यों का संपूर्ण विश्लेषण किया जा सके।

अब, मैं अपने उन रोचक अनुभवों का उल्लेख करूंगा जो आयुर्वेद की उपर्युक्त सात पद्धतियों के अनुसार कतिपय रोगों की जांच करने के दौरान मुझे हुए। इनका अध्ययन, नैदानिक रोग लक्षण विज्ञान के आधार पर ही किया गया है। जीव-रासायनिक व जांच संबंधी अन्य पैरामीटरों पर आधारित शेष अध्ययनों से हमें, आयुर्वेदिक पद्धति अपनाने से हुए प्रभावों की सूक्ष्म जानकारी मिल सकेगी।

आयुर्वेद की पहली क्षमता, व्यक्ति को उसे हो सकने वाले उन रोगों की पूर्व सूचना देने से संबंधित है जो उसकी विशिष्ट प्रकृति के कारण उत्पन्न हो सकते है और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जाता है कि उनकी रोकथाम कैसे की जाए। एक 31 वर्षीय रोगी मेरे पास आया जिसे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ जाने का बेवजह का डर बने रहने, अपने से अधिक ताकतवर व्यक्तियों से डर लगने, नकारात्मक सोच, हमेशा किसी न किसी उधेड़-बुन में लगे रहने, शारीरिक और मानसिक थकान, जीवन में कोई अनुशासन न होने, जिस माहौल में वह पला-बड़ा है उससे असंतुष्ट होने, बहुत चिड़चिड़ा हाने के कारण अकसर लड़ाई-झगड़ा करने, भोजन और शारीरिक कार्यों में अनियमितता बने रहने की शिकायत थी। इस रोगी का उपचार शुरु करने से पहले उसके असामान्य न्योदैहिक व्यवहार को समझने के लिए उसकी प्रकृति (स्वभाव) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। वह शारीरिक रुप से वातिक प्रकृति और मानसिक रूप से रजस-सात्विक प्रकृति का पाया गया। उसका खान-पान और कार्य के ढंग ऐसे थे कि उसमें बात और रजस गुण अधिक आ गए। इस रोग का निदान अतत्व-अभिनिवेश है जो आयुर्वेद के अनुसार एक प्रकार का मानसिक असंतुलन है। रोगी को बताया गया कि यदि वह अपनी वर्तमान जीवन शैली

जारी रखता है तो आगे चलकर मनोरोग और वातिक असंतुलन का शिकार हो सकता है। इन स्थितियों से बचने के लिए उसे एक स्वास्थ्य संबंधी पूरा चार्ट दिया गया जिसमें उसे भोजन, जीवन शैली और मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में हिदायतें दी गईं जिनका उसे सख्ती से पालन करना था। उसे नियमित रूप से योगाभ्यास करने और तनाव मुक्त रहने की तकनीकों का प्रयोग करने की भी सलाह दी गई। इस प्रयोजनार्थ अपनाए गए तरीके के सकारात्मक परिणाम के बारे में उसे आश्वस्त करने के लिए और उसके अस्थिर चित्त को शांत करने के लिए उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए भी कई बार बुलाया गया। उसे मानसिक और शारीरिक आराम देने के लिए एक सप्ताह तक पूरे शरीर पर वत्सहमका तेल की मालिश करने के बाद शिरो धारा चिकित्सा भी की गई। यह उपचार करने से रोगी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होना शुरु हो गया और एक महीने के भीतर उसकी सभी प्रकार की शिकायतें दूर हो गई।

दूसरा रोगी—एक 35 वर्षीय युवक था जो लंबे समय से चले आ रहे घरेलू और व्यवसाय संबंधी तनाव के कारण काफी गंभीर तंत्रिका रोग से ग्रस्त था। उसे बेचैनी, टांगों में दर्द, थकान, सुस्ती, घबराहट, सांस लेने में कठिनाई, असुरक्षा का भाव, बेवजह डर लगने और नींद न आने की शिकायत थी। वह डिस्लिपिडोमिक रोग से ग्रस्त पाया गया और बाकी सभी जांच सामान्य थी। आनुवंशिक मधुमेह, हृदय-धमनी रोग और उच्च दाब चाप के कारण वह चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित रूप से दवाई ले रहा था। लेकिन उसे थकान सुस्ती, भारीपन, नींद न आने और इस रोग के अन्य लक्षणों से छुटकारा नहीं मिला। उसने मनोविकृति रोग से ग्रस्त होने का भी खुलासा किया जिसके लिए उसका इलाज चल रहा था। इसके कुद लक्षण अब भी मौजूद थे और इन्हीं के कारण वह तनावग्रस्त और सुस्त हो गया था। उसे पूरे शरीर की मालिश कराने की सलाह दी गई। आपको विश्वास नहीं होगा कि मालिश के एक घंटे बाद और साथ-साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श देने से वह करीब दो घंटे तक सोया और जब वह सोकर उठा तो उसने बताया कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से आराम मिला है और वह हल्का महसूस कर रहा है।

तीसरा रोगी—एक 31 वर्षीय महिला थी जिसे निरंतर पेट में दर्द, जलन, खट्टी डकार और उल्टी की शिकायत थी। ये शिकायतें पिछले 3-4 सालों से चली आ रही थी। ऐंडोस्कोपी रिपोर्ट से पेट में फोड़ा होने (पेप्टिक अल्सर) का पता चला। रोगी ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ओर योगाभ्यास आदि सभी तरह का इलाज कराया। लेकिन उन्हें अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं मिला। मुझे उनके लक्षण शारीरिक संरचना संबंधी लगे और मैंने उन्हें लाइफस्टाइल काऊंसिलिंग के अनुसार उपचार कराने की सलाह दी। मैंने उनकी प्रकृति का विश्लेषण किया और उनके रोग और उनके शरीर की प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य चार्ट तैयार किया। ज्यों ही मैंने उन्हें उसके बारे में विस्तार से बताना शुरु किया उनके पति ने बीच में ही टोकते हुए मुझसे कहा

कि कुछ भी बताने के पहले यह ध्यान रखें कि वह पहले से ही काफी दुबली-पतली हैं। उनके पति चाहते थे कि उनका वजन कुछ बढ़े क्योंकि वह महिला बहुत पतली थी। मैंने उसके पति की बात सुनी और स्वास्थ्य चार्ट के बारे में उन्हें बताना शुरु किया। रोगी के शरीर की प्रकृति 'कफ पैत्तिक' और मन की प्रकृति 'सात्विक' थी। किए जाने वाले आहार मैंने सूखे मेवों और दही का परहेज करने के लिए कहा। यह बात सुनकर उनके पति बोले कि आपने पौष्टिक आहार देने से तो मना कर दिया तो वह ठीक किस प्रकार होंगी तथा साथ में उनके पति ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष उनकी पत्नी को खूब सूखे मेवे खाने को दिए गए और तब से उनकी हालत और भी बिगड़ती चली गई। मैंने उनसे कहा कि आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया और अब आपका काम यह है कि आप उनकी इस स्वास्थ्य चार्ट के अनुसार उपचार कराने में मदद करें। 45 दिन के बाद जब वे पुन: जांच कराने के लिए आए तो उस महिला को देखने पर पता चला कि उसे उस रोग से 50% तक छुटकारा मिल गया था। मैंने मौसम के अनुसार स्वास्थ्य चार्ट में कुछ परिवर्तन किए। तीन माह तक स्वास्थ्य चार्ट के अनुसार उपचार कराते रहने के बाद उन्हें दर्द से छुटकारा मिल गया, उनकी भूख बढ़ गई, उनकी सामान्य हालत में सुधार हुआ और वह महिला बिना किसी दवाई का सेवन किए तंदरुस्त होती चली गई। उनका आहार ही उनकी दवाइयां थीं और उन्हें दिए गए स्वास्थ्य चार्ट के अनुसार ही उपचार किया गया था।

चौथी रोगी एक 52 वर्षीय महिला थी जिनकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एच आर टी (हार्मोनल प्रतिस्थापन चिकित्सा) चल रही थी 48 वर्ष की आयु में मोनोपॉज (रजोनिवृत्ति) के दौरान उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एलोपैथिक डाक्टरों ने उनकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट चिकित्सा की। उस महिला को आराम तो मिला लेकिन आखिर कब तक वह इसी प्रकार की उपचार कराती रहती। वह इस इलाज को छोड़ना चाहती थीं लेकिन उन्हें डर था कि इलाज छोड़ते ही वे पुन: इस समस्या का शिकार न हो जाएं। मैंने उन्हें उपयुक्त रूप से जानकारी देते हुए समझाया कि लाइफस्टाइल काउंसिलिंग से उन्हें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। वे बहुत आश्वस्त हुई और मैने उनकी प्रकृति के अनुरूप उन्हें 'स्वास्थ्य चार्ट' दिया। उनकी शरीरिक प्रकृति कैफोलवण सन्नीपैत्तिक थी और उनकी मानसिक प्रकृति सात्विक थी। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे हार्मोनल चिकित्सा (एच आर टी) को बंद कर दिया और उन्होंने स्वास्थ्य चार्ट के अनुसार आहार लेना शुरु कर दिया। इस मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि पुरुषों की बजाए महिलाओं में वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी दिखाई देने लगते हैं तथा आयुर्वेद की रसायन चिकित्सा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इसका यह अर्थ है कि हमें रसायन 30 वर्ष की आयु शुरु होने पर या 35 वर्ष के आस-पास यानि वृद्धावस्था की प्रक्रिया शुरु होने से पूर्व लेने शुरु कर देने चाहिए। इस रोगी को मैंने अश्वगंधा नामक रसायन देना शुरु किया लेकिन अश्वगंधा पूर्ण रूप से असरकारक तब रहता है यदि यह रसायन 30 वर्ष की आयु के

1942 HA/2002—5A

आस-पास लेना शुरु कर दिया जाए। नि:संदेह यह रसायन लेने से रोगी को बहुत आराम मिला लेकिन 30 एवं 40 वर्ष के बीच की आयुवर्ग की महिलाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगी :—

भूत और भविष्य की चिंता आपके वर्तमान को नष्ट कर सकती है। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य संवारेगा। अत: भविष्य की चिंता में अपना अमूल्य समय बर्बाद न करें, कौन जाने आपको यह जीवन पुन: मिले या न मिले। अत: जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखें तथा अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए अपना जीवन जिएं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनी प्रकृति का विश्लेषण कराएं और उसके अनुसार स्वास्थ्य संबंधी दिशा दिर्नेशों का अनुपालन करें और अपनी प्रकृति के अनुकूल रसायनों का सेवन करें।

फ्लैट नं. 4, सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, मोती बाग-1, नई दिल्ली

1942 HA/2002—5B

उर्दू शायरी के आईने में—श्रीराम

—नोतन लाल

भारतीय मानस को **मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण** ने जितना आकर्षित एवं प्रभावित किया, उतना किसी अन्य ने नहीं। हिन्दू-धर्म एवं मानव-इतिहास में श्री रामचन्द्र जी को जिस अक़ीदत व एहतराम (श्रद्धा एवं आदर) के साथ याद किया जाता है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तरफ काश्मीर और नेपाल से लेकर रामेश्वरम् तथा अटक से कटक तक फैले इस सनातन राष्ट्र के विभिन्न अंचलों के निवासी उन्हें "**मर्यादा पुरुषोत्तम**" और भगवान या अवतार की हैसियत से श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें भारत के महान नेता का स्थान देते हैं। उर्दू शोरा और अदीबों ने भी श्री रामचन्द्र जी की अज़मत (महानता) के गुणों का बखान किया है और उनके प्रति सदैव नतमस्तक होकर उनके विचारों एवं शुभ-सन्देशों को जन-जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया है। **प्रो. एहतेशाम हुसैन** के कथनानुसार, "लाख कोशिशों के बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तमक श्री रामचन्द्र जी महाराज का जादू उर्द के उन शायरों के सिर चढ़कर बोला है, जो यहां की माटी के मोहक रंगों और मादक गन्ध में एड़ी से चोटी तक डूबे बिना न रह सके।

उर्दू कवियों की दृष्टि में श्री रामचन्द्र जी महाराज एक बेमिसाल शख़्सियत के मालिक थे। उनके जीवन चरित्र से सम्बन्धित अनेक उर्दू कवियों ने रामायण की चौपाइयों का अनुवाद (तरजुमा) उर्दू भाषा में किया है और इस बारे में अनगिनत नज़्में लिखी हैं। मशहूर उर्दू शायर **रघुपति सहाय 'फिराक गोरखपुरी'** द्वारा रचित "**रामायण और राम जी**", तथा "**राम सम्भली**" की रामायण में मुसद्दस का नाम काबिले ज़िक्र है। उर्दू के कम से कम 60 कवियों (शोरा) ने "**श्री राम**" पर अपनी नज़्मों और एक दर्जन से ज्यादा "रामायणों' को उर्दू ज़ुबान में लिखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी की महानता एवं महिमा का बखान करके एक अनुकरणीय एवं अनुसरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मौलाना ज़फर अली खां, जो मशहूर व मुमताज शायर तथा सहाफ़ी थे, अपनी मशहूर नज़्म "**हिन्दुओं की तहज़ीब**" में राम, लक्ष्मण और सीता को हिन्दोस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन (सभ्यता एवं संस्कृति) का नुमायन्दा तसव्वुर करते हुए कहते हैं—

"न तो नाकूस से है और न असनाम से है
हिन्द की गर्मी-ए-हंगामा तेरे नाम से है

तेरी तालीम हुई नज़र-ए-ख़ुराफ़ात-ए-फ़रंग
बरहमन को ये गिला गर्दिश-ए-अय्याम से है
नक्श-ए-तहज़ीब-ए-हुनूद अब भी नुमायां है अगर
तो वो सीता से है, लछमन से है और राम से है।''

विख्यात कवि **सागर निज़ामी** श्री रामचन्द्र जी के हर ज़लवे को सच्चाई की ज्योति का बेमिसाल नमूना करार देते हुए इस विश्वास को व्यक्त करते हैं कि जब तक हिन्दोस्तानियों के दिल में राम की मुहब्बत बाकी है, राम की हुकूमत मिट नहीं सकती—

''जिसका दिल था एक शम्मे ताके—ऐवाने हयात
रूह जिसकी आफ़ताबें, सुबहें इरफ़ाने हयात
जिन्दगी की रिफ़अतों में मंजिलों ऊंचा था वह
जिसका हर ज़लवा शुआए हक़ का मज़हर हो गया
ज़र्रा—ज़र्रा जिसके परतू से मुनव्वर हो गया
हिन्दियों के दिल में बाकी है मुहब्बत राम की
मिट नहीं सकती कयामत तक हुकूमत राम की
ज़िन्दगी की रूह या रूहानियत की शान था
वह मुजस्सम रूप में इंसान के इरफ़ान था।''

शायरे मशरिक **डा. अल्लामा इक़बाल,** जो विश्व साहित्य में एक सर्वोच्च स्थान रखते हैं, श्री रामचन्द्र जी के औसाफ़ हमीदा (चरित्रिक विशेषताओं) के मानने वाले ही नहीं, बल्कि कसीदा रूवों (प्रशंसक) भी हैं। वे राम के वजूद पर नाज़ ही नहीं करते, वरन् रघुवंशी राम को ''इमाम-ए-हिन्द'' (भारत का महान नेता) भी तसव्वर करते हैं। उनके मुताबिक—

''लबरेज़ है शराबे हक़ीकत से जामे हिन्द
सब फ़लसफ़की है खित्त-ए-मग़रिब के रामे-हिन्द
है राम के वजूद पे हिन्दोस्तां को नाज़
अहले नज़र समझते हैं उसको इमामे हिन्द।''

पं. ब्रजनारायण ''चक्रबस्त'' उर्दू के अहमतरीन शोरा में थे। **''रामायण का एक सीन''**, उनकी एक बेहतरीन शायरी का नमूना है, जिसमें उन्होंने श्री रामचन्द्र जी के चौदह साल का वनवास का हुक्म सुनने के बाद एक आज्ञाकारी पुत्र के कर्तव्य का वर्णन किया है। उदास और गमगीन मां से बनवास की अनुमति क्योंकर हासिल की जाए की ग़म से चूर, चिन्ता से निढाल मां

ज़िन्दगी से साथ न धो बैठे। इसी कशमकश के दरमियान रामचन्द्र जी अपने पिताश्री से विदा होकर अपनी माता जी के सम्मुख जाने का इरादा करते हैं—

"रूख़सत हुआ वह बाप से लेकर खुदा का नाम
राहे वफ़ा की मन्ज़िलें अटवल हुई तमाम
मंजूर था जों मां की जियारत का इंतज़ाम
दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम
इज़हारे बेकरी से सितम होगा और भी
देखा हमें उदास तो ग़म होगा और भी।"

उदासी पर काबू पाते हुए जब श्री रामचन्द्र जी अपनी माता के पास पहुंचते हैं तो उनकी दयनीय दशा देखकर अपने होंठ सी लेते हैं—

"दिल को संभालता हुआ आखिर वह नौनिहाल
खामोश मां के पास गया सूरते ख्याल
देखा तो एक दर में बैठी वह ख़स्ताहाल
सकता सा हो गया, यह है शिद्दते मलाल
तन में लहू का नाम नहीं दर्ज रंग है
गोया बशर नहीं कोई तस्वीरें संग है।"

मां अपने आज्ञाकारी व प्रिय पुत्र की शोचनीय दशा देखकर बेकाबू हो उठती है, और अपनी व्यथा का इज़हार इस तरह करती है—

"रोकर कहा ख़ामोश खड़े क्यों हो मेरी जां
मैं जानती हूं जिस लिए आए हो तुम यहां
सबकी खुशी यहीं है तो सेहारा को ही खां
लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज कहूँगी हां
किस तरह वन में आंख के तारे को भेज दूं
जोगी बना के राजदुलारे को भेज दूं।"

मशहूरो-मारूफ शायर **सागर निज़ामी** के अनुसार राम दिल के त्यागी और आत्मा के रसिया हैं। वे सत्य के विशाल ध्वज हैं और परदु:ख-कातरता उनके स्वभाव का सहज अंग है। उनके बकौल—

"दिल का त्यागी, रूह का रसिया
खुद राजा और खुद की परजा

सबसे उलफ़त करने वाला
एक अमर पैग़ाम मुहब्बत
सिरता या इल्हाम मुहब्बत
ध्यान की गंगा इससे फूटी
सच्चाई का परचम था वह
प्रेम का बांका बालम था वह
भारत-प्यारा राज-दुलारा
कौशल्या की आंखों का तारा
सबके दुख पर रोने वाला
दुखियों से खुश होने वाला।"

उर्दू अदब के प्रख्यात शायर **सलाम मछली शहरी** अयोध्या के राजकुमार पर फूलों का हार न्यौछावर करते हैं, सीता को अपनी सखी मानते हैं और उनमें कोमलता की चरम सीमा व सौन्दर्य के सर्वोच्च शिखर के दर्शन करते हुए, अपने ख्यालों का इज़हार इस तरह करते हैं।

"आओ, आओ अयोध्या के राजकुमार
करूं तुम पे निछावर हर फलों का हार
सखी सीता हमारी है नाजुक कली
हां, चमन की कली
क्यों न कायम रहे इस कली का निखार।"

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी केवल हिंदी कवियों की दृष्टि में ही नहीं, वरत् उर्दू शायरी के आईने में भी एक मुमताज़तरीन और बेमिसाल शख्सियत थे। उर्दू शोरा हज़रत की उनके सम्बन्ध में रची गई रचनाएं अकीदत व मुहब्बत से सराबोर हैं, जिसमें अज़मत, रिफ़ात, आन-बान-शान तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति उनका सजीव चित्रण परिलक्षित होता है। निःसन्देह उर्दू अदब का दामन राम कथाओं की अभूतपूर्व दौलत एवं अमूल्य धरोहर से मालामाल है और भविष्य में भी उर्दू शायरों का इस सम्बन्ध में योगदान एक प्रशंसनीय कदम होगा।

डी-1209, डबुआ कालोनी, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

मैं एक नाटक लिखना चाहती हूं

—नासिरा शर्मा

ज़िन्दगी में जाने कितनी तमन्नाएं होती हैं जो आपके चाहने के बावजूद भी पूरी नहीं होती हैं और अक्सर हसरतों में तब्दील हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही बेहद पुरानी एक आरजू मेरी भी है कि मैं एक नाटक लिखूं ऐसा जबर्दस्त जो बरसों दर्शकों के दिल व दिमाग़ में छाया रहे। बहुत वर्षों पहले स्टेशन डायरेक्टर नैयर साहब ने पूछा था कि आप ड्रामें क्यों नहीं लिखतीं? उस समय मेरे दो उपन्यास आ चुके थे तीसरा प्रेस में था। उनकी बात मुझें अटपटी लगी कि उपन्यासकार बैठे बिठाए आखिर ड्रामा क्यों लिखने लग जाए?

इस बात को दस वर्ष गुज़र गए। मेरी लम्बी कहानी ''सबीना के चालीस चोर'' पर टेलिविज़न ने ड्रामा बनाने का फैसला लिया और उसका स्क्रीन प्ले और डायलाग मैंने लिखे उसी तरह जैसे आया बसंत सखी, काली मोहिनी, सेमल का दरख़्त, मां, वापसी, तड़प, बावली, पत्थरगली, सरज़मीन, जमाना बदल गया, जागृति, कुंजी, स्कूल डेज़ शाश्मली, नया रास्ता, बादलों के छटने तक, खोई हुई जन्नत, सितारों से आगे इत्यादि के लिए लिखे थे। मगर ये स्टेज पर खेले ज़ाने वाले नाटक नहीं थे। संवाद लिख कर भी मैं नाटक नहीं लिख पाई थी जिसको लिखने की मेरी अभिलाषा लगातार प्रबल हो रही थी। मंडी हाऊस से गुज़रते हुए जब मैं ड्रामों के इश्तहार देखती तो अपने ऊपर झुंझलाती कि आखिर मैं वह ड्रामा लिख क्यों नहीं पा रही हूं जिसकी ख्वाहिश बरसों से पाले बैठी हूं?

एकाएक दिनेश खन्ना का फोन मिला कि आप किसी दिन अपनी कहानी ''पत्थरगली'' देखने लेडी इरविन कालेज आ जाईए फिर कुछ रूक कर बोले कि आपको कहानी के चुनाव से पहले न बाद में फोन कर पाए इसके लिए मुझे तो यह इत्तला खुशखबरी लगी। दूसरे दिन दोपहर में पहुंच गई। लड़कियां अपने संवाद बोल रही थीं, सूत्रधार लड़की कहानी के ब्यानिया टुकड़े बीच-बीच में पढ़ रही थी या सुना रही थी। बेहद खूबसूरत ग़जलें थीं जिनको वही कलाकार लड़कियां दृश्य को बदलने से पहले गाती थीं। मुझे तो इसका गुमान भी न था कि कहानी के समकक्ष नाटक खड़ा हो जाएगा वह भी इतना बेहतरीन, बारीक और रचनात्मक? उस रात मुझे नींद नहीं आई। एक भरीपुरी सी बेचैनी मेरी चेतना में किसी सुगन्ध की तरह फड़फड़ाती रही। दिनेश की मेहनत, कलाकारों की लगन देख मैं दंग थी। दिनेश को इस नाटक पर कई पुरस्कार मिले। कलाकारों ने भी इनाम लिए। उसके कई शो हुए। दिनेश ने उस कहानी को ड्रामे में ढालने का काम खुद किया था। इस खूबसूरती से किया था कि न कुछ घटा था न बढ़ा था मगर वही

पत्थरगली जो काले अक्षरों की कलमकारी थी बिल्कुल नए लिबास में जीती जागती लड़कियों की शक्ल में अपना ब्यान खुद थी। सदी के अन्तिम वर्ष में ड्रामा खेला तो गया मगर मेरे द्वारा लिखा नहीं बल्कि मेरी कहानी पर बना हुआ।

उस ड्रामे और कालेज के माहौल ने मुझे पुराने दिनों की याद ताज़ा कर दी। सीढ़ियों पर बैठ कर हम सहेलियों का कहानी पढ़ना। इम्तहान के बाद काजेल बन्द होने से पहले खाली दिनों में पुराने खण्डहर के पास बैठ कर कैथा खाना और वह सारी टीचरों का याद आना जो हमें डांटती, फटकारती, दुलारती और पढ़ाती थीं। पत्थरगली का शो जो श्रीराम सेन्टर में उर्दू अकादमी की तरफ से हुआ था उसमें मेरी बचपन की दो सहेलियां भी आई थीं। स्टेज पर जब मैंने कहा कि इस कहानी की दो पात्राएं यहां मौजूद है तो उन्हें स्टेज पर बुलाया गया। हमारे कालेज की रस्म थी कि सालाना जलसे में एक शाहीं ड्रामा ज़रूर रखा जाता था जिसको ग्यारहवीं कक्षा की लड़कियां करती थीं। इस ड्रामे का विशेष प्रचार-प्रसार किया जाता था। वार्षिक समारोह का यह खास आकर्षण होता था। ग्यारहवीं में जब मैं थी तो अस्मत आपा का लिखा ड्रामा ''क्या ख़बर उनको कि मेरा दिल उसी बटुवे में है'' का मेन किरदार मैंने निभाया था। दूसरे साल चूंकि ग्यारहवीं कक्षा की लड़कियां ज़रा भी रुचि नाटक-नृत्य में नहीं रखती थीं। इसलिए, एक गम्भीर समस्या मिसिज़ रैनसम के सामने थी। मजबूरन हमारी कक्षा पर वह जिम्मेदारी स्पेशल केस में डाली गई और सिराजुद्दौला ड्रामा खेला गया जिसमें मेरा मुख्य किरदार उस रक़्क़ासा का था जो वतन परस्त थी और जुझारु थी। इत्तफ़ाक़ से तीसरा वर्ष जब मैं कालेज छोड़ कर बी.ए. में पहुंची तो एक बार फिर वही समस्या सामने थी। लड़कियों का नया बैज ललित कला के प्रति बिल्कुल उदासीन था। तब रज़िया सुल्तान ड्रामे का चयन हुआ और मुझे विश्वविद्यालय से रोज़ आकर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। लेडी इरविन कालेज की जोशीली लड़कियों ने मुझे मेरा अतीत याद दिला कर बड़ा बैचैन कर दिया। उस बात की भी याद दिला दी जो मेरे सीने में किसी फांस की तरह चुभती रहती थीं कि जाने कितने कालेजों और विश्वविद्यालयों ने मुझे अपने यहां समय-समय पर इन पिछले पच्चीस वर्षों में असंख्य बार बुलाया था मगर मेरे कालेज से कभी कोई बुलावा नहीं आया और आता भी कैसे? वह कालेज अब वह कालेज कहां रह गया था जहां पर लड़कियां भाषण देनें, डांस ड्रामा करने, कहानी प्रतियोगिता में शामिल होने, बहस में हिस्सा लेने, खेलकूद में अव्वल आने की तड़प रखती थीं। अब पढ़ने की भी वैसी ललक कहां बची थी? जो बचा था वह सिर्फ शादी के लिए डिग्री लेना और हर उड़ान को बुरा समझना क्योंकि कालेज के संरक्षकों की पूरी सोच का वे आईना जो थीं।

सदी के आरम्भ में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक छात्र का फोन मिला कि आपकी कहानी ''दहलीज़'' पर हम नाटक करने जा रहे हैं जो रंग महोत्सव में शामिल होगा। आप प्रेक्टिस देखने आएं। अंकुर जी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं उनका भी अनुरोध शामिल है। यह दूसरी खुशी

एकाएक मिली। अंकुर जी को मैंने विनीता अग्रवाल की पुस्तक ''एक और परिकथा'' की गोष्ठी में देखा था मगर उनकी चर्चा बहुत सुन रखी थी। राष्ट्रीय सहारा में उनके लेख भी पढ़ रखे थे। आज से पच्चीस छब्बीस साल पहले मुझसे स्टेज छूटा था जब लिटिल थ्येटर वालों से मैंने इंकार किया था। वक़्त उनके पास कम था। वह दो दिन में प्रेक्टिस करके ड्रामा प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती थीं और मैं उन्हीं दो दिनों में इतनी व्यस्त थी कि घन्टा भर भी नहीं निकाल सकती थी। उसके बाद लगातार अक्सर और समय की टकराहट चलती रही और मुझे दिल पर पत्थर रख कर स्टेज छोड़ना पड़ा। उन दिन मैं एक्टिंग की इतनी दीवानी थी कि अगर कोई मुझे खाना न देता और नाटक करने का अवसर देता तो मेरी आत्मा की भूख पेट की भूख को भी शांत कर देती। दरअसल नाटक करते समय जो टीम के बीच अपनत्व और सहकारिता का जज़्बा उभरता था वह मुझे गज़ब की ऊर्जा देता था जबकि लेखन में आप अकेले अपनी सारी ऊर्जा निचोड़ कर काग़ज़ पर कलमकारी का जलवा दिखाते हैं।

दोपहर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हाल में पहुंची। चन्द लड़के लड़कियां स्टेज पर संवाद बोल रहे थे। सामने सीट पर बैठे दो लड़के उठे और मेरा स्वागत कर मुझे बिठाया। दस पन्द्रह मिनट बाद इत्तला मिली कि अंकुर जी याद कर रहे है। कुछ देर वहां पर ठहरी और कलाकारों के कुछ सवालों का जवाब दिया फिर अंकुर जी के कमरे में गई जहां मैने अपने दिल की तमन्ना बताई कि मेरा बहुत बड़ा सपना था कि ..... अंकुर जी हंस कर बोले, ''नासिरा जी, अपने को इतना कम मत आंकिए आप महत्वपूर्ण कथाकार है।''

उनकी बात सुन कर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया मगर मैं विश्वास करती हूं कि आंखों का पानी निकल कर बताता है कि आप का दिल अभी पत्थर नहीं हुआ है और छोटी-छोटी ख्वाहिशें जब तक लहरों की तरह इन्सान के दिल में उभरती रहती हैं वह इस बात का यक़ीन दिलाती है कि इन्सान अभी ज़िन्दा है। अंकुर जी से लम्बी बातचीत चाय की गर्म प्याली के साथ हुई। उनका परिवेश, कहानियों में विशेष रूचि और दूसरी तरह के विषयों पर दिलचस्प वार्तालाप चला। उन्होंने अपनी दो पुस्तकें मुझे दीं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुईं। वायदे के मुताबिक मुझे एक बार और जाना था ताकि प्रैक्टिस के दरम्यान मैं अपनी कुछ राय दे सकूं। मैंने वायदा किया फिर आने का वैसे तो आज मैंने उन कलाकारों के पूछने पर कुछ शब्दों की व्याख्या की थी और बहुत धीरे से अपनी बात सरकाई थी कि मुस्लिम बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं इसलिए डायलाग डिलेवरी में ठहराव की बहुत ज़रूरत है। सच्च पूछा जाए तो मैं उस दिन ज़रा भी प्रभावित नहीं हो पाई थी।

दोबारा जाना था सो गई। प्रैक्टिस शुरू हुई। अंकुर जी भी बैठे थे। मुझे गहरा झटका लगा। दो दिन पहले का कच्चा माल एक आकार ले चुका था। दादी मां जवानी में पूरी सत्तर साल की लग रही थीं और सामिन मियां का कहना ही क्या ? यह चमत्कार हुआ कैसे ? पूरा ड्रामा फूल

बन कर खिल चुका था। हर किरदार मेरे लिखे शब्दों में आत्मा फूंक रहा था। शरीर की भाषा इतनी शक्तिशाली रूप ण कर चुकी थी कि उसको मेकअप की ज़रूरत नहीं रह गई थी। यह कमाल अंकुर जी के डा. न का था या कलाकारों के अन्दर सोए गुण का था मगर जो भी था वह वास्तव में आर्ट था। उस दिन कलाकारों से लम्बी बातचीत भी जमी। उसमें ढेरों सवाल थे कि मैंने पुरानी दिल्ली के उस माहौल को इतना जीवन्त कैसे उठाया, क्या कोई खानदान वहां ऐसा था ? या फिर इतने सीरियलों के आने के बाद भी यह कहानी हर तरह से नई और अछूती लगी चूंकि उसमें भाई बहनों की आपसी टकराहट थी। दादी की दोरूखी पालिसी थी। यहां भी लड़के लड़कियां साथ-साथ काम कर रहे थे। एक लड़की ने कहा इस कहानी को हम सबने एक साथ पसन्द किया था। लड़के लड़की का फर्क तो है। यहां ज्यादातर लड़के आम लड़कों से अलग हैं उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं है मगर इसके बावजूद कहीं पर जाकर लगता है कि वह अपने को सुपिरियर समझ रहे हैं।

अंकुर जी ने उस दिन एक बात कही कि इस कहानी ''दहलीज़'' के बरअक्स अब आप एक दूसरा ड्रामा लिखें चाहे वह एकांकी ही क्यों न हो कि जो लड़की घर की घुटन को छोड़ कर घर की दहलीज़ पार करके बाहर निकली है उसको क्या-क्या झेलना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि हर नया क़दम इन्सान के लिए दूसरा मोर्चा साबित होता है। संघर्ष का कहीं कोई अन्त नहीं है। बहरहाल! ड्रामा दहलीज़ जब दर्शकों के सामने खेला गया तो उसकी आब व ताब ही निराली थी। हल्का-सा मेकअप, लिबास किरदार के मुताबिक और स्टेज की थोड़ी सी सजावट ने पूरे माहौल में चार चांद लगा दिये। खास कर दादी मां का गिलास फेंकना और गुस्से में पलंग पर पड़ जाना और पोते का पैर दबाना गिलास के गिरने की आवाज़ ने मेरे अन्दर अजीब तरह की झनझनाहट पैदा कर दी। वही सीन नहीं बल्कि अनेक सीन इतने जीवन्त हो उठे थे कि लगता ही नहीं था कि मैं ड्रामा देख रही हूं या घर के आंगन में बैठी हूं। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी थी इसका थ्री डाइमेन्शन होना। एक ही समय में कमरा, दालान, आंगन उभरता था और परिवार के सदस्य कुछ यूं अपने में व्यस्त दिखते कि लगता वाकई एक घर सारे सदस्यों की गतिविधियों के साथ हमारे सामने आन खड़ा हो गया है, इससे दर्शकों को भरपूर ''तमाशा'' देखने को मिलता था। जिससे जीवन्तता ग़ज़ब की बढ़ गई थी। इस नाटक की आलोचना ही नहीं अच्छी हुई बल्कि दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया। यह कमाल यकीनन अंकुर जी और उन कलाकारों का था जिन्होंने मेरे पात्रों को जिया था।

इन सारी लम्बी बतकही के बावजूद तमन्ना वहीं की वहीं रही कि मैं एक नाटक लिखूं इतना जबर्दस्त कि जो बरसों दर्शकों के दिल व दिमाग़ पर छाया रहे.....।

डी-37/754, छत्तरपुर पहाड़ी, नई दिल्ली-110030

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियां

हिन्दी कार्यशालाएं

भारी पानी संयंत्र परमाणु ऊर्जा विभाग, तालचेर (उड़ीसा)

संयंत्र में दिनांक 29 और 30 जनवरी, 2002 को 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें संयंत्र के विभिन्न अनुभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में संयंत्र के महाप्रबंधक श्री आर.के. दास मुख्य अतिथि थे और समापन समारोह में प्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) श्री आर. महन्ती ने यह भूमिका निभाई। कार्यशाला में संघ की राजभाषा नीति, वाक्य विन्यास, समास और संधि, टिप्पणी तथा आवेदन पत्र, आलेखन और हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के संबध में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई और अभ्यास कराया गया।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन

15 और 16 मार्च, 2002 को संयंत्र में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें सयंत्र के 21 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन महाप्रबंधक श्री टी.के. हालदार ने किया उद्घाटन सत्र में सहायक निदेशक श्री नरसिंह राम ने बताया कि संयंत्र में राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन किया जा रहा है। उप महाप्रबंधक श्री एस. सुन्द्रेशन ने बताया कि सयंत्र में लगभग 25 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जो अच्छी हिंदी बोल और समझ सकते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आवाहन करते हुए यह कहा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और राजभाषा नीति को सफल बनाने हेतु अपना अधिकाधिक सहयोग प्रदान करें। संकाय सदस्यों ने 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला में हिंदी भाषा संरचना, शब्द व्याकरण, प्रोत्साहन योजनाओं और राजभाषा नियमों की जानकारी दी जिससे सभी प्रतिभागियों को विभिन्न कार्यक्रमों और पुरस्कारों संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त हुई।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, जीवन भारती, कनाट सर्कस, नई दिल्ली

क्षेत्रीय और मंडलीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय हिंदी कम्प्यूटर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 30 कर्मचारियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम हिंदी साफ्टवेयर (लिपि आफिस) की प्रारम्भिक, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया ताकि इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् कर्मचारीगण इसकी सहायता से सरकारी कामकाज सुगमता से हिंदी में कर सकें। कार्यक्रम हिंदी शिक्षण योजना (राजभाषा विभाग) के कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। एल.सी.डी. प्रोजेक्टर की सहायता से लीप आफिस की विशेषताओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी

गई और उन्हें व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान कंप्यूटर में कार्य करने पर आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी किया गया।

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिंक स्मेल्टर, विशाखापट्टनम

राजभाषा हिंदी के सुचारू कार्यान्वयन हेतु इकाई के कार्यपालकों के लिए दिनांक 20 से 21 फरवरी, 2002 तक 2 दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिंदी कार्यान्वयन संबंधी पहलुओं पर ध्यान देने के साथ-साथ अनुवाद, राजभाषा नियम एवं पारिभाषिक शब्दों आदि पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में कुल 23 कार्यपालकों को प्रशिक्षण किया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई

संयंत्र के राजभाषा विभाग तथा अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 8 जनवरी, 2002 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री विनय कुमार चतुर्वेदी ने अपने संशोधन में कहा कि उत्पादन में गुणवत्ता के साथ-साथ राजभाषा हिंदी को अपने दैनंदिन कार्यों में आत्मसात किया जाना चाहिए। अध्यक्षीय भाषण में महाप्रबंधक श्री सुरेन्द्र कुमार जैने ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वप्रेरणा से हिंदी में कार्य करें।

आप्टो इलैक्ट्रानिक्स फैक्टरी, रायपुर, देहरादून

आप्टो इलैक्ट्रानिक्स फैक्टरी, रायपुर ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के तहत राजभाषा हिंदी में सरकारी कामकाज करने की झिझक को दूर करने के लिए कर्मचारियों के लिए दिनांक 11 से 23 मार्च, 2002 तक 11 दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्घाटन फैक्टरी के प्रभारी अधिकारी श्री सरताज सिंह ने की। प्रतिभागियों को व्याख्यान देने हेतु बाहरी विभागों से अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया। प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी में कामकाज करने संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कुल 22 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

कार्पोरेशन बैंक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ

19, 20 मार्च, 2002 को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित बैंकों की शाखाओं के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभागध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री एच.एस. सैनी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग उद्योग में हर जगह लाभप्रदता का ही बोलबाला है और यदि हिंदी को अपनाने से

हमारा लाभ बढ़ता है तो हमें अपना सारा कामकाज हिंदी में ही करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी में काम करने के लिए अपने दिल से आवाज आनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में कार्यशाला परीक्षण आयोजित की गई जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले अधिकारियों को मुख्य प्रबंधक श्री वी.वी. हेगड़े ने पुरस्कृत किया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहरमपुर

23 अप्रैल, 2002 को संस्थान के अधिकारियों के लिए एक विशिष्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 37 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के निदेशक डा. एस. राजे अर्स ने दीप प्रज्वलित कर किया। अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे अधिक से अधिक कामकाज हिंदी में संपादित कर अनुसंधान दायित्वों के अलावा राजभाषा नीति के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वाह करें। कार्यशाला में प्रतिभागियों को राजभाषा, हिंदी, टिप्पण आलेखन, मानक वर्तनी, परिवर्धित देवनागरी विषयों पर जानकारी दी गई और अभ्यास कराया गया।

क्षेत्रीय तसर अनुसंधान केन्द्र, इम्फाल

13-3-2002 को केन्द्र में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, रांची के निदेशक डा. बी.आर.आर.पी. सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी सभी भारतवासियों की भाषा है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का आह्वान करते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।

भारतीय प्रसारण नियम, आकाशवाणी, नागपुर

दिनांक 26 और 27 मार्च, 2002 को दो दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र के 19 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन कार्याल्याध्यक्ष एवं केन्द्र निदेशक सुश्री केशर मेश्राम ने किया। प्रतिभागियों को नोटिंग ड्राफ्टिंग, राजभाषा नीति के प्रचार-प्रसार और उसके कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई और व्यावहारिक अभ्यास कराया गया।

केन्द्रीय इलैक्ट्रानिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पिलानी (राजस्थान)

संस्थान के सहकर्मियों के लिए 4 और 5 अप्रैल, 2002 को दो दिवसीय प्रशासनिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संस्थान के विभिन्न प्रशासनिक अनुभागों में कार्यरत 72 सहकर्मियों ने भाग लिया। संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं

संस्थान निदेशक डा. शमीम अहमद मुख्य अतिथि थे। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए डा. अहमद ने कहा कार्यशाला में हुई चर्चा को अपने कार्यों में उपयोग में लाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र में लगे सहकर्मियों का यह दायित्व है कि वे नियमों की व्याख्या इस प्रकार करें कि लोग उनका अनुपालन करें, उल्लेख नहीं।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा

20 और 21 मार्च, 2002 को 2 अर्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में एन.आई.ओ. के 63 प्रशासनिक कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें सरकारी पत्र एवं पत्रों के प्रकार, नेमी टिप्पणियों, हिंदी प्रोत्साहन विषयों पर व्याख्यान दिए गए। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए संस्थान के निदेशक श्री ई. डेसा ने कहा कि हिंदी विज्ञान कार्यों के शीघ्र निपटान में ही नहीं बल्कि बेहतर संप्रेषण में भी सहायक होती है। उन्होंने दैनिक व्यवहार में हिंदी को प्रयुक्त करने पर विशेष बल दिया।

केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि

18 और 19 मार्च, 2002 को अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए तथा 21 और 22 मार्च, 2002 को अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 16 कर्मचारियों तथा 10 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी प्रकार सिफनेट, चेन्नई में 19-12-2001 को एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, धनबाद : समिति की बैठक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक और अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री विश्वनाथ पान की अध्यक्षता में केन्द्रीय अनुसंधान खनन अनुसंधान संस्थान में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर बल दिया कि ''क'' क्षेत्र में रहने के कारण राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य स्वत: ही होना चाहिए।

2. दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति : दिनांक 21 जनवरी, 2002 को समिति की वार्षिक बैठक समिति के अध्यक्ष एवं पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री पी. एल. मदान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव श्री एम. शंकर थे। रिजर्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार से जुड़े गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर सदस्य सचिव श्री पी. डी. लखनपाल ने समिति के वर्ष भर के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हुए बताया कि वर्ष के दौरान 9 बैंकों द्वारा विविध अंत: बैंक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें सभी बैंकों से स्टाफ सदस्यों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा दिल्ली बैंक नगर राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता 2001 के पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार आई. डी. बी. आई., दूसरा पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक तथा तीसरा पुरस्कार ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स को प्रदान किया गया। इसके अलावा आंध्र बैंक तथा सिंडिकेट बैंक को भी राजभाषा प्रचार-प्रसार के लिए पुरस्कृत किया गया। सचिव, राजभाषा विभाग ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा ये संस्थाएं सीधे जनसाधारण से जुड़ी हैं अत: उनकी भाषा में बात करना ही अधिक उपयोगी है।

3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कानपुर : दिनांक 5 फरवरी, 2002 को समिति के तत्वावधान में कंप्यूटर संगोष्ठी एवं द्विभाषी साफ्टवेयर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का प्रारम्भ क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डा. एन. एस. यादव के स्वागत भाषण से हुआ । उन्होंने कहा कि नराकास की बैठकों के अवसर पर प्राय: सदस्य कार्यालयों द्वारा ऐसे आयोजनों का सुझाव प्राप्त होता रहा है। मुख्य अतिथि श्री पी. आर. मोहन राव ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। अध्यक्षीय भाषण में दूरसंचार महाप्रबंधक श्री ए. एन. राय ने कानपुर नराकास को बधाई देते हुए कहा कि संगोष्ठी का सफल आयोजन करके नगर स्थित कार्यालय को एक नई दिशा दी गई।

1942 HA/2002—6

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालंधर : नगर के केन्द्र सरकार के कार्यालयों/निगमों/बैंकों/उपक्रमों में राजभाषा हिंदी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। समिति के दो सदस्य कार्यालयों को 14 मार्च, 2002 को अमृतसर में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 1999-2000 के लिए ''खँ'' क्षेत्र श्रेणी में पुरस्कृत किए गए :—

इनका विवरण इस प्रकार है:—

भारत तिब्बत सीमा पुलिस 22वीं बटालियन, जालंधर (सरकारी कार्यालय श्रेणी में)	तृतीय
इंडियन ऑयल कारपोरेशन, मार्किटिंग डिवीजन, जालंधर (सरकारी उपक्रम श्रेणी में)	द्वितीय
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालंधर (संयोजक, आयकर विभाग)	द्वितीय

5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तूतीकोरिन : समिति की 8वीं बैठक दिनांक 26-3-2002 को भारी पानी संयंत्र में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन परमाणु ऊर्जा विभाग के महाप्रबंधक श्री टी. के. हालदार ने की। उद्घाटन भाषण में श्री हालदार ने तूतीकोरिन में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन के सभी सदस्यों द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की। श्री हालदार ने समिति की गृह पत्रिका ''नगर अभिनन्दन'' पहले अंक का विमोचन भी किया। उन्होंने सदस्य कार्यालयों के वरिष्ठ कार्यपालकों और अधिकारियों को राजभाषा हिंदी सीखने और रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में इसके प्रयोग को सुनिश्चित कराने का आह्वान भी किया।

6. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक : समिति की 38वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2002 को आयकर आयुक्त श्री अशोक कुमार अनेजा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने की प्रतिशतता बढ़ाए जाने के लिए राजभाषा अधिकारियों/प्रबंधकों की एक समिति गठित की जाए और सदस्य कार्यालयों में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता : समिति की 32वीं बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2002 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय के बोर्ड कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मधुकर

ने की। सदस्यों का सवागत करते हुए उन्होंने कहा कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) कोलकाता राजभाषा के प्रयोग की दिशा में लगातार वृद्धि हेतु प्रयासरत है। उन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सतत प्रयास करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर समिति की हिंदी पत्रिका "नगर प्रभा" के चतुर्थ अंक का विमोचन भी किया गया। वर्ष 2001-02 में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न अन्तर बैंक प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को [illegible] एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। सदस्य सचिव ने सदस्यों को सूचित किया कि गंगटोक [illegible] 7 मार्च, 2002 को आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन में समिति को तृती[illegible] प्राप्त हुआ। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्य कार्यालयों को हिंदी में मूल पत्राचार [illegible] आह्वान भी किया।

8. **बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्डीगढ़ :** पंजाब नेशनल बैंक के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चण्ड़ीगढ़ की बैठक और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 22 जून, 2002 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और अन्त: बैंक प्रतियोगिताओं के विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को समिति के अध्यक्ष एवं पंजाब नेशनल बैंक के महाप्र[illegible] श्री यू. एस. भार्गव द्वारा पुरस्कृत किया गया। समिति की पत्रिका "नगर प्रभा" का विमो[illegible] इस अवसर पर हुआ। समिति को वर्ष 1999-2000 में "ख" क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन [illegible] पुरस्कार प्राप्त हुआ।

हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण

केन्द्रीय विपणन संगठन पूर्वी क्षेत्र के शाखा विक्रय कार्यालय बोकारो में कार्मिकों [illegible] 2 दिवसीय हिंदी-कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक श्री ओम[illegible] स्वागत भाषण में कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय से हमें आवश्यक सहायता मिलती रहती है। यह उसी का परिणाम है कि इस क्षेत्र में हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण सर्वप्रथम इस शाखा में आयोजित किया जा रहा है। यह संगठन के लिए गौरव की बात है। उन्होंने अपेक्षा की कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् सभी प्रतिभागी अपना सारा काम हिंदी में ही संपन्न करेंगे। कार्मिकों को कंप्यूटर ज्ञान के बारे में संवैधानिक जानकारी के साथ-साथ व्यावहारिक तौर पर विंडो बेस, हिंदी पैकेज का अभ्यास कराया गया।

आदेश-अनुदेश

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) का दिनांक 13 मई, 2002 का कार्यालय ज्ञापन सं. 12024/8/2001 रा.भा. (का.2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राजभाषा विभाग ने हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तरांचल) में नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया है। समिति के अध्यक्ष का नाम एवं पता, बैठकें आयोजित करने के माह के संबंध में विवरण निम्नलिखित है :—

समिति का नाम	अध्यक्ष का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित माह
हल्द्वानी	श्री ओ. पी. अग्रवाल, आयकर आयुक्त, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल (उत्तरांचल)	सितम्बर/मार्च

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि अपने नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक अध्यक्षों के नाम/पदनाम एवं पतों की अद्यतन सूची (दूरभाष/फैक्स व पिनकोड सहित) तैयार करके उसकी एक प्रति राजभाषा विभाग को भिजवा दें। आपके द्वारा भेजी गई कार्यालयों एवं बैंकों आदि की सूची में कतिपय कार्यालय/बैंक ऐसे भी हैं जो केन्द्र सरकार के अधीन नहीं हैं। कृपया संदर्भित सूची पुनः तैयार करके रिकार्ड के लिए इस विभाग को भेज दें।

3. समिति की बैठकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति प्रति बैठक रु.1500/-(रु. 3000/ वार्षिक अधिकतम) की दर से की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में खर्च/उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रभारी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) द्वारा की जाएगी।

4. समिति के अध्यक्ष से अनुरोध है कि समिति की बैठकें निर्धारित माहों में आयोजित करवाने की व्यवस्था करें। बैठक के आयोजन की सूचना नियत तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व

राजभाषा विभाग (मुख्यालय), नई दिल्ली एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें ताकि बैठक में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समिति के गठन के उद्देश्य एवं कार्यकलापों से सम्बन्धित जानकारी और अन्य किसी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए राजभाषा विभाग (मुख्यालय) अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से सम्पर्क करें।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) नई दिल्ली का दिनांक 20 मई, 2002 का कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/1/2002-रा.भा. (का-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2001-2002.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा.भा. (क-2) के तहत केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

3. **पात्रता तथा शर्तें :**

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों।

(ii) अनुदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।

(iii) पुस्तक 01 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हों।

(iv) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व में आने वाली स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है। सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन

तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें। सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधी राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

(v) पुस्तक की विषयवस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो। मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।

(vi) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठयक्रम में शामिल न हो।

(vii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

(viii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।

(ix) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(x) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय निर्धारित प्रोफार्मे में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

4. इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :—

(1) प्रथम पुरस्कार —रु. 20,000/-

(2) द्वितीय पुरस्कार —रु. 16,000/-

(3) तृतीय पुरस्कार —रु. 10,000/-

5. पुरस्कारों का निर्णय एक निर्णायक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं।

6. प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 01 जुलाई, 2002 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिएं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :—

अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, ए विंग,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.

8. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केन्द्रीय सरकार के स्वातिम्व में आने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें।

उपनिदेशक (उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम/मध्य/टं/आ./टंकण पत्राचार) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली चैन्ने/कोलकाता/मुम्बई/जबलपुर एवं सभी सर्वकार्यप्रभारी अधिकारियों को भेजा गया हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली का दिनांक 28 फरवरी, 2002 का पत्र सं. 15/2/2002 उ.नि. (परीक्षा)1219

विषय :—जनवरी 2002 में आयोजित हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि परीक्षा परिणाम की घोषित तिथि 28-02-2002.

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत-जनवरी, 2002 में आयोजित हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के परिणामों की समेकित आंकड़ों सहित एक-एक प्रति हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशकों तथा केन्द्रवार परीक्षा परिणामों की एक-एक- प्रति संबंधित सर्वकार्यभारी अधिकारियों को भेजी जा रही है।

2. हिंदी टंकण परीक्षा में उन्हीं परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है जिन्होंने दोनों प्रश्न पत्रों में 25-25 अंक प्राप्त किए हैं। जो परीक्षार्थी टंकण परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण है, उन्हें केवल अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र में अथवा जिस प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहे, जुलाई 2002 सत्र की पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।

3. टंकण परीक्षा में किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित परीक्षार्थियों को अन्य परीक्षार्थियों की तरह आवेदन पत्र भरना होगा तथा आवेदन पत्र पर अपना पुराना अनुक्रमांक

(जनवरी 2002 में हुई परीक्षा में दिया गया अनुक्रमांक) देना होगा। अनुक्रमांक के साथ सत्र का उल्लेख भी करना होगा, जैसे (अनुक्रमांक 5009 जनवरी, 2002) इन प्रश्न पत्रों की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के आवदेन पत्रों पर फोटो अथवा पहचान पत्र संख्या देना अनिवार्य होगा। उनके आवेदन पत्र तथा नामिनल रोल अलग से इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। जनवरी, 2002 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए जो परीक्षार्थी जुलाई 2002 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगें उन्हें बाद में दोनों पश्न पत्रों की परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र पर उक्त सारी जानकारी के साथ इसका भी उल्लेख करें कि परीक्षार्थी किस पश्न पत्र में पूरक घोषित किया गया था। गलत सूचना होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

4. किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हाने वाले स्वायत्त संगठनों, निगमों के परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क 10/-रुपये प्रतिपरीक्षार्थी है। उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर 5/-रुपये के पोस्टल आर्डर भेजने पर की जा सकती है।

कृपया संबंधित परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम की सूचना शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

MGIPRRND—1942 HA/2002—2,000